भूमिका

पिछले सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर कालड़ी में श्री राधाकृष्ण बजाज के साथ हम बंगाल के कई सर्वोदय-सेवकों ने मिलकर बंगला भाषा में भूदान और सर्वोदय-साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में चर्चा की। पू० विनोबाजी के ग्रामदान सम्बन्धी कितने ही प्रवचनों का संकलन करके सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन ने 'ग्रामदान' नामक एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित की है। उसका बंगला भाषा में अनुवाद करने की बात उठी। इसी प्रसंग में यह चर्चा भी आयी कि केवल विनोबाजी के लेखों का अनुवाद न करके विनोबाजी की भावधारा के सहारे ग्रामदानविषयक एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जाय, तो अच्छा हो। श्री महावीरप्रसाद केडिया और श्री राधाकृष्ण बजाज ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं ऐसी पुस्तक लिखूँ। मैंने सहर्ष-पूर्वक इसे स्वीकार किया। प्रस्तुत पुस्तक इसीका फल है। भूदान के कार्य में सारा समय देते हुए और पदयात्रा निरन्तर चालू रखते हुए ऐसी पुस्तक लिखने में जो असुविधाएँ हो सकती हैं, वे मुझे भी हुई हैं। इसलिए इसमें त्रुटि होंगी और कमियाँ रह सकती हैं।

भूमिका

पिछले सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर कालड़ी में श्री राधा-कृष्ण बजाज के साथ हम बंगाल के कई सर्वोदय-सेवकों ने मिलकर बंगला भाषा में भूदान और सर्वोदय-साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में चर्चा की। पू० विनोबाजी के ग्रामदान सम्बन्धी कितने ही प्रवचनों का संकलन करके सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन ने 'ग्रामदान' नामक एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित की है। उसका बंगला भाषा में अनुवाद करने की बात उठी। इसी प्रसंग में यह चर्चा भी आयी कि केवल विनोबाजी के लेखों का अनुवाद न करके विनोबाजी की भावधारा के सहारे ग्रामदानविषयक एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जाय, तो अच्छा हो। श्री महावीरप्रसाद केडिया और श्री राधाकृष्ण बजाज ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं ऐसी पुस्तक लिखूँ। मैंने नम्रता-पूर्वक इसे स्वीकार किया। प्रस्तुत पुस्तक इसीका फल है। भूदान के कार्य में सारा समय देते हुए और पदयात्रा निरंतर चालू रखते हुए ऐसी पुस्तक लिखने में जो असुविधाएँ हो सकती हैं, वे मुझे भी हुई हैं। इसलिए इसमें कुछ भूलें और कमियाँ रह सकती हैं।

इस पुस्तक के लिखने में मेरा कोई विशेष कृतित्व नहीं है। यह विनोबाजी की ही भावधारा है। उसे मैंने जैसा समझा है, वैसा ही उसे व्यक्त किया है। 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' पुस्तक की भाँति इस पुस्तक में भी मैंने 'गङ्गा-जल से गङ्गा-पूजा' ही की है। अब पाठक देखें कि इसमें पवित्र और पर्याप्त परिमाण में गङ्गा-जल का आहरण किया गया

है या नहीं और उसके द्वारा विधिवत नैवेद्य सजाकर ठीक ढग से पूजा की जा सकी है या नहीं।

कोरापुट की कहानी बहुत से लोग अच्छी तरह जानना और समझना चाहते हैं, इसलिए 'कोरापुट' शीर्षक प्रकरण विस्तार से लिखा गया है। कोरापुट के सम्बन्ध मे श्री अण्णा साहब के लेख श्री मनमोहन चौधरी की अंग्रेजी 'ग्रामदान' पुस्तिका और कोरापुट सम्बन्धी अन्यान्य लेखों का सहारा लिया गया है। मै उन सबका ऋणी हूँ।

ग्राम-स्वराज्य की कल्पना

ग्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि प्रत्येक गाँव सम्पूर्ण गणराज्य होना चाहिए, जो अपनी जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतन्त्र हो, फिर भी और बहुत-सी बातों में, जिनमें आश्रितता जरूरी है, वे एक-दूसरे पर निर्भर रहें। इस प्रकार प्रत्येक गाँव का पहला काम यह होगा कि वह खाने के लिए अपना अनाज और कपड़े के लिए अपनी कपास उगाये। पशुओं के लिए उसका अपना चरागाह होना चाहिए और बालिगों तथा बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल-कूद के स्थान होने चाहिए। इसके बाद अगर और जमीन उपलब्ध हो, तो वह रुपया पैदा करनेवाली उपयोगी फसलें उगायेगा और इस प्रकार गाँजा, अफीम, तम्बाकू वगैरह का बहिष्कार करेगा। गाँव की अपनी ग्राम नाटक-शाला, पाठशाला और अपना सभा-भवन होगा। उसकी अपनी पानी की योजना होगी, जिससे साफ पानी मिलता रहेगा। यह प्रबन्ध नियन्त्रित कुओं और तालाबों से किया जा सकता है। बुनियादी पाठ्यक्रम के अन्त तक शिक्षा अनिवार्य होगी। जहाँ तक सम्भव होगा, सब काम सहकारी ढंग से किये जायँगे। उसमें आज जैसी ऊपर से नीचे तक छुआछूतवाली जाति-प्रथा नहीं होगी। अहिंसा और उसके साधन-रूप सत्याग्रह और असहयोग इस ग्राम-समाज के बल होंगे। ग्राम-रक्षकों का काम बारी के अनुसार अनिवार्य रूप से

करना होगा। इसके लिए योग्य ग्रामवासियों के नाम गाँव के रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। गाँव का शासन पाँच आदमियों की पंचायत करेगी जो गाँव के ऐसे वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा हर साल चुनी जायगी, जिनकी कम-से-कम निश्चित योग्यता होगी। उसके पास सारी आवश्यक सत्ता और न्यायाधिकार होगा। चूँकि प्रचलित अर्थ में कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए पंचायत को एक साथ कानून बनाने, न्याय करने और प्रबन्ध के अधिकार अपने वर्षभर के कार्यकाल के लिए प्राप्त होंगे। आज भी कोई गाँव इस प्रकार का गणतंत्र बन सकता है और उसमें किसीका—सरकार का भी—दखल नहीं होगा, क्योंकि उसका देहात के साथ एकमात्र कारगर सम्बन्ध लगान-वसूली का है।

ग्रामदान वरदान है

गाँव जाग जायँ और अपना भला-बुरा करने की सत्ता किसीको न दें। लोग गाँव-गाँव में स्वराज्य बनायें। एक बनें और नेक बनें।

परिवार में जितना हो, उतना बाँटकर खा लेते हैं और सब मिलकर उत्पन्न बढ़ाते हैं। क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है। कुटुम्ब में प्रेम है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। जो नियम परिवार को, वही गाँव को और देश को।

छोटे-छोटे लोगों को अपनी ताकत का भान होना चाहिए। वह तब होगा, जब आप एक-दूसरे की चिन्ता करना शुरू कर दें। उससे नैतिक ताकत बनेगी। फिर हम श्रीमानों पर भी असर डाल सकेंगे। उनको प्रेम से समझा सकेंगे। यह हमारा रास्ता है। समाज के लिए गरीब अपने श्रम का एक हिस्सा देंगे, तो एक बड़ी पुण्य-शक्ति निर्माण होगी। वह उनकी तपस्या होगी। त्याग और तपस्या से आपकी ताकत बनेगी।

ग्रामदान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत गिनी जायगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनिया में शान्ति की स्थापना हो जायगी। यह विश्व-शान्ति के लिए वोट है। विश्व-शान्ति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शान्ति ग्रामदान में है। ग्रामदान वरदान है।

विनोबा

करना होगा। इसके लिए योग्य ग्रामवासियों के नाम गाँव के रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। गाँव का शासन पाँच आदमियों की पंचायत करेगी, जो गाँव के ऐसे वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा हर साल चुनी जायगी, जिनकी कम-से-कम निश्चित योग्यता होगी। इसके पास सारी आवश्यक सत्ता और न्यायाधिकार होगा। चूँकि प्रचलित अर्थ में कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए पंचायत को एक साथ कानून बनाने, न्याय करने और प्रबन्ध के अधिकार अपने वर्षभर के कार्य-काल के लिए प्राप्त होंगे। आज भी कोई गाँव इस प्रकार का गणतंत्र बन सकता है और उसमें किसीका—सरकार का भी—दखल नहीं होगा, क्योंकि उसका देहात के साथ एकमात्र कारगर सम्बन्ध लगान-वसूली का है। मैंने यहाँ पड़ोस के गाँवों के और कोई केन्द्र हों, तो उनके साथ के सम्बन्धों के प्रश्न का विवेचन नहीं किया है। मेरा उद्देश्य ग्राम-शासन का नक्शा पेश करना है। इस शासन-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर पूर्ण लोकतन्त्र है। व्यक्ति अपने शासन का आप ही निर्माता है। उस पर और उसकी सरकार पर अहिंसा के कानून का राज्य होता है। उसमें और उसके गाँव में दुनियाभर की ताकत का सामना करने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामवासी के लिए मुख्य धर्म यह है कि वह अपनी और अपने गाँव की इज्जत की रक्षा में अपने प्राण दे दे।

—महात्मा गांधी

ग्रामदान वरदान है

गाँव जाग जायें और अपना भला-बुरा करने की सत्ता किसीको न दें। लोग गाँव-गाँव में स्वराज्य बनायें। एक बनें और नेक बनें।

परिवार में जितना हो, उतना बाँटकर खा लेते हैं और सब मिलकर उत्पन्न बढ़ाते हैं। क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है। कुटुम्ब में प्रेम है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। जो नियम परिवार को, वही गाँव को और देश को।

छोटे-छोटे लोगों को अपनी ताकत का भान होना चाहिए। वह तब होगा, जब आप एक-दूसरे की चिन्ता करना शुरू कर दें। उससे नैतिक ताकत बनेगी। फिर हम श्रीमानों पर भी असर डाल सकेंगे। उनको प्रेम से समझा सकेंगे। यह हमारा रास्ता है। समाज के लिए गरीब अपने श्रम का एक हिस्सा देंगे, तो एक बड़ी पुण्य-शक्ति निर्माण होगी। वह उनकी तपस्या होगी। त्याग और तपस्या से आपकी ताकत बनेगी।

ग्रामदान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत गिनी जायगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनिया में शान्ति की स्थापना हो जायगी। यह विश्व-शान्ति के लिए वोट है। विश्व-शान्ति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शान्ति ग्रामदान में है। ग्रामदान वरदान है।

विनोबा

अनुक्रम

परिशिष्ट

ग्रामदान क्यों ?

ग्रामदान : प्रारम्भ और प्रगति : १ :

भूमिदान-यज्ञ एक महान् वटवृक्ष है। आंशिक ग्रामदान उसका बीज है और समग्र ग्रामदान उसका फल है। यह दान-यज्ञ पर्वतारोहण के समान है। आंशिक भूमिदान उसकी पहली सीढी है और ग्रामदान उसका शिखर है।

आज छह साल से कुछ अधिक हुए, भूदान-यज्ञ का आन्दोलन चल रहा है। तेलगाना में भूमि के मालिक और भूमिहीन दरिद्रो के बीच विद्वेष, विवाद आदि के कारण जो भयावह परिस्थिति उपस्थित हुई थी, उसीको शान्त करने की चेष्टा में से ही भूदान-यज्ञ का प्रारम्भ हुआ था। तेलगाना में जब प्रेम से माँगनेभर से ही हजार-हजार एकड भूमि मिली, तब उसके फलस्वरूप वहाँ की अशान्ति मिट गयी।

क्रान्ति† (विप्लव) का एक विशेष लक्षण यह है कि वह एक बात को लेकर शुरू होती है लेकिन क्रमशः और क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैलती हुई अन्त में वह सर्वग्रासी हो उठती है। अन्त में वह ऐसा रूप लेती है, जो सम्भवत प्रारम्भ में क्रान्ति के स्रष्टा की भी कल्पना में नहीं था या स्पष्ट नहीं था। आचार्य कृपालानी ने गया-सर्वोदय-सम्मेलन में भूदान-यज्ञ की वैप्लविक प्रकृति के बारे में आलोचना करते हुए विप्लव के इस लक्षण की

---

† विप्लव के बदले क्रान्ति शब्द प्रयोग करना ठीक है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में जो पार्थक्य है, उसके लिए "भूदान-यज्ञ क्या और क्यों" पुस्तक का (तृतीय सस्करण) पृ० ५६ देखिये।

तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया था। बुद्धदेव ने निर्वाण का पथ आविष्कार किया। वह था धार्मिक काम। लेकिन उसमें क्रान्ति का बीज छिपा हुआ था। इसीलिए वह जीवन के और क्षेत्रों में भी फैला। नये राज्य की सृष्टि हुई, नयी समाज व्यवस्था बनी, नयी संस्कृति ने रूप लिया। महात्मा गांधी ने भी राजनैतिक क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। उन्होंने एक नये साधन से वैदेशिक शासन के हाथ से देश को आजाद करना चाहा। लेकिन वह नया साधन ही क्रान्तिमूलक था। इसीलिए उसीकी भूमिका पर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देश की आजादी का पथ उन्होंने दिखाया है। इसी प्रकार एक स्थानीय कलह को शान्त करने के लिए ही भूदान-यज्ञ का उद्भव हुआ जरूर था, लेकिन उसमें क्रान्ति का बीज, सर्वोदय का बीज छिपा हुआ था, इसीलिए वह आज हमारे सामूहिक जीवन में भी सर्वव्यापी और सर्वगामी हो गया है।

गाँव को अर्पण करने का, गाँव का सर्वस्व गाँव को समर्पण करने का आह्वान होगा और वह आह्वान कल्पनातीत रूप में सफल होगा। और तिस पर भी केवल एक गाँव ही नहीं—बल्कि पूरी जमींदारी (पचास से ज्यादा गाँवों का समूह) भी दान में मिलेगी। इसके अलावा 'तालुका दान' का शुभ संकल्प लेकर उसके लिए ऐकान्तिक प्रयत्न और आन्दोलन चलेगा। आन्दोलन की शुरू की अवस्था में किसीको कल्पना नहीं थी कि भूदान-यज्ञ ज्यादा दिनों तक समतल भूमि पर ही चलेगा या आरोहण में बदल-कर क्रान्ति-गिरि चढ़ते चढ़ते उसके शिखर पर पहुँच जायगा। इसी-लिए अशान्ति को दमन करने के लिए जिस भूदान-यज्ञ का आरम्भ हुआ और भूमि-समस्या-समाधान के लिए जिसे व्यापक किया गया, वही आज मालिकी-विसर्जन करने के स्तर पर पहुँचा है और उसीकी भूमिका पर देश की काया पलटने का काम आरम्भ हुआ है। सर्वोदय की समस्त दिशाएँ इसी रंग से रँग गयी हैं। "गाँव में भूमि का मालिक कोई नहीं होगा"—क्रान्ति की यह महान् ध्वनि चारों दिशाओं में ध्वनित हो रही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि भूदान-यज्ञ के होता विनोबाजी के मन में समग्र ग्रामदान की कल्पना प्रारम्भ से ही थी या नहीं? बहुतों के मन में यह जानने का कौतूहल हो सकता है। ग्रामदान का सुस्पष्ट चित्र विनोबाजी के मन में न भी हो, लेकिन भूदान-यज्ञ की भूमिका पर गाँव एक परिवार हो उठेगा—यह कल्पना प्रारम्भ ही से उनके मन में थी। आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में उन्होंने कहा था—"मैं छोटे परिवार नहीं चाहता। मैं बड़ा परिवार बनाने जा रहा हूँ। मैं समग्र गाँव को एक परिवार के रूप में गढ़ना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए मेरा आन्दोलन अग्रसर हो रहा है और जब तक सफलता नहीं मिलती, यह आन्दोलन चलता रहेगा।" इस पर से हम सोच सकते हैं कि ग्रामदान उनकी कल्पना में शुरू से ही था। लेकिन यह उनकी कल्पना में होने पर भी उन्होंने शुरू से ग्रामदान पर जोर नहीं दिया। एक महान्

भाव को अन्तर में पोसना या उसे व्यक्त करना एक बात है और उसे वास्तव में परिणत करने की चेष्टा करना और बात है। ग्रामदान माँगने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होना चाहिए, तभी ग्रामदान माँगना सम्भव हो सकेगा। विनोबाजी का कहना है कि 'पहले-पहल बालकों को अ आ, क ख सिखाया जाता है। उस समय कोई यह नहीं कहता कि इसका क्या होगा? क्योंकि भविष्य में पुस्तक पढ़ने के लिए ही उसका प्रयोजन है। अ आ, क ख सीख लेगा, तभी तो पुस्तक पढ़ सकेगा। इसीलिए भूदान यज्ञ में शुरू-शुरू में थोड़ी-थोड़ी जमीन देने पर भी वह ले ली जाती थी। लेकिन बाद में जमीन का छठा हिस्सा माँगने लगे। अर्थात् कुछ-कुछ पुस्तक पढ़ना सिखाया जाने लगा। और अब ग्रामदान माँगा जाता है। शुरू से ही अगर ग्रामदान की आवाज उठाते, तो यह बात हवा में उड़ जाती। लोक-शक्ति को देखकर ही काम को बढ़ाना चाहिए। एकआध ग्राम दान में मिल जाने पर और आसपास के गाँवों का पूर्वरूप ज्यों का त्यों रहने पर ग्रामदान टिक नहीं सकता। इसीलिए ग्रामदान के साथ साथ तालुकादान और समूहदान की बात भी कही जाती है।

उनकी पद-यात्रा का उद्देश्य होगा भूमि-क्रान्ति। १९५३ की ३० जनवरी (महात्मा गाधीजी का महाप्रयाण दिन) के दिन उडीसा मे पहला ग्रामदान हुआ। कटक जिले का मानपुर गाँव देश का पहला ग्रामदान है। इसके बाद कोरापुट जिले मे ग्रामदान का वातावरण पैदा हुआ और १९५५ की २६ जनवरी को, जिस दिन विनोबाजी ने पश्चिम बगाल से उडीसा मे शुभ पदार्पण किया, उसी दिन तक कोरापुट जिले मे २६ गाँव दान मे मिल गये थे। इसके अलावा तब तक बालेश्वर, मयूरभज, गजाम, सबलपुर जिलों में भी कुछ गाँव दान में मिले थे। इस तारीख तक उडीसा में सर्वस्वदानी गाँवो की सख्या ८० थी। इसके बाद उडीसा मे विनोबाजी की पदयात्रा जितनी दक्षिण की तरफ बढने लगी, उस प्रदेश के दक्षिण प्रान्त के गजाम और कोरापुट जिले में उडीसा के सभी कार्यकर्ताओ का उतना ही समय, शक्ति और मनोयोग केन्द्रित होने लगा। इससे कोरापुट जिले में ग्रामदान की अवस्था उत्तरोत्तर उन्नति करने लगी। पहले ही से कोरापुट जिले में ग्रामदान का वातावरण बहुत कुछ बन ही गया था। इसके अलावा कोरापुट जिले मे विनोबाजी की पदयात्रा के अतुलनीय प्रभाव के साथ उस प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओ के सगठित, एकनिष्ठ प्रयत्न ने मिलकर वहाँ एक ऐसा अपूर्व वातावरण पैदा कर दिया, जिससे कोरापुट जिले को भारतवर्ष में भूमि-क्रान्ति का सबसे पहला दृष्टान्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्य जिलो मे से भी कुछ भूमिदान मिलने लगा। १९५५ की २ अक्तूबर को जिस दिन विनोबाजी ने उडीसा की पदयात्रा समाप्त करके आन्ध्र-राज्य मे प्रवेश किया, तब तक उडीसा मे कुल ८१२ गाँव दान मे मिले थे, इनमे से केवल कोरापुट जिले का दान ही ६०६ गाँव थे।

जो सेनापति अपनी विजय को मजबूत करके फिर नयी विजय के लिए अग्रसर होता है, वही कुशल सेनापति समझा जाता है। यही उत्तम रण-कौशल है। विनोबाजी अत्यन्त कुशल सेनापति है, इसीलिए उन्होने अपनी इस अपूर्व विजय को मजबूत करने की व्यवस्था किये बिना उडीसा

नही छोडा। समग्रदानी गाँवो का भूमि-वितरण समाप्त करके ग्राम-सगठन का काम सुव्यवस्थित करने के बाद ग्रामराज स्थापित करने की तरफ अग्रसर होना ही ग्रामदान को मजबूत करने का एकमात्र उपाय है। विनोबाजी ने उडीसा छोडने के समय कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहो के सगठन का काम सुव्यवस्थित कर दिया। सर्व-सेवा-सघ के सुयोग्य मत्री, निपुण सङ्गठक और प्रख्यात सङ्गठनकर्ता श्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे ने स्वय कोरापुट जिले के समग्रदानी ग्राम-समूहो के सगठन के काम का दायित्व ग्रहण किया।

विनोबाजी के उडीसा से चले जाने के बाद भी वहाँ ग्रामदान का आन्दोलन अक्षुण्ण रूप से चलने लगा। उनके जाने के बाद चार महीने मे ही उडीसा मे और २५० गाँव दान मे मिले। ग्रामदान की हवा क्रमश और जिलो मे भी फैल गयी और इस राज्य के १३ जिलो मे से १० जिलो से ग्रामदान मिलने लगा। गत १९५६ की १५ दिसम्बर तक उडीसा मे ग्रामदान की कुल सख्या १५७५ हो गयी, जिसकी जिलावारी सख्या इस प्रकार है (१) कोरापुट १२२६, (२) बालेश्वर १८५, (३) मयूरभंज ६२, (४) गंजाम ५४, (५) सम्बलपुर १२, (६) सुन्दरगढ १५, (७) केउन्झर २, (८) ढेकानाल १, (९) पुरी १७, (१०) कटक १। इसके बाद के साढे चार महीना मे अर्थात् १९५७ के अप्रैल तक उडीसा मे और भी २१७ गाँव दान मे मिले। इस प्रकार १९५७ के ३० अप्रैल तक उडीसा के समग्रदानी गाँवो की कुल सख्या १७९२ हो गयी। उडीसा के गाँवो की औसत जन-सख्या तीन सौ से कुछ ज्यादा है। जो सब समग्रदानी गाँव वहाँ मिले है, वे अपेक्षाकृत छोटे है। इन सब समग्रदानी गाँवो की जन सख्या प्रति गाँव १२० है। इनमे से सबसे बडा गाँव कोरापुट जिले का कारका गाँव है। इसकी जन सख्या ९०० है। सबसे छोटा गाँव लिंगा है, उसकी जनसख्या सिर्फ ८ है। जिन गाँवो मे अधिकांश किसान, मजदूर और छोटे छोटे कारीगर आदि एक श्रेणी के लोग रहते है, शुरू शुरू मे ऐसे ही गाँवो का ग्रामदान के रूप मे मिलना स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर ये सब गाँव आदिवासियो के गाँव हो,

तब तो यह बात दान के पक्ष में और भी अनुकूल है। उड़ीसा मे कोरापुट मे और अन्यत्र जो सब गाँव दान मे मिले है, उनमें से अधिकाश गाँव आदिवासियों के गाँव है और उनमे एक ही जाति के आदिवासी बसते है। लेकिन ऐसे बहुत से गाँव मिले है, जो आदिवासियो के गाँव नहीं है अथवा जो मिश्र गाँव है अर्थात् जिनमे आदिवासियो के अलावा अन्यान्य श्रेणी के लोग भी बसते है। ऐसे गाँव कोरापुट जिले मे १५० से कुछ ज्यादा और बालेश्वर जिले में ८० से ज्यादा मिले है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उस पर से यह धारणा करना गल्त है कि जिन गाँवों में शिक्षित लोगों की बस्ती या जिन गाँवों मे जमीन की कीमत ज्यादा है, वे सब गाँव ग्रामदान आंदोलन मे योग नहीं देगे। लेकिन अनेक लोगों के मन में यह सशय था। वे लोग सोचते थे कि कोरापुट जिले के आदिवासी लोग वनवासी, सरल और सभ्यता की पहली सीढी पर ही हैं और दरिद्र तथा बेकार लोगो का क्षेत्र है। तिस पर यहाँ की जमीन अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और उसकी कीमत भी कम है। इसीलिए यहाँ पर व्यापक रूप में गाँव दान में मिले हैं और मिल भी रहे है, लेकिन इसमें भूदान-यज्ञ का विशेष हाथ नहीं है। उनकी धारणा थी कि जहाँ जहाँ जमीन की कीमत ज्यादा है या जहाँ सभ्य और शिक्षित लोगो की बस्ती है, वहाँ से ग्रामदान पाने की कल्पना करना वृथा है। लेकिन वे लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सके कि जब युग की पुकार आती है, तब चुप बैठे रहने की क्षमता किसीमें नहीं रहती। आज या कल उस पुकार का जवाब देना ही होगा। वे लोग यह नहीं सोच सके कि विप्लव का आरोहण एक बार आरभ होने के बाद वह उच्चतम शिखर तक पहुँचे बिना नहीं रहेगा। विनोबाजी उडीसा से आन्ध्र गये। वहाँ भी कितने ही गाँव मिले, लेकिन इससे सशयाच्छन्न लोगो का सशय नहीं मिटा। आन्ध्र का भ्रमण समाप्त करके वे तमिलनाड मे गये। तमिलनाड में मदुरा जिले ने ग्रामदान-आंदोलन में अभूतपूर्व योग मिला। मदुरा जिले मे आधुनिक शिक्षित लोगो की प्रचुर बस्ती है और जमीन भी उत्तम श्रेणी की है—

साल में तीन फसलें होती हैं। मदुरा जिले की आधुनिक शिक्षित जनता अपनी तीन फसली मूल्यवान् जमीन के ग्रामसमूह दान करने लगी। इस प्रकार मदुरा जिले में जब व्यापक रूप से ग्राम दान में मिलने लगे, तब संशयी लोगों को भी विश्वास होने लगा कि ग्रामदान संभव है। इस बारे में विनोबाजी ने जो कुछ कहा है, वह ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं—"जब छठा भाग दान में माँगा जाता था, तब अर्थशास्त्री कहते थे कि ५/६ भाग तो मालिकों के हाथ में रह गया। इसका अर्थ यह कि आपके आंदोलन के कारण मालिकाना और भी पक्का हो गया। इसके बाद जब हम ग्रामदान माँगने लगे, तब लोगों के लिए इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ कहने लगे—काम तो अच्छा ही है, लेकिन ग्रामदान देने कौन बैठा है। इस प्रकार की निंदा-सूचक बातों का अभाव नहीं है। बेकारी की हालत में लोगों में निंदा करने की झख पैदा हो जाती है, क्योंकि बेकार होने की वजह से दिमाग जोरों से काम करता है। इसीलिए मैं इन सब समालोचनाओं का कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। तिस पर जब ग्रामदान व्यापक रूप में मिलने लगा, तो लोग कहने लगे—ये कोरापुट के आदिवासियों के गाँव हैं। लेकिन मदुरा जिले में भी जब अनेक गाँव मिले, तब लोगों को विश्वास हुआ कि ग्रामदान असंभव चीज नहीं है।"

गॉव दान मे मिल चुके थे, जिसके कारण समग्र ताल्लुका दान होने के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा था। तिरुमगलम् ताल्लुके मे 'कल्लुपट्टि गाधी-निकेतन' नाम की ऐक सगठन करनेवाली सस्था है। वहाँ के सेवाकर्मी लोग कई साल से उस प्रदेश मे ग्राम-सगठन का काम करके ग्रामराज्य स्थापित करने के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। १४ जनवरी 'पोंगल' पर्व का दिन था। 'पोंगल' पर्व दक्षिण भारत का सबसे बडा धर्मोत्सव है। इस दिन मदुरा जिले के सभी कार्यकर्ताओ ने 'गाधी-निकेतन' में इकट्ठे होकर तय किया कि तिरुमगलम् ताल्लुका के प्रतिनिधि मुख्य-मुख्य व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाकर ताल्लुका दान का सामूहिक सकल्प लेने की व्यवस्था की जायगी। इस प्रकार २५ जनवरी को तिरुमगल्म् के सब गॉवों से पॉच सौ प्रतिनिधि गाधी-निकेतन में जमा हुए और पूर्ण गभीरता के साथ सकल्प लिया कि वे एक हृदय होकर और आपस मे सहयोगिता करके अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगामी तीन महीनो में पूरा तिरुमगल्म् ताल्लुका विनोबाजी के हाथों मे सौंप देगे। उसी समय साधारण निर्वाचन के लिए प्रार्थी नाम-पत्र दाखिल करने की धूम थी। अतएव उसी समय एक तरफ तिरुमगल्म कलेक्टरी मे आनेवाले साधारण निर्वाचन के नाम पत्र पूरे करने और दाखिल करने के लिए योग्य प्रार्थियो की भीड जमा हो रही थी और दूसरी तरफ 'गाधी-निकेतन' मे महात्मा गाधी की प्रतिमूर्ति की छाया में बैठकर तिरुमगल्म ताल्लुका के पॉच सौ प्रतिनिधि शासनमुक्त समाज स्थापित करने के लिए समस्त ताल्लुका-दान करने का क्रान्तिकारी सकल्प ले रहे थे। इस विषमता की अनुभूति सचमुच ही प्रेरणादायक है। लेकिन उस समय कौन जानता था कि इस निर्वाचन-द्वन्द्व में से एक अद्भुत हलाहल इन वैप्लविक सकल्प को सफल करने की राह में एक भीषण बाधा के रूप मे उठ खडा होगा। इस बार के निर्वाचन मे बहुत-सी जगहो पर 'जातिगत' प्रश्न बडा प्रबल हो उठा था। इसको लेकर गॉव के लोगो में बहुत-सी जगह विवाद-विद्वेष पैदा हो गया। तिरुमगल्म् ताल्लुका भी इस विष के आक्रमण ने

नहीं बचा। इसके कारण वहाँ के गाँवों में विभिन्न जातियों के लोगों में कुछ आपसी मनमुटाव पैदा होने की वजह से तालुका-दान होने में विलम्ब हुआ। लेकिन १९५७ के अप्रैल तक तमिलनाड के जो कुल २१६ गाँव दान में मिले हैं, वे सभी मदुरा जिले में हैं। सम्पूर्ण तिरुमंगलम् तालुका दान न होने पर भी वहाँ से अब भी पृथक् रूप से गाँव दान में मिलते हैं। कालडी-सर्वोदय सम्मेलन के समय खबर मिली कि तिरुमंगलम् तालुका से और १६ नये गाँव दान में मिले हैं। मदुरा जिले सरीखे शिक्षित प्रदेश और जहाँ जमीन तीन फसली है, वहाँ से इतने अधिक गाँव दान में मिलना एक आश्चर्यजनक बात है।

लेकिन इससे भी संशयी लोगों का संशय-जाल नहीं टूट सकता। उन लोगों के मन में एक और संशय उठ सकता है। आज तक जो कुछ व्यापक ग्रामदान मिला है, वह विनोबाजी की पद-यात्रा के प्रभाव से ही मिला है। लेकिन विनोबाजी अकेले घूम-घूमकर अब और कितना ग्राम-दान संग्रह कर सकेंगे? इस प्रकार लाखों गाँवों का दान संग्रह करना तो उनके अकेले के लिए संभव नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से इस प्रकार ग्रामदान मिलना संभव नहीं है। ऐसे संशयी लोगों के बारे में विनोबाजी कुरान शरीफ की एक बड़ी सुन्दर उक्ति का उल्लेख करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा के अस्तित्व के बारे में जो व्यक्ति शक करता है, उसके सामने खुदा हाजिर हो जाय, तो भी वह सोचने लगता है कि क्या सचमुच यही खुदा है? लेकिन ग्रामदान के बारे में संशय करनेवालों के लिए अब और संशय की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में विनोबाजी ने अब तक प्रवेश नहीं किया, फिर भी वहाँ व्यापक ग्रामदान हो रहा है। साधारण कार्यकर्ताओं की सच्ची निष्ठा और सामूहिक प्रयत्न, यानी सामूहिक सेवा के द्वारा किस प्रकार विपुल फल-प्राप्ति हो सकती है, इस बात के लिए महाराष्ट्र के ग्रामदान का इतिहास एक ज्वलन्त दृष्टान्त है। महाराष्ट्र की [illegible] के जुलाई महीने में शुरू हुई। वह अगस्त

रूप से चलती रही। उसमे उस प्रदेश के सभी जिलो के कार्यकर्ताओ ने निष्ठा के साथ योग दिया। पहली परिक्रमा मे पश्चिम खानदेश जिले से २ गॉव मिले। इसके बाद नासिक जिले की पद-यात्रा मे ४ और थाना जिले की यात्रा में १६ गॉव दान मे मिले। इन तीन जिलो मे जो गॉव दान में मिले, वह आदिवासियों का प्रदेश है। इसके बाद विनोबाजी के कुलाबा जिले में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहाँ सिर्फ ८ दिन की पैदल यात्रा से ही २४ गाँव दान मे मिले। इन ग्रामदानी दाताओं मे अग्रेजी पढे-लिखे लोग भी है। इसके बाद रत्नागिरि जिले की पैदल यात्रा शुरू हुई। रत्नागिरि जिले के लोग शिक्षित, बुद्धिमान् और व्यवहारकुशल है। रत्नागिरि जिला लोकमान्यतिलक की जन्मभूमि है। लेकिन लोगो की जमीन के प्रति आसक्ति भी ज्यादा है। तिस पर भी पैदल यात्रा की समाप्ति के दिन शिविर में ५३ गाँव दान मे मिलने की घोषणा हुई। महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने २६ जनवरी तक एक सौ गॉव दान मे देने का सकल्प किया था। इस दान के मिलने से वह सकल्प पूरा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, कोल्हापुर जिले की पैदल यात्रा मे ५२ गाँवों का 'आजडा' तालुका नाम का पूरा तालुका दान के रूप में मिला है। यह विनोबाजी के अभिप्रेत तालुका-दान का प्रथम चरण है। इस प्रकार १६५७ के अप्रैल तक नवीन बबई-राज्य में कुल २२३ गॉव दान मे मिले।

और दूसरे ६ राज्यो में भी कुछ समग्र ग्रामदान हुआ है। इस प्रकार १६५७ के अप्रैल तक सारे भारतवर्ष में ग्रामदान की कुल सख्या २५०६ हो गयी। उनकी राज्यावली सख्या (१) आसाम ४८, (२) आंध्र ७५, (३) उत्कल १७६२, (४) उत्तरप्रदेश ६, (५) केरल* १२, (६) बिहार ८४, (७) बगाल ८, (८) नवीन बबई २२३,

---

* विनोबाजी केरल से ३०-६-५७ के एक पत्र में लिखते है

"केरल की चट्टानें टूट रही है। अब यहाँ (केरल) ग्रामदान की सख्या ५० के करीब हो गयी है।"

(९) तमिलनाड २१६, (१०) मध्यप्रदेश २१, (११) मैसूर ७, (१२) राजस्थान ११। कुल २५०९।

विनोबाजी ने अपनी दिव्यदृष्टि के बल पर घोषणा की थी कि उड़ीसा में उनकी पैदल यात्रा का उद्देश्य भूमि क्रांति है। वह सफल हुई है। क्योंकि १९५७ के अप्रैल महीने तक भारतभर में जो कुल २५०९ समग्र ग्राम दान में मिले हैं, उनमें से ७० फीसदी भाग गाँव अकेले उड़ीसा के हैं। इस पर उड़ीसा में जो गाँव दान में मिले हैं, उनमें से ७८ फीसदी गाँव एकमात्र कोरापुट में हैं। उस पुराने जमाने का कलिंग और इस युग का उड़ीसा सम्राट् अशोक के अहिंसा-मंत्र की दीक्षा लेकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास में परम गौरव के आसन पर प्रतिष्ठित है। उसी अहिंसा के पुजारी उड़ीसा ने इस युग में अहिंसक भूमि क्रान्ति का पहला उदाहरण देकर सांस्कृतिक इतिहास में और भी एक महान् कीर्ति उपार्जित की है।

जिस दिन मनुष्य पृथ्वी के सर्वोच्च स्थान हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करने में सफल हुआ, उस दिन लोग अवाक् होकर यह अद्भुत कहानी पढ़ने लगे। लोग सोचने लगे कि जगत में एक नयी आश्चर्यजनक घटना घटी है। चिरकाल से हिममण्डित एवरेस्ट पर आरोहण करने के लिए मनुष्य की दैहिक शक्ति, बुद्धि कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता थी। लेकिन जिस अद्भुत काम को पूरा करने के लिए दैहिक शक्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की जरूरत है, बुद्धि कौशल नहीं, बल्कि नैतिक बल की जरूरत है, विज्ञान बुद्धि नहीं, आत्मज्ञान की जरूरत है, और

गत मई और जून (१९५७) के महीने में विभिन्न प्रदेशों में निम्न प्रकार गाँव दान में मिले हैं

उत्तरप्रदेश १, केरल ३१, पश्चिम बंगाल ५, मध्यप्रदेश ५, मैसूर ६, राजस्थान [illegible] कुल [illegible]। इस प्रकार जून १९५७ के अन्त तक ग्रामदान की कुल संख्या [illegible] हुई।

जिस काम को पूरा करने के लिए मनुष्य के अन्तर के अन्तरतम प्रदेश में जमी हुई मोह की जड़ों को शिथिल करना है और हृदय को परिवार की संकीर्ण सीमा से बाहर विशाल क्षेत्र में फैलाना है और जिस अद्भुत काम को ढाई हजार से भी अधिक गाँवों के लाखों आदमियों ने पूरा किया है—वह काम क्या संसार में एक अभिनव आश्चर्यजनक घटना के रूप में गिनी जाने योग्य नहीं है? जिस दुनिया में मनुष्य एक बीघा जमीन के लिए दंगा-फसाद करते हैं, खून-खच्चर करते हैं, उसी दुनिया में थोड़े से समय के भीतर ढाई हजार गाँवों के सब लोगों ने स्वेच्छा से प्रेम के साथ अपना सर्वस्व समर्पण करके व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित कर दी है। जिस दुनिया में मनुष्य अपने स्त्री-पुत्र को छोड़कर और सबको 'पर' समझता है, उसी दुनिया में हजारों की संख्या में गाँव के गाँव एक परिवार की तरह हो रहे हैं और गाँव में परिवार की भावना दृढ़ हो रही है—इस आश्चर्यजनक वस्तु की तरफ देश के सब लोगों की आश्चर्यचकित दृष्टि गड़ी रहेगी या नहीं? लेकिन इस देश के लोगों में यह जानने और समझने के लिए वैसा आग्रह कहाँ है?

विनोबाजी ने एक और बात कही थी—"हम लोग उच्चतम शिखर के करीब पहुँच गये हैं। थोड़ा-बहुत जो कुछ बाकी रह गया है, वह बड़ी खड़ी चढ़ाई है। उसे पार करने में बड़ी तकलीफ होगी।' ढाई हजार गाँव दान में मिले जरूर हैं, लेकिन पाँच लाख तो अब भी बड़ी दूर हैं। गणितज्ञ हिसाब करके देखेंगे कि यदि चार साल में ढाई हजार गाँव मिले हैं तो पाँच लाख गाँव प्राप्त करने के लिए कितने साल लगेंगे। जवाब होगा—सैकड़ों बरस। लेकिन गणितज्ञ नहीं जानते कि क्रान्ति के गणित में इस प्रकार के त्रैराशिक गणित को कोई जगह नहीं है। क्रान्ति के गणित का त्रैराशिक इस प्रकार है कि यदि मुट्ठीभर लोगों के प्रयत्न से ढाई हजार गाँव दान में मिले हैं, तो कोटि-कोटि लोगों के जाग्रत होने पर और इस काम में लग जाने पर पाँच लाख गाँवों को दान में पाने के लिए कितना समय लगेगा? जवाब होगा—एक दिन। इसीलिए विनोबाजी क्रान्ति को

सफल करने के लिए तंत्र (संगठन) त्याग करके और आन्दोलन को निधिमुक्त करके जनता पर भरोसा किये हुए हैं और जनता-जनार्दन को जाग्रत करने के लिए अपनी पैदल यात्रा निरन्तर जारी रखी है। उन्होंने कहा है—“आन्दोलन को निधिमुक्त करके मैंने जनतात्मा के ऊपर विश्वास स्थापित किया है। अब मैं अपने-आपको समर्थ समझता हूँ। जनता और मैं देख लूँगा, इस बारे में मैं निस्सन्देह हूँ।’

• • •

ग्रामराज की स्थापना में ग्रामदान का स्थान : २ :

देश के पाँच करोड भूमिहीन दरिद्रों की भूमिहीनता दूर करने के लिए भूमिदान-यज्ञ में पाँच करोड एकड भूमिदान मे सग्रह करने का लक्ष्य स्थिर किया गया था और १९५७ के मध्य मे यह पाँच करोड एकड भूमि दान में सग्रह करने के लिए प्रयत्न चल रहा था। लेकिन कालडी में सर्व-सेवा-सघ ने प्रस्ताव पास किया, उसकी भूमिका पर कालडी-सर्वोदय-सम्मेलन (मई १९५७) ने सारी शक्ति ग्रामदान-आन्दोलन को सफल करने के लिए लगाने का आह्वान किया है। इसके द्वारा पाँच करोड एकड भूमिदान में सग्रह करने के सकल्प को टालना या उसे दबा देना हुआ या नहीं ?— यह सवाल अनेक लोगों के मन मे उठ सकता है। इस प्रकार आशङ्का करने का कोई सङ्गत कारण नहीं है। क्योंकि पाँच करोड एकड भूमि-दान सग्रह करने का सङ्कल्प पूर्ण होने से पहले ही भूदान-आरोहण ग्रामदान के स्तर पर पहुँचकर एक ऐसा व्यापक आकार धारण कर रहा है, जिससे उसकी सुदूर प्रसारी और क्रान्तिकारी सम्भावनाएँ सबके सामने सुस्पष्ट हो उठी हैं। ढाई हजार गाँवों के लोगों ने व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित करके अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। भूमि क्रान्ति सफल करने के लिए यही सबसे ज्यादा सहज और श्रेष्ठ उपाय है, यह बात सबके सामने सुस्पष्ट हो गयी है। जहाँ समग्र ग्रामदान के द्वारा देश की समग्र भूमि (तीस करोड एकड) पर से व्यक्तिगत मालिकी दूर करने का सङ्कल्प लिया गया, वहाँ आशिक-रूप से पाँच करोड एकड भूमिदान सग्रह करने का सङ्कल्प अपने-आप ही उसमें आ गया है। उसका पृथक् अस्तित्व न तो रहता ही है और न रहने का प्रयोजन ही है। स्थानीय परिस्थिति को देखकर कहीं-कहीं समय के अनुसार भूमिदान सग्रह करने का पृथक् कार्य चालू रखने का प्रयोजन होने पर गौणकार्य के रूप में ही वह चालू रहेगा।

ग्रामदान पर अब इतना जोर क्यो दिया जा रहा है ? इसका कारण

यह कि ग्रामदान-आन्दोलन ने भूमि-समस्या-समाधान के श्रेष्ठ उपाय के रूप में देश के सब राजनैतिक दलों और देश के विचारशील व्यक्तियों का समर्थन पा लिया है। कम्युनिस्ट-दल ने इससे पहले कभी सर्वोदय-सम्मेलन में भाग नहीं लिया। केरल-राज्य में आज कम्युनिस्ट-दल की सरकार है। पहले के सर्वोदय-सम्मेलनों के लिए सम्बोधित राज्यों की सरकारों ने जो सहयोग दिया था, कालडी-सम्मेलन के लिए केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी उसी प्रकार सम्मेलन के आयोजन वगैरह में सब तरह की सहायता और सहयोग दिया। उस समय विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। केरल के मुख्यमंत्री सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभ कामना प्रकट करने के साथ विनोबाजी के आन्दोलन के लिए समर्थन देते हुए पत्र लिखा। उनके मन्त्रिमंडल की तरफ से केरल सरकार के कानून-सचिव श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने सम्मेलन में भाग लिया और अपनी तरफ से और केरल सरकार की तरफ से सम्मेलन में वक्तव्य दिया। उन्होंने सम्मेलन के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की और देश की भूमि-समस्या के समाधान में विनोबाजी के बताये हुए रास्ते का समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ग्रामदान के माध्यम से प्रेम के रास्ते देश की भूमि-समस्या का समाधान किया जाय, तो सर्वोदय और साम्यवाद में कोई फर्क नहीं रहेगा। कांग्रेस साधारण रूप से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का समर्थन करती है। लेकिन अब तक नेहरूजी ने किसी दिन ग्रामदान-आन्दोलन के लिए समर्थन प्रकट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी कालडी-सम्मेलन से पहले (२६ अप्रैल १६५७ को) मसूरी में हुए उन्नयन कमिश्नरों के सम्मेलन में ग्रामदान के लिए समर्थन और अभिनन्दन प्रकट किया। समग्रदानी गाँवों के बारे में सरकार का क्या कर्तव्य होगा, यह उन्होंने समझाया। भाषण के दौरान में उन्होंने कहा—(अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट से) 'भूमि पर सबका बराबर का हक है'—विनोबाजी के इस आदर्श के साथ मैं एकमत हूँ।

"सहकारी खेती-योजना के लिए समग्रदानी गाँव सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत मालिकी मिट जाने के कारण सरकारी खेती-योजना में जो असुविधाएँ है, वे नहीं रहेंगी। समग्रदानी गाँव साफ स्लेट (Clear Slate) की तरह है।

"समग्रदानी गाँवों की समस्त पूँजी जमा करके सहकारी प्रयत्न से गाँव का विकास करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक है।

"मै सोचता हूँ कि समाज-विकास-आन्दोलन के द्वारा ग्रामदान और भूदान-आन्दोलन की जहाँ तक हो सके, सहायता और सहयोगिता करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। ग्रामदान और भूदान-आन्दोलन के बारे मे हमारी नीति होगी—सहयोगिता।"

अन्यान्य राजनैतिक दल और विभिन्न विचारशील व्यक्तियों ने ग्रामदान-आन्दोलन की प्रशसा और अभिनन्दन किया है। दु साध्य होने पर भी यदि किसी विषय मे सब एकमत हो जाएँ, तो वह दु साध्य विषय भी सहज बोध्य हो जाता है। आज देश की जो सबसे जरूरी और महत्त्वपूर्ण समस्या है, उसके समाधान के एक विशेष उपाय के सम्बन्ध मे जब इस प्रकार सब लोगो की शुभेच्छा और सहयोगिता का वचन मिला है, तब उसमे सबकी शक्ति नियोजित करने का सिद्धान्त न मानना ठीक नहीं होता।

राजनैतिक दल कानून और सीलिंग की व्यवस्था द्वारा भूमि-समस्या को सुलझाने के पक्षपाती है। तब वे लोग क्यो इस प्रकार ग्रामदान-आन्दोलन का समर्थन करते है? वह उनके कानून और सीलिंग-व्यवस्था मे बाधारूप होगा या नहीं? ग्रामदान भूमि-समस्या-समाधान करने के लिए सबसे ज्यादा व्यावहारिक, जटिलतावर्जित और पूर्ण रूप से त्रुटिविहीन रास्ता है यह बात सबके लिए सुस्पष्ट हो गयी है। इसीलिए ग्रामदान के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक है। इसके अलावा सम्भवतः वे लोग समझ गए है कि कानून और सीलिंग-व्यवस्था द्वारा भूमि-समस्या का समाधान करना जितना सहज मालूम देता था, वह उतना सहज नहीं है।

बल्कि वह बहुत ही मुश्किल रास्ता है, यह बात अनुभव में आ रही है। क्योंकि बहुत-सी जगह उसके द्वारा जटिलतर समस्या और मुकदमे-मामले की सृष्टि हो रही है।

लेकिन क्या उपर्युक्त दो कारणों के कारण ही ग्रामदान-आन्दोलन में सर्वशक्ति लगाने के लिए आह्वान हुआ है? ऐसी बात नहीं है, इसका एक और महत्त्वपूर्ण कारण है। वह यह कि समग्र ग्राम दान में न मिलने पर ग्राम-उद्योग की स्थापना करके गाँव को स्वावलम्बी बना सकना सम्भव नहीं है। अतएव गाँव की योजना या ग्राम-सकल्प सम्भव नहीं है। भूदान यज्ञ का उद्देश्य केवल भूमि की समस्या का समाधान करना ही नहीं है। ग्रामराज्य की प्रतिष्ठा करना ही भूदान-यज्ञ का उद्देश्य है। ग्रामराज्य की आर्थिक दिशा है गाँव का शोषण बन्द करना, गाँव को स्वावलम्बी बनाना और द्रोहरहित उत्पादक श्रम द्वारा गाँव की उन्नति करना। गाँव में भूमि के बराबर बँटवारे और ग्राम-उद्योग की प्रतिष्ठा द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। भूदान-यज्ञ मे आंशिक भूदान के द्वारा जिन सब गाँवों की भूमिहीनता दूर हुई है, वे सब गाँव ग्रामराज्य के पथ पर कहाँ तक आगे बढ सके है या बढ सकेंगे, इन सब बातों पर विचार करना उचित है और आज किसी भी साधारण गाँव की अवस्था कैसी है, यह भी जानना जरूरी है। गाँव के लोगों की जो जमीन है, उससे उत्पन्न फसल ही उस गाँव की एकमात्र या प्रधान आय है। आज गाँव मे कोई गृहशिल्प नहीं है। अनाज, दाले और कुछ तरकारी के अलावा रोज काम मे आनेवाली जो कुछ वस्तुएँ है, वे सब गाँव की जमीन से उत्पन्न फसल बेचकर बाहर से खरीद करनी पड़ती है। मान लो, किसी गाँव के कुछ लोगों ने अपने खेत मे कपास की खेती करके सूत कातकर अपने परिवार की जरूरत पूरी करके जो अतिरिक्त खद्दर पैदा किया, वह उन्होंने अपने पडोसी को बेचना चाहा। उनके पडोसी वह खद्दर खरीदेंगे या नहीं? पडोसी कहेंगे—हम लोगों को मिल की एक धोती २) मे मिलती है। इतनी ज्यादा कीमत देकर खद्दर क्यों खरीदें? मान लो, उनमें से एक पडोसी के पास ढेकी

(धान साफ करने की देशी ओखली) है। वह खद्दर तैयार करनेवाले से कहता है—"देखो, मेरी ढेंकी बेकार पडी है, तुम अपना धान हस्किंग मशीन मे साफ करने मत देना। मेरी ढेंकी से साफ करवा लो।" इसका वह क्या जवाब देगा? वह कहेगा—"मै प्रति मन ।=) देकर एक मन धान हस्किंग मशीन में साफ करवाता हूँ। ढेंकी से चावल साफ करवाने के लिए मन का १) लगेगा। मै ढेंकी से चावल साफ नहीं करा सकूँगा।" गॉव का एक आदमी घानी चलाने लगा। ज्यादा कीमत पर उसका तेल कोई नहीं खरीदेगा। सब सस्ते दामो मशीन का तेल खरीदेंगे। गॉव में एक भाई मिट्टी के बरतन तैयार करता है, लेकिन पडोसी सोचते है कि मिट्टी के बरतन जल्दी टूट जाते है। उन पर कुलजमा बहुत खर्च आता है। एल्यूमिनियम के बरतन और मशीन की बनी लोहे की कढाई इत्यादि व्यवहार करने पर कम खर्च लगता है। इसीलिए कुम्हार के बरतन कोई खरीदना नहीं चाहता। बल्कि जिसके पास जमीन ज्यादा है और जिसकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, वह तो खुद कोई ग्राम-उद्योग चलाने का प्रयोजन ही महसूस नहीं करता, उसकी निगाह तो सस्ते की तरफ रहती है। वह कुटीर-शिल्प की चीजे न तो तैयार करेगा और न खरीदेगा। इस प्रकार आज गॉव के लोग आपस में एक दूसरे के मारक हो रहे है। आज गॉव मे समाज नहीं है। गॉव के लोगो का समूह एक-दूसरे के हननकारियो की समष्टि है। लेकिन अगर उनकी बुद्धि खुले, तब वे आपस मे एक-दूसरे के मारक न होकर पूरक (सहायक) हो सकते है। अगर ढेंकीवाला चरखेवाले की खद्दर की धोती ५) मे खरीदे, तब खद्दरवाला प्रति मन १।।) देकर चावल साफ कराने मे नुकसान नहीं समझेगा। फिर घानीवाले का तेल अगर ढेंकीवाला खरीदे और उसकी घानी अगर बारहो महीने चलती रहे, तब वह खद्दर हो, चाहे मिट्टी के बरतन हो, सभी कुछ खरीदेगा और अपना धान भी ढेंकी पर ही साफ करायेगा। फिर अगर कुम्हार के मिट्टी के बरतन भी सब खरीदें, तो कुम्हार भी ज्यादा कीमत देकर और सब लोगो की चीजें खरीदेगा। इस प्रकार प्रत्येक एक दूसरे की चीजें खरीदे और प्रत्येक एक-

दूसरे को अपनी तैयार की हुई चीजें बेचे, तो मशीन की बनी चीजों से गाँव की बनी चीजों की कीमत ज्यादा होने पर भी उन्हें खरीदने में कोई नुकसान नहीं मानेगा। सभीका व्यवसाय चलेगा। सभीको काम मिलेगा और सभी जी सकेंगे। इस बारे में विनोबाजी ने अपनी अननुकरणीय भावभगी में कहा है—"मान लो, जुलाहे ने तेली का तेल खरीदा, उसकी कीमत कुछ ज्यादा है। इस कारण जुलाहे की जेब से तेली के घर में दो पैसे ज्यादा चले गये। इसके बाद तेली ने जुलाहे से कपडा खरीदा। जुलाहे के कपड़े की कीमत कुछ ज्यादा है, इसलिए तेली की जेब से जुलाहे के घर में भी कुछ ज्यादे पैसे गये। इससे क्या कोई नुकसान हुआ? इसके घर से उसके घर में दो पैसे ज्यादा गये और उसके घर से इसके घर में दो पैसे ज्यादा आये। जरूरत के मुताबिक दोनों को सहायता मिली। तब इसमें नुकसान क्या हुआ? तुम्हारे घर की लडकी दूसरे के घर गयी और दूसरे के घर की लडकी तुम्हारे यहाँ आयी। इसमें नुकसान की क्या बात हुई? इसमें तो दोनों का ही कल्याण हुआ और दोनों का कारबार चलता रहा। मेरी इस जेब से पैसा उस जेब में गया और इधर की जेब से पैसा उधर की जेब में आया। इससे मेरा नुकसान क्या हुआ? क्योंकि दोनों जेबें भी तो मेरी ही है।"

लेकिन किस प्रकार गाँव के लोगों में यह शुभ बुद्धि और सजीवनी शक्ति जाग्रत की जाय? सभी लोग मिलकर जब तक स्थिर न करें, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए गाँव को एक परिवार की तरह होना चाहिए और यह बात एकमात्र ग्रामदान के द्वारा ही सभव है। क्योंकि समग्रदानी गाँवों में भूमि पर से व्यक्तिगत मालिकाना मिट जाने के कारण गाँववासियों के अतर की स्वार्थबुद्धि की जड शिथिल हुई है और वे लोग अपने परिवार के बाहर के लोगों को अपने परिवार का समझने लगे है। अर्थात् सब लोगों में एक परिवार की भावना जाग उठी है। लेकिन जिन गाँवों में आशिक भूमिदान द्वारा गाँव के भूमिहीनों की भूमिहीनता मिटायी गयी है, वहाँ यह शुभ बुद्धि जाग्रत करना सहज-

साध्य नहीं है। क्योंकि वहाँ अभी भी व्यक्तिगत मालिकी की आसक्ति मौजूद है और प्रत्येक परिवार अपने-आपको अलग समझता है। हाँ, यह बात है कि साधारण गाँवों की अपेक्षा इन सब गाँवों का वातावरण कुछ अच्छा हुआ है और इन सब गाँवों में भूमिवान् लोगों के अन्तर में कुछ-कुछ करुणा का भाव भी जागा है। लेकिन समग्र गाँव मिलकर जब तक एक परिवार के समान नहीं होता, तब तक ग्राम-पुनर्गठन या ग्रामराज्य स्थापित करने का काम सहजसाध्य नहीं हो सकता। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं—"एक ही गाँव मे जुलाहा, किसान, चमार और तेली बसते है। लेकिन तेली के तेल का ग्राहक गाँव मे नहीं है। जुलाहे के कपड़ों और चमार के जूतों का ग्राहक भी गाँव में नहीं है। यह कैसी बात है? गाँव में इतने लोग बसते हैं, फिर भी इन सब चीजों के ग्राहक क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि 'यह मेरा गाँव है' इस प्रकार कोई नहीं सोचता। एक ही गाँव में रहने पर भी अगर 'मेरा इतना-सा कुटुम्ब है' इस प्रकार सोचा जाय, तब गाँव की उन्नति होना सम्भव नहीं है। गाँव के किसी एक घर मे माता निकले, तो सारे गाँव मे उसकी छूत लग जाती है। उसे नहीं रोक सकते। गाँव के एक घर में आग लगने पर पड़ोसी के घर में भी आग लग जाती है। उसे नहीं रोक सकते। इसलिए सम्पूर्ण गाँव मिलकर एक परिवार है—इस तरह की भावना अन्तर मे पोषण करो। तभी काम चलेगा। मान लो, इस जगह को साफ-सुथरी रखने की जरूरत है, इसलिए यहाँ भी दो घर के लोग जगह साफ करने लगे। लेकिन अगर दूसरे दो घरों के लोग यहाँ अपने छोरा छोरियों को पाखाना करने बैठाने लगें तब क्या जगह साफ रहेगी? जब इन चारों घरों के लोग सब मिलकर तय करेंगे कि हम यह जगह साफ रखेंगे, तभी जगह का साफ रहना सम्भव हो सकेगा। इसलिए गाँव का काम, गाँव की उन्नति और साथ-ही-साथ परिवार की भी उन्नति तभी सम्भव है, जब गाँव के सब लोग मिलकर, सारे गाँव के लोग मिलकर समग्र गाँव को एक परिवार समझने लगेंगे। ग्रामदान के द्वारा यह सुसाध्य होगा।

भूदान यज्ञ व्यापक ग्रामदान तक आगे बढ़ने के बाद अब यह बात समझ में आ रही है कि ग्रामदान होने के बाद ही ग्राम-सङ्गठन का काम अच्छी तरह हो सकेगा। केवल आंशिक भूदान के द्वारा यह सम्भव नहीं है।

इसके अलावा शराब और मुकदमे-मामलों की वजह से आज गाँवों की जो नैतिक अवनति और अपार धन की हानि हो रही है, उसे भी रोकना ग्रामदान हुए बिना सम्भव नहीं है।

गाँव के लोग खुद ही सरकार से निरपेक्ष होकर अपनी ही सामर्थ्य से गाँव का सारा काम-काज चलायेंगे—यह शक्ति और इस शक्ति की अनुभूति ग्रामवासियों में सहज ही जाग सकती है।

अतएव ग्रामराज्य की स्थापना करने के लिए ग्राम-योजना और ग्राम-सङ्कल्प के लिए ग्रामदान की एकमात्र आवश्यकता है। इसीलिए ग्रामदान ग्रामराज्य स्थापित करने की भूमिका है।

○ ● ●

ग्रामदान के छह फायदे : ३ :

समग्र ग्रामदान के छह फायदे है। जैसे (१) आर्थिक, (२) सास्कृतिक, (३) नैतिक, (४) आध्यात्मिक, (५) राजनैतिक और (६) सामाजिक।

१ **आर्थिक :** समग्र ग्रामदान के द्वारा व्यक्तिगत मालिकाना खतम हो जाने से और आर्थिक क्रान्ति हो जाने से गाँव की आर्थिक उन्नति करने का रास्ता साफ हो जाता है। गाँव की सारी जमीन एक हो जाने पर गाँव की श्रीवृद्धि होगी। क्योंकि (क) गाँव के लिए किस फसल की कितनी आवश्यकता है, इसका विचार करके गाँव के प्रयोजन के अनुसार अच्छी तरह सोच-समझकर उसकी खेती की व्यवस्था की जायगी। (ख) सम्मिलित प्रयत्न द्वारा कृषि की ठीक उन्नति की जायगी। (ग) सरकारी या बाहर की दूसरी सहायता मिलना सहज हो जायगा और व्यक्तिगत रूप से किसीको कोई ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी। ऋण लेने की जरूरत होने पर गाँव की तरफ से उसकी कोशिश की जायगी। (घ) गाँव की ओर से सिर्फ एक दूकान होगी। उसके जरिये प्रयोजन के अनुसार बाहर की चीजें खरीदी जायँगी और गाँव में जरूरत से ज्यादा जो चीजें पैदा होंगी, वे सब बाहर बेच दी जायँगी। इससे दूसरे की दूकान से खरीदते वक्त जो अधिक मुनाफा देना पड़ता था, वह अब न देना पड़ेगा। बेचने के वक्त गाँव की तरफ से बेचा जायगा, इसलिए ठीक दामों पर बिक्री होगी। (ङ) गाँव को प्रयोजनीय द्रव्यादि के लिए स्वावलम्बी बनाने के लिए गाँव में ग्राम उद्योग की स्थापना करना सहजसाध्य होगा। सारे गाँव की योजना बनाना और उसे सफल करना भी सहज हो जायगा।

२. **सांस्कृतिक** गाँव एक परिवार बनकर चलेगा। आपस में प्रेम भाव और सहानुभूति रहेगी। इस बारे में विनोबाजी कहते हैं—"अपने सुख या अपने दुःख में दूसरे के साझीदार हो जायँ, तो सुख बढ़ता है और दुःख की तीव्रता कम होती है। इसीलिए समग्रदानी गाँवों के रहनेवालों को

सुख बढ़ेगा और दुःख कम होगा। इसके अलावा समग्रदानी गाँवों में परिवारकेन्द्रित और व्यक्तिकेन्द्रित मनोवृत्ति दूर होगी और गाँववासियों की मनोवृत्ति खिलाड़ियों के दल सरीखी हो उठेगी। कोई खिलाड़ी अगर अकेला न खेलकर दल के सब लोगों के साथ और सबके सहयोग से खेलता है, तब उसे इसमें सबसे ज्यादा आनन्द मिलता है। समूह नृत्य में नर्तक की भी ऐसी ही अवस्था होती है। इसीलिए समग्रदानी गाँव के लोग एक परिवार की तरह परस्पर सहयोग से रहेंगे। इसीसे सबसे ज्यादा सुख पायेंगे और दुःख का कारण उपस्थित होने पर दुःख भी उन्हें कम होगा।"

३ **नैतिक** : जमीन की व्यक्तिगत मालिकी खतम होने के कारण समग्रदानी गाँवों का नैतिक दर्जा बढ़ेगा। झगड़ा-फसाद, मामले-मुकदमे खतम हो जायेंगे। चोरी-डकैती आदि बुरे आचरण फिर नहीं रहेंगे। विनोबाजी ने ग्रामदान से होनेवाले नैतिक फल के बारे में कहा है—"कोई क्या अपने घर में चोरी करता है? मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही पृथक् परिवार और पृथक् सम्पत्ति की सृष्टि की है। उसी व्यक्तिगत मालिकी के दोष से समाज का नैतिक ह्रास हुआ है। एक भिखारी दो-चार पैसे और कुछ साबुन के टुकड़े एक फटी थैली में जतन से बाँधे रखता था। इसी प्रकार कोई कई आने, कोई कई एक रुपये और किसीने हजारों रुपये अपनी अपनी थैली में रखे हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपना मन संकीर्ण किया है और अपना मकान भी संकीर्ण बनाया है। अर्थात् उसने अपने परिवार की धारणा को बहुत ही संकीर्ण कर रखा है। यही दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ है। जैसे ही भूमि और सम्पत्ति की मालिकी खतम हो जायगी, तभी लोगों की और समाज के नैतिक मान की उन्नति होगी, इसमें सन्देह नहीं। यही ग्रामदान का सबसे बड़ा फायदा है। तब सारा जगत आनन्द में नाचने लगेगा। लेकिन आज सारी दुनिया दुःखार्त है। इसका फल यह है कि दुःख बराबर बढ़ रहा है। अगर गाँव की भूमि और सम्पत्ति सब गाँव की ही हो जाय, तो संसार अपना नैतिक मान ऊँचा करने का एक रास्ता खोज पायेगा।"

४. आध्यात्मिक : लोग जब दिल से व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित करके ग्रामदान देते हैं, तब इसके फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता सुगम होता है। क्योंकि "यह मेरा घर है, वह मेरी जमीन है" इत्यादि 'मैं' 'मेरा' का बोध मनुष्य के बन्धन का मूल है। व्यक्तिगत मालिकी समाप्त होगी, तभी यह 'मैं' 'मेरे' का बोध शिथिल हो जायगा और मनुष्य की मुक्ति का रास्ता साफ होगा। इसी 'मैं' 'मेरे' के बोध को दूर करने के उपायस्वरूप मुनियों और ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करने और गृहत्याग कर संसार से दूर जाकर वास करने का उपदेश दिया है। इसीलिए संसार त्याग करके चले जाने की झोंक इस देश में है। लेकिन विनोबाजी कहते हैं कि सर्वस्व त्याग करके गृहत्याग करने से ही 'मैं' 'मेरे' का बोध खतम नहीं हो जाता। मुक्ति पाने का इस प्रकार का कोई सीधा रास्ता नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग करके चला जरूर जाता है, लेकिन अन्त में सम्भव है, लँगोटी पर उसकी आसक्ति रह जाय। इस निषेधात्मक रास्ते से मुक्तिलाभ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है—"साधारण रूप से जिसे घर कहते हैं, उसे अगर हम अपना घर मानने को राजी न हों, तभी हमारी मुक्ति का रास्ता सुगम होगा। हमारा यह ज्वलंत विश्वास होना चाहिए कि सारा गाँव हमारा घर है और जिस घर में हम साधारणतः वास करते हैं, वह केवल हमारे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। 'मैं किसीके लिए नहीं हूँ' और 'कोई मेरे लिए नहीं है'—इस भ्रान्त धारणा के कारण मुक्तिलाभ सम्भव नहीं है। 'मैं सबका और सब मेरे'—यह बोध होगा तभी मुक्तिलाभ होगा।"

५. राजनैतिक : समग्र ग्रामदान होने पर गाँव एक होकर चलेगा। गाँव के काम की गाँव ही व्यवस्था करेगा। गाँव का काम चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति या सहायता की जरूरत नहीं होगी। किसी भी बात के लिए गाँव में बाहर की शक्ति या सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। गाँव में कोई झगड़ा विवाद होने पर गाँव ही सबकी राय से उसका निपटारा कर लेगा। गाँव की शृङ्खला की गाँव ही रक्षा करता हुआ चलेगा। उसस

बाहर के कोई नियत्रण या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। सर्वोदय-समाज का अन्तिम लक्ष्य शासनमुक्त समाज है। उसका व्यावहारिक रूप होगा शासन-निरपेक्ष समाज। योग्यता और व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण द्वारा वह सफल होगा। समग्रदानी गाँव सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से विकेन्द्रित व्यवस्था के आधार और इकाई होंगे। यह ग्रामदान का राजनैतिक सुफल है।

६ **सामाजिक :** समग्रदानी गाँव मे सबका समान अधिकार माना जायगा। गाँव की भूमि और सम्पत्ति पर से व्यक्तिगत मालिकी खतम होने पर आर्थिक समानता की स्थापना होने का रास्ता सुगम होगा। इसके फल-स्वरूप गाँव मे अस्पृश्यता, जाति भेद आदि जो सब ऊँच-नीच के भेद-भाव मौजूद हैं, उसकी जडें ढीली पड जायेंगी और समाज मे सबकी समान मर्यादा प्रतिष्ठित होने का रास्ता भी सुगम होगा। यह ग्रामदान का सामाजिक फायदा है।

● ● ●

सबसे बड़ा फायदा : ४ :

ग्रामदान के कारण गाँव के लोगों के दिल मिलेंगे। समाज सङ्गठित होगा और शक्ति बढ़ेगी। सब लोग मिलकर उत्पादन बढ़ाने का उपाय खोजेंगे। गाँव में कभी झगड़ा-फसाद नहीं होगा। मामले-मुकदमों से गाँव को छुट्टी मिलेगी। सब मिलकर काम करेंगे। गाँव के किसी एक व्यक्ति को सुख या दुःख होने पर गाँव के सभी लोग सुखी या दुःखी होंगे। बाहर से सहायता मिलना सहज होगा। गाँव में कुटीर-शिल्प चलाना सहज होगा। अम्बर चरखे द्वारा खादी उत्पादन करने और गाँव की शिक्षा वगैरह की भी सुविधा होगी। गाँव के एक हो जाने पर गाँव के कल्याण के लिए सभी लोग सोचेंगे और उसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने का कोई-न-कोई उपाय निकलेगा। ग्रामदान से ये ही सब फायदे हैं। विनोबाजी कहते हैं—"लेकिन ये सब प्रथम कोटि के लाभ नहीं हैं। ग्रामदान का प्रथम कोटि का लाभ यह है कि अब तक गाँव के कुछ लोग खाना पाते थे और बाकी सब लोगों को उपवास करना पड़ता था। लेकिन अब अगर खाना मिलेगा तो सभीको मिलेगा और उपवास करने का मौका आया, तो सभी उपवास करेंगे। ग्रामदान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि गाँव के लिए सभीको उपवास करने का सुयोग मिलेगा।"

जब किसी गाँव के लोग अपने ग्रामदान के बारे में विचार करते हैं, तब ग्रामदान के द्वारा क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, इस बारे में वे लोग सोचते हैं। एक गाँव में ४० घरों में लोगों का वास है और उनमें १० घरों की जमीन है। जमीन का यह परिमाण गाँव के लिए पर्याप्त नहीं है। बाकी लोग मजदूरी करते हैं या भूखे रहते हैं। इन दस घरों के भूमिवान लोगों ने अपनी जमीन गाँव को समर्पित कर दी। अब कोई पूछ सकता है कि क्या इससे गाँव सुखी होगा? इससे क्या गाँव की आय बढ़ेगी? इस प्रकार के सवालों के जवाब में विनोबाजी कहते हैं—

"इस प्रकार सोचने का तरीका भ्रमात्मक है। बल्कि इस प्रकार सोचना ठीक है कि यदि हम इस लोग अपनी सारी जमीन गाँव को दान कर दें, तब हम गाँव के भाग्य के साथ अपना भाग्य भी एक कर देंगे। आज तो किसी किसीको उपवास करना पडता है और हम खुद पेट भर कर खाते है। ग्रामदान के बाद हमें भी अनाहार रहने का सुयोग मिलेगा। अगर खायेंगे तो सभी खायेंगे, नहीं तो कोई नही खायेगा। इसमें मानवता की शक्ति छिपी हुई है। लोग सोच-समझकर रामनवमी के दिन, शिवरात्रि के दिन या रमजान महीने में उपवास करते है। घर में सारी खाद्य-सामग्री है, फिर भी लोग इस प्रकार उपवास करते है। इस प्रकार उपवास करना मानवता के लिए हितकर समझा जाता है। लोग सोचते है कि इससे भक्ति-लाभ मिलता है। मेरी राय में रामनवमी, शिवरात्रि या रमजान के महीने में उपवास करने पर जितना भक्तिलाभ होता है, गाँव के लिए उपवास करने पर उसकी अपेक्षा अधिक भक्तिलाभ होता है।"

ग्रामदान करने पर अच्छा खाना, अच्छा कपडा मिल सकेगा अथवा सबकी अवस्था सुधरेगी—इस प्रकार सोचकर ग्रामदान देने की बात सोचना ठीक नहीं। क्योंकि इसमें दो बुराइयाँ है। पहली तो यह कि ग्रामदान के बाद गाँव के आशानुरूप श्री-वृद्धि साधित न हो सके, तो लोगों के दिल में हताशा का भाव जागेगा। दूसरी यह कि त्याग की अनुभूति अंतर में पोषित न करके अगर लाभ की आशा से ग्रामदान किया जाय, तब ग्रामदान के फलस्वरूप जो नैतिक शक्ति के लाभ की आशा की जाती है, वह भी व्यर्थ होगी।

ग्रामदान करते समय अगर ग्रामदान करनेवालो के मन में यह भावना हो कि "सबको न खिलाकर खुद नहीं खा सकूँगा", तब यही ग्रामदान का सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। ग्रामदान के कारण अगर खाना न मिले, तो किसीको खाना नहीं मिलेगा। वहाँ सभी लोग मिलकर खाद्य जुगाड करने की कोशिश करेंगे। इतने पर भी अगर खाने को न मिले, तो जिन लोगों को ग्रामदान से पहले अच्छा खाना मिलता था, वे मन में सोचेंगे कि

"आज महाशिवरात्रि है। आज उपवास करने के कारण उनका महापुण्य सचित हो रहा है।'

विनोबाजी ने इस विषय पर और भी प्रकाश डालकर बताया है कि सतान के लिए माँ को उपवास करना पडता है—यह माँ के लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात है। माँ खुद उपवास करके बालक को खिलाती है—यह गृहस्थाश्रम का वैभव है। अविवाहित युवक को अगर एक आम मिलता है, तो वह उसी समय उसे खा डालता है। लेकिन विवाह के बाद आम मिलने पर वह उसे अपनी सतान के लिए घर ले जाता है। गरीब आदमी विवाह करता है और विवाह के बाद उसकी आमदनी तो बढती नही। लडके-बच्चे हुए—अब ससार चले तो कैसे चले? उसके घर में सभव है, थोडा-बहुत दूध होता हो। विवाह से पहले वह खुद ही उसे पीता था। अब उसके लडके-बच्चे पीते है। खुद उसे दूध नहीं मिलता। इसका उसे कोई दुःख नहीं है। बल्कि इसमे उसे एक प्रकार का निर्मल आनद मिलता है। विवाहित व्यक्ति, जिसके कि बाल-बच्चे भी है, उससे अगर पूछा जाय कि विवाह के बाद उनकी आमदनी बढी है या नहीं, उन्हे अच्छा खाना मिलता है कि नहीं, तो १०० लोगो मे ९९ लोग जवाब देंगे कि विवाह के बाद उन्हें वैसा अच्छा खाना नहीं मिलता, लेकिन इसमे भी उन्हें आनद मिलता है। क्योकि इनने उन्हे त्याग करने का सुयोग मिलता है। ग्रामदान के बाद गाँव के लोगो की अवस्था भी ऐसी ही होगी। कम खाना मिलने पर भी वे विमल आनन्द की अनुभूति करेंगे। विनोबाजी कहते है

"मुझसे लोग पूछते है—ग्रामदान के बाद गाँव की पैदावार बढेगी क्या? अभी जिस प्रकार खाने पहनने को मिलता है, ग्रामदान के बाद इसकी अपेक्षा अच्छा खाना-कपडा मिल सकेगा क्या? मै कहता हूँ—इस प्रकार कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। मै सिर्फ इतना वचन दे सकता हूँ कि ग्रामदान के बाद आप लोगो के गाँव में जो लोग दुःखी है, उनके दुःख मे भाग लेने का सुयोग आप लोगो को मिलेगा। ● ● ●

ग्रामदान मे तीन विचारधाराओं का समावेश : ५ :

भूदान-यज्ञ इस युग का युग-धर्म है। वह अब ग्रामदान के स्तर पर पहुँच गया है। ग्रामदान इस युग की क्रान्ति का वाहन है। जिस युग में युग की जो मॉग होती है, युग की जो पुकार होती है, वह सब तरफ से विचारसम्मत मानी जाती है। इसीलिए ग्रामदान सब तरह से एक उच्च विचार है, ऐसा समझा जाता है। विनोबाजी कहते है कि ग्रामदान एक अत्यन्त उच्च विचार है, एक अनोखा आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार और एक पूर्ण वैज्ञानिक विचार है। अर्थात् इसमें धार्मिक, अर्थनैतिक और वैज्ञानिक—इन तीनो विचारधाराओं का समावेश हुआ है। विनोबाजी ने इन तीनो विचारो की कसौटी पर ग्रामदान के उद्देश्य की परीक्षा करके दिखाया है कि इन तीनो विचारधाराओं की दृष्टि से ही ग्रामदान एक ऊँचा विचार है।

१ धार्मिक विचार : किसीको भी दुःख या कष्ट हो, तो उसके दुःख मे भाग लेना, यह सभीके लिए उचित है। गॉव में अगर एक व्यक्ति को उपासा रहना पड़े, तो गॉव के सब लोगो को ही उपासा रहना चाहिए, अथवा यह करना उचित है कि जिससे किसीको उपवास न करना पड़े। अर्थात् कुछ कम खाकर भी उसे खिलाया जाय। यही मानव-धर्म है। ग्रामदान इसी धर्म को रूप देता है। ग्रामदान से यह धर्म किस प्रकार साकार हो उठता है, इसकी विनोबाजी ने एक अपूर्व उपमा दी है। फर्श पर एक राशि चावल पड़े है। उसमें से अगर एक सेर चावल उठा लिये जायॅ, तो उस राशि मे एक गड्ढा हो जायगा। लेकिन किसी कुऍ से यदि एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाय, तो उसमे कोई गड्ढा नहीं होगा। पानी की सतह पहले जिस प्रकार समतल थी, बाद में भी उसी तरह समतल रहेगी। फिर भी पानी की सतह जरा नीचे उतर जायगी। दोनो मे फर्क यह है कि पानी के बिन्दु-समूहो में परस्पर इतना

प्रेम है कि बाल्टी भरकर पानी लेने के समय जैसे ही गड्ढा बनने की तैयारी होगी, उसी समय जल के बिन्दु उस गड्ढे को भरने के लिए दौड़े आयेंगे। लेकिन चावल के दाने अपने-आपको अलग-अलग समझते हैं। दूसरे की सहायता के लिए वे आगे नहीं बढ़ते। दूसरे के दुःख से उदासीन रहते हैं। हाँ, उनमें भी ऐसे महान् हृदय के कोई कोई दाने होते हैं, जो गड्ढे को भरने के लिए छलाँग मारकर गड्ढे में पड़ते हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। बाकी सब चावल अविचलित रहते हैं। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं

"जिस समाज के लोग चावल की राशि की तरह हैं, उस समाज में धर्म नहीं है। जिस समाज में जलबिन्दु-समूह की तरह परस्पर प्रेम है, वहीं पर धर्म है।"

ग्रामदान के पीछे एक ओर धर्म विचार है। वह यह कि ग्रामदान के फलस्वरूप उपवास करने का सुयोग मिलेगा। दूसरे के दुःख में भाग लेने का मौका मिलेगा और इससे प्रत्यक्ष रूप से करुणा का आविर्भाव होगा। इस विषय पर पहले के प्रकरण में विशद रूप से आलोचना हो चुकी है।

२ अर्थनैतिक विचार विनोबाजी ने ग्रामदान की अर्थ-शास्त्रीय विचारधारा को भी एक सुन्दर उपमा द्वारा समझाया है। किसी भूमि में कहीं-कहीं ऊँचे टीले और कहीं-कहीं गड्ढे हैं—ऊँचे टीलों पर पानी पड़ने पर वह नीचे बह जाता है। इस कारण वहाँ फसल नहीं होती और गड्ढों में बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है, इसलिए वहाँ भी खेती नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऊँचे टीलों की मिट्टी खोदकर गड्ढों को भर दिया जाय, तो सारी जमीन समतल हो जायगी और उसमें खेती भी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इस बात को किसान लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज समाज में कहीं कहीं धन के पहाड़ और कहीं कहीं दारिद्र्य के गड्ढे हो गये हैं। इस प्रकार से समाज में धन-सम्पद् के

उत्पादन की वृद्धि होना सभव नहीं है। समाज की धन-सपत्ति एकत्रित करके अगर समता और सहयोगिता पैदा की जाय, तो उसके फलस्वरूप सपद् के उत्पादन की वृद्धि करना सभव होगा। यहाँ धन-साम्य का अर्थ सपूर्ण समानता नहीं है। हाथ की जिस प्रकार पाँच उँगलियाँ है, समाज मे भी वैसी ही समानता चाहिए। हाथ की पाँचो उँगलियाँ समान नहीं है, लेकिन निरी असमान भी नहीं है। वे कुछ छोटी-बडी है। समाज में जो धन-साम्य चाहिए, वह हाथ की पाँचो उँगलियो के समान होगा। हाथ की एक उँगली दो इच की और दूसरी दो गज की नहीं है। अगर ऐसा होता, तो हाथ से बाल्टी नहीं उठायी जा सकती। उँगलियाँ थोडी छोटी-बडी जरूर है, फिर भी वे करीब-करीब समान है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग शक्ति है, लेकिन सभी मिल-जुलकर काम करते है। उन्हे मिलना पडता है, तभी उनमे हजारो काम पूरे होते है। इसी प्रकार गाँव की धन-सपत्ति को एकत्र करना होगा। गाँव के सब लोगों के बीच ऐक्य होना चाहिए, उन्हे मिल-जुलकर काम करना चाहिए और उनमें सह-योगिता होनी चाहिए। तभी गाँव का कल्याण होगा और शोभा बढेगी। समग्रदानी गाँवों में यही हो रहा है। यह ग्रामदान का अर्थनैतिक विचार है।

ग्रामदान के अर्थनैतिक विचार की एक और दिशा है। उसके बारे में दूसरे प्रकरण मे आलोचना हो चुकी है। इसीलिए सक्षेप में यहाँ उसका उल्लेखमात्र किया जाता है। आज गाँव में गृह-शिल्प या कुटीर-शिल्प नहीं चल रहे है। कारण यह कि गाँव के लोग एक-दूसरे की पैदा की हुई चीजें नहीं खरीदते। सस्ते दामो मे मशीन की बनी चीजे खरीदते है। एक ही गाँव मे जुलाहा, तेली, चमार और किसान बसते है। लेकिन किसान का काता हुआ सूत जुलाहा नहीं लेता, वह मिल का सूत काम मे लेता है। क्योकि मिल के सूत से कपडा बुनकर वह ज्यादा कमाई कर सकता है। जुलाहे के तैयार किये हुए कपडे किसान नहीं खरीदता। वह मिल का बना सस्ता कपडा खरीदता है। इसके अलावा जुलाहा तेली का तेल नहीं खरीदता, वह मिल का सस्ता तेल काम मे लेता है। ऐसी हालत मे सभी

मर रहे हैं। लेकिन अगर एक दूसरे का तैयार किया हुआ सामान वे लोग खरीदें, तो उससे किसीका नुकसान नहीं होता। इससे जुलाहे के घर से अतिरिक्त दो पैसे तेली के घर में गये और तेली के घर से अतिरिक्त दो पैसे जुलाहे के घर में आये। दोनों में किसीको नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि एक व्यक्ति जिस प्रकार ज्यादा दाम पर खरीदता है, उसी प्रकार उसकी तैयार की हुई चीज को बेचते समय ज्यादा दाम उठते हैं। इस प्रकार दोनों का काम चलता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उसकी दुनिया, उसका घर अलग है। गाँव के लोग एक दूसरे को 'पर' समझते हैं। अगर गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भावना जाग्रत हो कि सभीके घर उसके घर हैं, गाँव के सभी लोग एक ही परिवार में वास करते हैं, तब ग्राम-उद्योग अपने-आप जी उठेंगे। गाँव स्वावलम्बी होगा और गाँव की श्री वृद्धि होगी। यही ग्राम-दान का अर्थशास्त्रीय विचार है।

३ **वैज्ञानिक विचार** आज विज्ञान का युग है। इस युग में अगर मिल-जुलकर काम न किया जाय, अलग अलग रहें, तब तो जीना ही असम्भव है। आज एक देश दूसरे देश की सहायता के बिना नहीं टिक सकता, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की सहायता के बिना नहीं चल सकता। इसी प्रकार एक गाँव दूसरे गाँव की और गाँव का एक परिवार दूसरे परिवार की सहायता के बिना टिक नहीं सकता। आज एक भी मनुष्य के लिए दूसरे की सहायता के बिना चलना असम्भव है। विनोबाजी जैसे कठोर स्वावलम्बनव्रतधारी सन्यासी के लिए भी दूसरे की सहायता के बिना चल सकना असम्भव है। इसलिए वे अपने बारे में कहते हैं

"मैं चश्मा व्यवहार करता हूँ। क्योंकि चश्मा पहने बिना मैं देख नहीं सकता और इस कारण मेरी पदयात्रा भी नहीं हो सकती। लेकिन यह चश्मा मैं नहीं बनाता। मैं लाइट स्लीपर व्यवहार करता हूँ। वह भी गाँव में तैयार नहीं होता। इस प्रकार हम अपनी जीवन-यात्रा में बहुत सी ऐसी

उनका ट्रस्ट है। और दूसरी यह कि लड़कों को जल्द से जल्द समर्थ बनाकर उनके हाथों में कारोबार सौंपना चाहते हैं। यह दो लक्षण ट्रस्टी के हैं। इसलिए फिलहाल बचा हुआ ट्रस्टी के तौर पर रखिये, ऐसा कहा गया और वास्तव में ग्रामदान ही होना चाहिए, यह बात समझाया गया।

भूदान पर लोग आक्षेप करते थे कि उसमें जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े पड़ जायेंगे। मेरा उत्तर था कि मैं जमीन के टुकड़े बनाने नहीं, बल्कि जो टुकड़े हो गये हैं, उनको जोड़ने आया हूँ। एक दफा दिल जुड़ जाय, फिर तो सभी जुड़ जायगा। चीन ने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े दे दिये लोगों को। उसके बाद फिर जोड़ने की बात चली। तो दिल जोड़ने का काम मुख्य है। वह हो जाय, तो बाकी सब चीजें उसके साथ हो ही जायेंगी। इसी तरह केवल फसल ही नहीं बढ़ानी है, गुण भी बढ़ाना है। दोनों बढ़ें, शरीर और आत्मा दोनों विकसित हों।

शुरुआत से ही अगर मैं ग्रामदान की बात करता, तो वह बननेवाली थी नहीं, और भूदान के परिणामस्वरूप ही ग्रामदान आ सकता है। भूदान में करुणा थी और ग्रामदान में सहयोग है और समता की एक कल्पना है। करुणापूर्वक ही समता आनी चाहिए। दूसरी कृत्रिम रीति से समता अगर आ गयी, तो वह कल्याणकारिणी होगी, ऐसा विश्वास नहीं है।

अब हमें पूरी कल्पना समझनी चाहिए कि ग्रामदान क्या है? अभी तक तो यह चलता था कि जमीनवाले जमीन दे दें, तो ग्रामदान हो गया। मैंने भी ऐसा ही चलाया शुरुआत में। फिर ध्यान में आया कि यह विचार गलत है। केवल जमीन देने से ग्रामदान नहीं होगा। लोगों ने कल्पना कर रखी है कि कुछ 'हैव्ज' हैं और कुछ 'हैव नाट्स'। पर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल-के-कुल 'हैव्ज' हैं। 'हैव नॉट्स' परमेश्वर की कृपा से दुनिया में कोई नहीं है। किसीके पास जमीन है, किसीके पास सम्पत्ति है, किसीके पास श्रम है, किसीके पास बुद्धि है, किसीके पास प्रेम है। कोई-न-कोई चीज हर किसीके पास पड़ी है और उस चीज का उपयोग वह अपने घर तक सीमित करता है। प्रेम की कमी है, सो नहीं। लेकिन प्रेम को कैद कर रखा है, घर में। घर के बाहर उसे नहीं। बाहर काम्पिटिशन है। तो अब यह सोचने की बात है कि इस तरह प्रेम को हम रोके रखते हैं घर के अन्दर, तो उसकी ताकत नहीं बढ़ेगा। ग्रामदान के अन्दर सिर्फ जमीन देना ही नहीं, श्रमिकों को, मजदूरों को समझना चाहिए कि आज तक हम अपनी मजदूरी घर के लिए खर्च करते थे, उसे हमारी मालकियत समझते थे लेकिन अब यह मजदूरी ग्राम को समर्पण करते हैं। तब वह ग्रामदान पूर्ण होगा। ग्रामदान का विकसित रूप यह है कि जिसके पास जो है, वह ग्राम को समर्पण करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों का देने का धर्म और कुछ लोगों से लेने का ही धर्म है, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही होता है, जो सबको लागू है। जैसे

भी नहीं कि पुराने औजार ही इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें नये-नये शोध करें।

फिर बात उद्योग की तालीम की आती है—ज्ञान के साथ कर्म की तालीम की। आज तो ऐसी भयानक हालत है कि किसान अपने पेट के लिए पूरा खाता नहीं और बच्चे को विद्या दिलाता है, कॉलेज में भेजता है। अब यह अगर ज्ञान तृष्णा होती, तब तो बड़ी अच्छी बात है। परन्तु वह चाहता है कि उसका बच्चा श्रम से बचे। परिणाम यह है कि बाप का बना लड़का करना नहीं चाहेगा। लाचारी में करे, वह अलग बात है। लेकिन उसमें उसको दिलचस्पी, रस नहीं रहेगा। इस वास्ते तालीम बदले बिना, ज्ञान और कर्म का योग किये बिना न उत्पादन बढ़ेगा, न देश के गुणों का विकास होगा, नये समाज में जो दो टुकड़े पड़ रहे हैं, वे जुड़ेंगे। उपनिषद् में कहा है "अन्नं बहु कुर्वीत तद् व्रतम्। यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात्।"—अन्न बहुत बनाओ, यह व्रत है, जिस किसी साधन या विधि से भी। हम दकियानूस नहीं हैं। हमने कहा है कि विज्ञान के साथ अहिंसा अर्थात् आत्मज्ञान जुड़ जाय, तो पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक लोग उद्योगों में लगने चाहिए, न कि खेती में। पर हरएक मनुष्य का सम्बन्ध खेती से आना चाहिए। मन को निर्विकार रखने में खेती के परिश्रम की जितनी मदद मिलती है, उतनी भजन पूजन से भी नहीं मिलती।

बात हिन्दुस्तान के किसान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ ग्रामदान हो गया वहाँ कम्युनिटी आ गयी हाथ में। फिर उसमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो सकता है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का वातावरण इसके अनुकूल बन रहा है।

● ● ●

परिशिष्ट ४

ग्रामदान-परिषद् की संहिता

ता० २२ सितम्बर को ग्रामदान परिषद् ने सर्वसम्मति से निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया:

"सर्व-सेवा-संघ के आमंत्रण पर मैसूर-राज्य के एलवाल स्थान में ता० २१-२२ सितम्बर, १९५७ को ग्रामदान परिषद् हुई। राष्ट्रपति ने अपनी उपस्थिति से परिषद् को गौरवान्वित किया। समस्त भारत के दूसरे ऐसे कुछ निमंत्रित व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनको इस आंदोलन में गहरी दिलचस्पी रही है।

"आचार्य विनोबाजी ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सामाजिक, आर्थिक समस्याओं, विशेषतः भूमि-संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसात्मक पद्धति को अपनाया। इस आंदोलन का प्रारंभ भूमिदान से हुआ और अब उसकी प्रगति ग्रामदान तक हुई है, जिसका अर्थ है, सारे गाँव की जमीन का 'गाँव-समाज' को दान। तीन हजार से अधिक ग्राम, ग्रामदान के रूप में वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा गाँव-समाज को अपनी इच्छा से दिये जा चुके हैं। उन्होंने भूमि पर से अपना निजी स्वामित्व विसर्जित कर दिया है।

भूमि समस्या के हल के लिए तथा सहकारी जीवन के लिए अनुकूल मानसिक वातावरण तैयार होगा। इस आंदोलन का आवश्यक लक्षण यह है कि उसका स्वरूप स्वेच्छाप्रेरित है और उसने अहिंसक प्रक्रिया को स्वीकार किया है। इस प्रकार (इस आंदोलन में) व्यावहारिक और आर्थिक लाभ तथा सहकार और स्वावलंबन पर अधिष्ठित समाज-व्यवस्था के विकास के साथ नैतिक दृष्टि का संयोग है। ऐसा आंदोलन सब तरह की सहायता और प्रोत्साहन का पात्र है।

"इस परिषद् में उपस्थित केंद्रीय और राज्य-सरकारों के सदस्यों ने ग्रामदान-आंदोलन की प्रशंसा करते हुए उसे सहायता करने की अपनी इच्छा प्रकट की और बतलाया कि संबद्ध सरकारों को अपनी भूमि-सुधार संबंधी योजनाओं की, जैसे—जमीन संबंधी सारे मध्यस्थ स्वार्थों का उन्मूलन, जोत की निश्चित सीमा का निर्धारण तथा जनता की सहमति से सहकारी आंदोलन के सभी पहलुओं की प्रगति करनी होगी। सरकार की यह कार्रवाई ग्रामदान आंदोलन के विरोध में नहीं है, बल्कि ग्रामदान आंदोलन से उसको समर्थन मिलता है।

"यह भी बतलाया गया कि सरकार की विकास खण्ड योजना और ग्रामदान आंदोलन के बीच घनिष्ठतम सहयोग वांछनीय है।

"परिषद् अपनी दो दिनों की बैठक की समाप्ति पर विनोबाजी के मिशन और उनके अहिंसात्मक तथा सहकारी उपायों से राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है और भारतीय जनता के सभी वर्गों से इस आंदोलन का उत्साहपूर्वक समर्थन करने की अपील करती है।"

परिशिष्ट [illegible]

ग्रामदान की 'अहिंसात्मक' और 'सहयोगी' पद्धति

स्वरूप उन्होंने देश को एक संहिता दी। उस संहिता में दो शब्द हैं, जो हमारे लिए द्विविध आशीर्वाद हैं। उसमें लिखा है कि विनोबा ने सामाजिक मसले हल करने के लिए जो अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति अपनायी है वह हमें मान्य है। उन्होंने हमारे काम में दो चीजें देखीं। एक तो यह कि इसकी पद्धति अहिंसात्मक है। यह प्राचीन आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि यह सहयोगी पद्धति है। यह आधुनिक आशीर्वाद है। इस तरह से उन्होंने उस संहिता में ये दोनों आशीर्वाद दिये। इसका अर्थ समझ लीजिये। अहिंसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे सर्वोदय के कार्य में जुड़ जाती हैं।

सर्वोदय का अर्थ दकियानूस नहीं

अहिंसात्मक पद्धति, आत्मा की एकता के अनुभव पर आधार रखती है। वह आध्यात्मिक विचार है। सहयोगी पद्धति विज्ञान पर आधार रखती है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग सर्वोदय में हुआ है। इसकी पहचान नेताओं को हुई। हम समझते हैं कि साढ़े छह साल तक जो आन्दोलन चला, उसका सर्वोत्तम फल हमें इस परिषद् में मिला। हम यही कहते थे कि सर्वोदय का विचार, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों मिलकर बनता है।—कुछ लोग समझते थे कि सर्वोदय का अर्थ दकियानूस है। ये लोग किसी प्रकार के वैज्ञानिक शोधों की कीमत ही नहीं समझते हैं। ये लोग मिल से चरखे को पसन्द करेंगे, चरखे से तकली को पसन्द करेंगे, लोहे की तकली से लकड़ी की तकली को पसन्द करेंगे और उससे भी कोई अगर हाथ से सूत काते, तो उसे अधिक पसन्द करेंगे। इनका नाम है, सर्वोदयवादी। अब नेताओं के ध्यान में आया है कि इसमें वैज्ञानिक अंश है। पंडित नेहरू ने कहा है कि ग्रामदान स्थिर रह आया है यह एक बात है। दूसरी तरफ से इसकी आध्यात्मिकता तो जाहिर ही है। सर्वोदय की आध्यात्मिकता के विषय में किसीको कोई शक नहीं था। परन्तु इसकी वैज्ञानिकता के विषय में सन्देह था। अब दोनों

विषयों में निःसन्देहता हो गयी है और हमें दिव्य आशीर्वाद हासिल हुआ है।

वैज्ञानिकता शून्य अहिंसात्मक योजना

वैज्ञानिकता के अभाव में अहिंसात्मक, आध्यात्मिक योजना कैसी होगी, इसकी हम एक मिसाल देते हैं। चीन में लाओत्से नाम के एक तत्त्वज्ञानी हो गये। उन्होंने आदर्श ग्राम की एक कल्पना बतायी कि ग्राम में कुल चीजों में स्वावलंबन है, बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, ग्रामवाले ग्राम में सर्व प्रकार से परितुष्ट हैं। लेकिन गाँववालों को मालूम है कि नजदीक कोई गाँव होना चाहिए, बहुत करके होगा। यह शंका उनको इसलिए आयी, क्योंकि रात में दूर से कुत्तों की आवाज सुनायी देती है। गाँववाले अनुमान करते हैं कि नजदीक कोई गाँव जरूर होना चाहिए। यह है वैज्ञानिकता के अभाव में अहिंसात्मक योजना। उसमें कोई गाँव किसी गाँव को हिंसा नहीं करता है। कोई गाँववाला दूसरे किसी गाँव में किसीसे मिलने के लिए जाता ही नहीं। सम्पर्क की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम स्वराज्य की बात करते थे, तो यहाँ के नेता मानते थे कि ये लोग बहुत करके लाओत्सेवाली योजना करना चाहते हैं। यह उसका एक नमूना बताया।

आध्यात्मिकता शून्य वैज्ञानिक योजना

भी क्या पहचाना ? वे कहते हैं "जी हाँ, हमने पहचाना।"—"क्या पहचाना ?"—"यह पहचाना कि बैलों को पेटभर खिलाना चाहिए।" यह है, रूसी कम्युनिज्म। हरएक को खाना पूरा मिलना चाहिए। हर आदमी योजना नहीं करेगा, योजना सरकारी बनेगी, तदनुसार सबको काम करना पड़ेगा। खाने-पीने के बारे में बैलों की कोई शिकायत हम नहीं रहने देंगे। आध्यात्मिकता के अभाव में वैज्ञानिक योजना कैसे बनती है, इसका यह नमूना है।

सर्वोदय में दोनों पद्धतियों का समन्वय

लाओत्सेवाली योजना और स्तालिनवाली योजना, ऐसी दो योजनाएँ हमने आपके सामने रखीं। सर्वोदय की योजना है अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति। लाओत्से की योजना को अहिंसात्मक विशेषण लागू होता है। और स्तालिन की योजना को सहयोगी योजना कह सकते हैं। हमारे ग्रामवालों ने यह जो संहिता बनायी, उसे 'अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति' का नाम दिया है।

परिशिष्ट . ६

संहिता का आदेश !

सर्व-सेवा-संघ के सामने हमने बात रखी है कि तुमको तो सारे भारत मे बिलकुल फैल जाना है और फैल जाने का वह कर्तव्य, नेताओं ने जा सहिता बनायी, उसमें आता है। यह मेरा उस सहिता का भाष्य समझ लीजिये। अ० भा० ग्रामदान-परिषद् के वक्तव्य की सहिता यह भी कह रही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम का और ग्रामदान के काम का सहयोग होना वाञ्छनीय है। इसका अर्थ यह है कि सहिता आपको हिदायत दे रही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट पाँच लाख गाँवों मे फैलनेवाला है, तो कल जब वह कम्युनिटी प्रोजेक्टवाला अधिकारी आपके सामने आयेगा और पूछेगा कि क्या आपके कुछ सुझाव इस पर हैं, तो क्या आप यह कहेगे कि हमारा तो वहाँ कोई मनुष्य ही नहीं है? इसका मतलब होगा, उस सहिता के आदेश का पालन आपने नही किया, उनके साथ आपने कोई सहयोग नहीं किया। जितने गाँवो मे वे फैले है, उतने गाँवों में आपको फैल जाना चाहिए, तब तो सहयोग होगा। अत कुल गाँव ग्रामदानी बनें। यह न हो, तो भी उसकी हवा जरूर फैले और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट इत्यादि योजना चले, उस योजना पर सर्वोदय का रग हो।

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

(विनोबा)

गीता-प्रवचन १)

शिक्षण-विचार १॥)

भूदान-गङ्गा

(छह खंडों मे) प्रत्येक १॥)

ज्ञानदेव-चिन्तनिका १)

जनक्रांति की दिशा मे ।)

गॉव-गॉव मे स्वराज्य =)

सर्वोदय के आधार ।)

एक बनो और नेक बनो =)

गांव के लिए आरोग्य-योजना =)

व्यापारियो का आवाहन

(परिवर्धित) ।)

शांति-सेना ॥)

(धीरेन मजूमदार)

समग्र ग्राम-सेवा की ओर

(दो खडों में) प्रत्येक १॥)

शासनमुक्त समाज की ओर ॥)

नयी तालीम ॥)

(जाजूजी)

संपत्तिदान-यज्ञ ॥)

व्यवहार-शुद्धि ।=)

(कुमारप्पाजी)

गांधी-आन्दोलन क्यों ? २॥)

स्थायी समाज-व्यवस्था २॥)

ग्राम-सुधार की एक योजना ॥।)

(दादा धर्माधिकारी)

सर्वोदय-दर्शन ३)

साम्ययोग की राह पर ।)

क्रांति का अगला कदम ।)

(ठाकुरदास बंग)

क्रांति की पुकार ।)

अपना राज्य ।=)

अपना गॉव ।=)

(अन्य लेखक)

नक्षत्रों की छाया में १॥)

भूदान-गंगोत्री २॥)

भूदान-आरोहण ॥)

श्रम-दान ।)

भूदान-यज्ञ क्या और क्यों ? १)

सफाई विज्ञान और कला ॥।)

सुन्दरपुर की पाठशाला ॥।

गो-सेवा की विचारधारा ।)

पावन-प्रसग ॥)

सामाजिक क्रांति और भूदान ।-)

गाँव का गोकुल ।)

व्याज-बट्टा ।)

सत्संग ॥)

ताई की कहानियाँ ।)

नये अंकुर ।)

मानस-मोती ।)

जीवन-परिवर्तन (नाटक) ।)

पावन-प्रकाश (नाटक) ।)

भारतवर्ष एक विराट् देश है। उसकी समस्या भी विराट् और जटिल है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न मतवाद और विभिन्न राजनैतिक दल हो सकते हैं। इसलिए इस देश में तरह-तरह के राजनैतिक दल हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की कुछ मौलिक समस्याएँ हैं। इन सब मौलिक समस्याओं का समाधान न होने तक किसी मतवाद का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। इन सब मौलिक समस्याओं में सबसे जरूरी समस्या है, भारत की जनता का असहनीय दारिद्र्य और उसके साथ अंतर्ग्रंत रूप से जड़ित भूमिहीनता और बेकारी की समस्या। घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने की समस्या जिस प्रकार जरूरी है, भूमि समस्या का समाधान भी आज उसी तरह जरूरी हो गया है। कारण यह कि भूमि समस्या के समाधान होने पर ही उसकी भित्ति पर बेकारी और दरिद्रता की समस्या के दूर करने के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। गाँव में किसी घर में आग लगने पर गाँव के सब दलों और सब धर्मों के लोग जिस प्रकार भेदाभेद और दलभेद भूलकर आग बुझाने के लिए आगे आते हैं, उसी प्रकार भूमि की समस्या के समाधान के लिए भी सब दल और पथ के लोगों को दूसरे कामों को कुछ देर के लिए अलग रखकर, भेदाभेद भूलकर, मिलकर आगे आना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है।

अनेक प्रकार से भूमि समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी राजनैतिक दल यही सोचते हैं। विभिन्न राज्यों में कानून के जरिये भूमि समस्या का समाधान करने की चेष्टा चल रही है। लेकिन अब सब राजनैतिक दलों को यह बात समझ में आ गयी है कि कानून के द्वारा भूमि समस्या का समाधान करना जितना सहज समझते थे, वास्तव में यह उतना सहज नहीं है।

समग्रदानी गाँवों में संगठन-कार्य का दायित्व : ९ :

ग्रामदान के बाद गाँव की भूमि का ग्रामवासियो मे समान बँटवारा या न्यायसगत वितरण के बाद ग्रामनिर्माण-कार्य का दायित्व कौन लेगा ? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह विनोबाजी और सर्व-सेवा-सघ का दायित्व है। लेकिन विनोबाजी कहते हैं कि ऐसा क्यो होगा ? ग्रामदान सारे देश के हित के लिए है। इसलिए ग्रामदान होने के बाद उस ग्राम की उन्नति के बारे में चिन्ता करने का दायित्व सारा देश क्यों नहीं लेगा ? इन सब गाँवो के ग्राम-निर्माण के कार्य का दायित्व देश की विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ ही क्यों नहीं लेंगी ? इस बीच में समग्रदानी गाँवों की सख्या ढाई हजार से ऊपर हो गयी है। हजारों गाँव, हजारो ही क्यो, लाखों गाँव दान में सग्रह करने की योजना है। समग्रदानी गाँवो में ग्राम-निर्माण-कार्य को सघन रूप से करना किस प्रकार शक्ति और समयसापेक्ष है, यह कोरापुट के दृष्टान्त से समझ में आता है। आज पौने दो साल से कोरापुट में ग्रामनिर्माण का काम चल रहा है। देश के विभिन्न स्थानों से बहुत से त्यागशील और निष्ठावान् कार्यकर्ताओ ने आकर वहाँ के सेवा-कार्य में अपने-आपको लगाया है। सरकारी और बेसरकारी विभिन्न सस्थाओं का सहयोग और सहायता मिल रही है। लेकिन इससे भी अब तक सिर्फ २० केन्द्रो से २ सौ गाँवो में सगठन-कार्य चलाना सभव हुआ है। बाकी के १२ सौ गाँव करीब करीब एक-से पड़े हुए ह। ऐसी हालत में समग्रदानी गाँवो मे ग्रामदान की प्रतिष्ठा के लिए किस प्रकार रचनात्मक कार्य होना चाहिए, उसका नमूना तैयार करने के लिए सर्व-सेवा-सघ कोरापुट की तरह दो-एक जगह रचनात्मक कार्य का दायित्व ले सकता है। लेकिन हजारो गाँवो के रचनात्मक कार्य को करना या उसका दायित्व लेना विनोबाजी या सर्व-सेवा-सघ के लिए सम्भव नहीं

है। सारे देश को और देश की विभिन्न संस्थाओं को इस काम में भाग लेना होगा। सरकार पर भी इस काम का दायित्व है। ग्रामदान होने के बाद वहाँ अविलम्ब कुछ-न-कुछ काम करना बड़ा जरूरी हो सकता है। दृष्टान्त के लिए कोरापुट के ग्राम-समूहों की बात उल्लेखयोग्य है। महाजन से ऋण लिये बिना साधारण ग्रामवासी के लिए वहाँ खेती-बारी करना या दुष्काल में जीवन-निर्वाह करना सम्भव नहीं था। लेकिन ग्रामदान होने के बाद से वहाँ से पेशेवर महाजन दूर हट गये हैं। इससे जिस शून्य स्थान की सृष्टि हुई है, उसे अविलम्ब पूर्ण न कर सकें, तो एक अवर्णनीय दुर्दशा का सामना करना होगा। ग्रामदान एक संकट के समान लगेगा। ऐसी स्थिति में ग्रामदानी ग्राम-समूह की सहायता के लिए सरकार को आगे आना जरूरी है। जिन सब समग्रदानी गाँवों में सर्व सेवा-संघ अब तक आत्यन्तिक रूप से रचनात्मक कार्य आरम्भ नहीं कर सका, श्री अण्णासाहब का परामर्श लेकर उड़ीसा सरकार वहाँ कृषि ऋणदान, सामूहिक दूकान, मिट्टी संरक्षण आदि के लिए विकास विभाग के माध्यम से एक योजना तैयार करके शीघ्र ही अग्रसर होने का उपक्रम कर रही है। तमिलनाड में भी मद्रास सरकार ने समग्रदानी गाँवों में रचनात्मक कार्य की सहायता के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की है और अन्य रूप से भी रचनात्मक कार्य में सहायता कर रही है। लेकिन देश के विभिन्न स्थानों में जो कार्यकर्ता संस्थाओं को चलाते हुए विभिन्न रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं, उनका दायित्व [illegible] ।

• • •

रचनात्मक कार्य का सरकारी योजना से पार्थक्य : १० :

समग्रदानी गाँवों के विकास के लिए रचनात्मक कार्य हो रहा है। सरकार भी अपनी विकास-योजना के अनुसार विकास का काम चला रही है। ग्रामदानी गाँवो के विकास का काम और सरकारी विकास-योजना ऊपर-ऊपर से देखने मे एक-सी लग सकती है, लेकिन गहराई में उतर-कर देखें, तो वह एक-सी नहीं है। इन दोनो प्रकार के विकास के काम में जो फर्क है, उसे विनोबाजी ने विश्लेपण करके दिखाया है—

(१) विनोबाजी ने विनोद में कहा है .

"किसान बैल की सहायता से अपनी जमीन पर जुताई करता है। किसान बैल को खूब अच्छी तरह खिलाता है। लेकिन किस जमीन को किस प्रकार जोता जाय और किस जमीन से कौन-सी फसल पैदा की जाय, इस बारे में किसान बैलों से परामर्श या आलोचना नहीं करता। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं में जिनके लिए विकास का काम किया जाता है, उनके साथ विकास का काम करनेवाले कोई परामर्श या आलोचना करना जरूरी नहीं समझते। सरकारी दफ्तरों में योजना तैयार होती है और जनता पर थोप दी जाती है। जनता को उसीके अनुसार चलना पडता है। सरकारी योजना मे उनके सुख-स्वच्छन्दता की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जिनके लिए विकास-योजना की जा रही है, उनमे भी इस बारे में कुछ कहने की या परामर्श देने की बुद्धि है, यह सोचा भी नहीं जाता। दूसरी तरफ ग्रामदानी गाँवो की विकास-योजना इस प्रकार की जाती है, जिसमें ग्रामवासी ही योजना बनाने मे भाग ले सकते है। और इससे वे लोग यह सोचते है कि अपनी योजना वे खुद ही कर रहे है, अपने खुद के विकास का दायित्व भी वे ही ले रहे हैं। मनुष्य की खाद्य-वस्त्र की व्यवस्था ही

काफी नहीं है। जिससे मनुष्य की रचनात्मक शक्ति का विकास हो, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।"

साराश यह कि सरकार की योजना नेशनलाइज्ड प्लानिङ्ग है। अर्थात् दिल्ली मे सारे देश के लिए योजना तैयार की जाती है।

(२) सरकारी कृषि-विकास की योजना मे कृषि-क्षेत्र मे उत्कृष्ट पेगों का अनाज उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जो तमाम श्रमिक यह फसल उत्पन्न करते हैं, उन्हें वह खाने को नहीं दी जाती। ग्रामदानी गाँवों मे जो कुछ पैदा किया जायगा, उसे ग्रामवासी ही भोग करेंगे। अगर कुछ बच जायगा, तभी उसे बाहर भेजा जायगा। अर्थात् ग्रामदानी गाँवों की उपज पैदा करनेवालों के उपभोग के लिए है, बेचने के लिए नहीं है— (Production for consumption, not for sale)। इस नीति की भित्ति पर ग्रामदानी गाँवों के उत्पादन की व्यवस्था की गयी है।

विनोबाजी ने इस बारे मे एक सरकारी विकास-कृषि क्षेत्र की बात उल्लेख की है

और उसका प्रत्येक सिद्धान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायगा। इसमे शोषण को कोई अवकाश नहीं है। लेकिन सरकारी योजना मे पञ्चायत गठित की जाती है। बहुमत के वोट से उसका निर्वाचन होता है और बहुमत से उसका कार्यभार चलता है। परिणामस्वरूप गाँव मे जिनके पास धन-सम्पत्ति है और सरकार तक जिनका प्रभाव और पहुँच है, उनके हाथ में ताक्त आ जाती है। इससे शोषण बन्द नहीं होता। तब घर के लोग ही शोषण करते हैं, इतना ही फर्क है।

विनोबाजी ने परिहास करते हुए इस बारे में बताया है कि .

"अर्थात् इसके द्वारा प्रत्येक गाँव में लूटने की विकेन्द्रित व्यवस्था हो जाती है। लूटने के लिए बहुत दूर से लोगो के आने की जरूरत नहीं रहती। इसके लिए अपने-अपने गाँव के मुखिया (ग्राम प्रधान) को ग्रामवासियों की लूट करने के लिए रखा जाता है। ऐसी अवस्था में पञ्चायत माने झगडा।"

(४) कुछ लोगों में बुद्धि है और कुछ लोगों में बुद्धि नही है—इसी धारणा की भूमिका पर सरकारी विकास-योजना रची गयी है। Hand (हॅण्ड—हाथ) और Head (हेड—बुद्धि) इस प्रकार दो भाग किये गये है। अर्थात् जो लोग हाथ का काम करते है, उनमें बुद्धि नहीं है और जो लोग बुद्धि का काम करते है, उनके हाथ नहीं हैं। इसलिए जो लोग शरीर-श्रम का काम करते है, उनकी बुद्धि के विकास के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नही है। विनोबाजी इस बारे में कहते हैं

"कुछ लोग हाथ का काम करेंगे और कुछ लोग बुद्धि का काम करेंगे—भगवान् का अगर ऐसा विचार होता, तो भगवान् कुछ लोगो को केवल हाथ देते और कुछ लोगो को केवल बुद्धि देते, हाथ नहीं देते। लेकिन सरकारी योजना ऐसा ही है। इसीलिए वह सबको सुखी नही कर सकती। वह सबकी उन्नति करने लायक नहीं है।"

दूसरी तरफ ग्रामदानी गाँवो के रचनात्मक कार्य की सबसे बडी बात बुद्धि का विकास है। गाँव के सब लोग मिलकर योजना बनायें, उसी योजना

को अपनी बुद्धि से कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करें। रचनात्मक कार्यकर्ता उनकी सहायताभर के लिए रहेंगे। इससे काम कम हो, तो होने दें। लेकिन इससे ग्रामवासी लोग खुद दायित्व लेकर काम करना सीखेंगे। उनकी बुद्धि का विकास होगा। आजादी से पहले हम कहते थे कि देश के स्वाधीन होने पर अगर सुख न भी हो, तो भी हमें आजादी चाहिए। हम क्यों ऐसी बात कहते थे ? इसलिए कि आजादी के बाद अपना काम हम खुद ही चलायेंगे। इससे हमारी बुद्धि का विकास होगा। देश आजाद हुआ है। उसमें सुख सुविधा के विधान की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बुद्धि का विकास। स्वाधीनता संग्राम के समय लोग पूछा करते थे कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद लोगों का सुख बढ़ेगा या नहीं ? अब ग्रामदान के बारे में भी यही एक प्रश्न किया जाता है। ग्रामदान हो जाने पर गाँव के लोगों की आय बढ़ेगी या नहीं ? उपज बढ़ेगी या नहीं ? लेकिन उपज बढ़ाने के उद्देश्य से तो ग्रामदान [illegible] नहीं गया।

भी वहाँ दुनिया से सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ होती हैं। वहाँ किसीके भी मन में शांति नहीं है। सारा देश डर से सन्त्रस्त हो रहा है। इसीलिए अस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि होती ही रहती है। रूस से डर, कम्युनिस्ट से डर। यहाँ तक कि किसी निर्वाचन में दैवात् कोई साम्यवादी नेता निर्वाचित होकर आ जाता है, तो वे लोग शंकित हो जाते हैं और अस्त्र-शस्त्र और सैन्यबल बढ़ाने के लिए लोगों से धन माँगने लगते हैं। लेकिन समस्या का समाधान व्यावसायिक वस्तु में नहीं है, जो पैसे द्वारा खरीदी जा सके।

सारांश यह कि सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य भौतिक या तात्कालिक उन्नति करना है और ग्रामदानी गाँवों की योजना का उद्देश्य बुद्धि और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ● ● ●

ग्रामदान और विश्वशान्ति : १२

आज दुनिया में कहीं भी शान्ति नहीं है। प्रत्येक देश डरा हुआ है। सब देश एक-दूसरे को भय की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण क्या है? जगत् की इस अशान्ति की जड़ में क्या है? और इस विश्वव्यापी अशान्ति के स्थायी प्रतिकार का उपाय क्या है? आज ये सब सवाल शान्ति की कामना करनेवाले व्यक्ति के मन को आलोडित कर रहे हैं।

अंग्रेजी शासन से पहले इस देश में एक मानवतामूलक अर्थ-व्यवस्था प्रचलित थी। जो लोग खेती करते थे, उन सबके हाथ में जमीन थी। इसके अलावा गाँव गाँव में बहुत-से गृह-उद्योग चलते थे। लोग आधे दिन जमीन की जुताई करते थे और आधे दिन गृह-उद्योग चलाते थे। गाँव स्वा- लम्बी थे। सुतार, लोहार वगैरह जो लोग खेती नहीं करते थे, वे लोग गाँव के लोगों से सालभर जो काम पाते थे, वही करते थे और उसके बदले में प्रत्येक किसान से उसकी फसल का एक भाग पाते थे। फसल कम होने पर कम पाते थे और फसल अच्छी होने पर ज्यादा पाते थे। शिक्षक गाँव की सेवा करते थे। उसके बदले में उसे प्रत्येक परिवार से फसल का एक भाग मिलता था।

लोग बेकारी का जीवन बिताने लगे। जो देश जगत् मे किसी समय सबसे ज्यादा समृद्धिशाली देश था, वह अब सबसे ज्यादा दरिद्र देश हो गया।

जगत् में यह पहली बार अधिकतर योग्यतावाली मशीनो के उद्योग द्वारा समस्त देश की मानवतामूलक उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का ध्वस किया गया। दुनिया में यह पहली बार एक देश द्वारा अन्य देश के उद्योग का ध्वस करके उसे दरिद्रतम देश में परिणत कर दिया गया। इसके बाद अन्य पाश्चात्य देशो मे भी यान्त्रिक उद्योगीकरण हुआ। इस प्रकार ग्राम-उद्योग के ध्वस की भित्ति पर यान्त्रिक उद्योग का महल खडा होने लगा। ग्राम-उद्योग से यान्त्रिक उद्योग की गति तेज है, काम करने की योग्यता ज्यादा है और उत्पादन-शक्ति ज्यादा है। योग्यता बढाने के मोह ने पाश्चात्य देशो को जकड लिया। इस नयी अर्थ-व्यवस्था का अवलम्बन करके आधुनिक अर्थशास्त्र तैयार होने लगा।

आधुनिक अर्थशास्त्र कहता है कि जिसकी योग्यता और कर्मकुशलता ज्यादा है, उसे ग्रहण करना होगा और जिसकी योग्यता और कर्मदक्षता कम है, वह नष्ट होगा, इसमें क्षोभ करने की कोई बात नहीं है। बल्कि योग्यता बढाने के लिए प्रतियोगिता की जरूरत है। इसीलिए यान्त्रिक उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को प्रतियोगितामूलक अर्थव्यवस्था (competitive economy) कहा जाता है। प्रतियोगिता को कार्यकारी करना हो, तो नियन्त्रण मुक्त रखना चाहिए। इसीलिए प्रतियोगितामूलक अर्थ व्यवस्था में अबाध नीति (Laissez faire) को स्वीकार किया गया। प्रतियोगिता अबाध गति से चलने के परिणामस्वरूप और एक तत्त्व आविष्कृत और गृहीत हुआ है। वह है–survival of the fittest—अर्थात् जो योग्यतम है, उसीका जीने और सुख-सपदा भोगने का अधिकार है। प्रतियोगिता मे जो टिक नहीं सका, उसके विनाश होने पर भी क्षोभ करने की कोई बात नहीं है। इसीसे जीवन-स्तर बढाने की झोक लोगो पर सवार हुई। लेकिन जीवन-स्तर उन लोगो का बढा, जो विद्वान्, बुद्धिमान्, योग्य और

शक्तिमान् है। बाकी सब नीचे के स्तर पर ही पड़े रहे। लेकिन लोगों ने सोचा कि इसमें दुःख की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा न हो, तो काम करने की प्रेरणा नहीं आयेगी। काम में उत्साह नहीं जागेगा।

एक और बात है। ग्रामोद्योगमूलक उत्पादन-व्यवस्था में उत्पादक अपने गाँव या आसपास के गाँवों के लोगों के व्यवहार के लिए चीजें तैयार करता है। इसमें परस्पर की उत्पादन की हुई चीजों में ही ज्यादा विनिमय होता है। उत्पादित द्रव्य के आदान प्रदान के लिए धन का प्रयोजन कम होता है। दूसरी तरफ केन्द्रीभूत यांत्रिक उद्योग में दूरवर्ती प्रदेशों या बाजारों में भेजने के लिए उत्पादन किया जाता है।

राज्य-अधिकार और राज्य विस्तार का प्रधान कारण थी। यह जरूर है कि मध्ययुग में बहुत-से युद्ध धर्मोन्माद के कारण हुए थे। लेकिन देश के जनसाधारण के स्वार्थ के साथ, देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता था। लेकिन अब उस व्यवस्था का आमूल परिवर्तन हो गया। दूसरे देश को कच्चा माल देने का क्षेत्र और उत्पादित माल की बिक्री का बाजार बनाना आवश्यक हुआ। इसीलिए उस देश को अपने आधीन रखना या उस पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी हुआ। इसी कारण विभिन्न देशों में युद्ध वगैरह होने लगे। पहले विजयी राजा की विजय में उसके देश के जनसाधारण लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता था। लेकिन अब युद्ध-विग्रह या राज्य-अधिकार का प्रधान कारण हो उठा है—आर्थिक संघर्ष। एक देश दूसरे देश का आर्थिक शोषण करना चाहता है। इसीलिए एक देश की जनता दूसरे देश की जनता की शत्रु होने लगी। राजनीति और अर्थनीति अलग चीज नहीं रहीं। दोनों मिलकर एक वस्तु हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय नीति के पीछे अर्थनैतिक उद्देश्य ही प्रधान हो गया।

ग्राम-उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में पृथक् पूँजीपति के होने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पूँजीपति, उत्पादक और श्रमिक एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन यान्त्रिक उद्योग में धन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए पूँजीपति की जरूरत है और पूँजीपति की ही प्रधानता है। इस प्रकार क्रमशः समाज में एक शोषक श्रेणी (यथा उत्पादक पूँजीपति) और एक शोषित श्रेणी—यथा श्रमिकों की सृष्टि हुई। विषमता और शोषण बढ़ने लगा। उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी देशों से संघर्ष चलने लगा। क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट बनने लगे। इसीलिए अब युद्ध शुरू होने पर वह दो देशों की सीमा में ही सीमित नहीं रहता, वह विश्व-युद्ध में परिणत हो जाता है।

उन्नत विज्ञान ने जिस प्रकार उत्पादन-यन्त्र की शक्ति और दक्षता बढ़ायी है, उसी प्रकार उन्नत विज्ञान उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली अस्त्र-

के लोग भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को दूर करने के प्रति उँगली तक उठाने का साहस करते हैं। इसके अलावा कानून व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन और रक्षण का काम करता है। ऐसी आबहवा में इतना काम हुआ है, यही आश्चर्य की बात है।

जो भी हो, यह खुशी की बात है कि ग्रामदान के बारे में किसी राजनैतिक दल की आपत्ति नहीं है। सभी इसका समर्थन और अभिनन्दन करते हैं। लेकिन यह आज एक अत्यन्त जरूरी सवाल हो उठा है, इस बात को कोई नहीं समझता। किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की संभावना है। युद्ध छिड़ जाने पर विदेश से अनाज मँगवाना बन्द हो जायगा। देश के करोड़ों लोग तब अनाज के अभाव में मरने लगेंगे। अतएव अभी से ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे देश अविलम्ब अनाज के बारे में स्वावलम्बी हो सके और गाँव गाँव में कम-से-कम दो साल का अनाज मौजूद रहे। यह बात एकमात्र ग्रामदान से ही हो सकती है।

हम कह चुके हैं कि घर में आग लगने पर सबको सब काम छोड़कर आग बुझाने के लिए भागना पड़ता है और उस समय दलबंदी भूलकर एक साथ काम करना पड़ता है। आज ग्रामदान का प्रश्न भी वैसा ही है। सभी लोगों को इस काम के लिए भागकर आना चाहिए और दलबंदी भूलकर एक साथ इस काम में लगकर जल्दी-से-जल्दी इस काम को पूरा कर देना चाहिए। अन्यथा भारत की खैर नहीं है।

एक सत्यद्रष्टा ऋषि की दृष्टि में यह सत्य उद्भासित हुआ है। उनके करुणाप्लावित हृदय में इस विपदा का संकेत गूँजा है। मृत्यु के कराल हाथों में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों का आर्तनाद उनके अंतर को जला रहा है। जलन की यही तीव्र ज्वाला संत पुरुष ने अपने हृदय में अवरुद्ध कर रखी है। उसी अवरुद्ध ज्वाला का तेज उन्हें निरन्तर ग्राम से ग्रामांतर, प्रदेश से प्रदेशान्तर में भगा रहा है। भागते-भागते वे व्यूह में घुस गये हैं। वहाँ उनकी कौन रक्षा करेगा? उन्होंने तंत्र तोड़ दिया है। उन्होंने आंदोलन को तरह क

राज्य-अधिकार और राज्य विस्तार का प्रधान कारण थी। यह जरूर है कि मध्ययुग में बहुत से युद्ध धर्मोन्माद के कारण हुए थे। लेकिन देश के जनसाधारण के स्वार्थ के साथ, देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता था। लेकिन अब उस व्यवस्था का आमूल परिवर्तन हो गया। दूसरे देश को कच्चा माल देने का क्षेत्र और उत्पादित माल की बिक्री का बाजार बनाना आवश्यक हुआ। इसीलिए उस देश को अपने आधीन रखना या उस पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी हुआ। इसी कारण विभिन्न देशों में युद्ध वगैरह होने लगे। पहले विजयी राजा की विजय में उनके देश के जनसाधारण लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता था। लेकिन अब युद्ध-विग्रह या राज्य-अधिकार का प्रधान कारण हो उठा है—आर्थिक संघर्ष। एक देश दूसरे देश का आर्थिक शोषण करना चाहता है। इसीलिए एक देश की जनता दूसरे देश की जनता की शत्रु होने लगी। राजनीति और अर्थनीति अलग चीज नहीं रही। दोनों मिलकर एक वस्तु हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय नीति के पीछे अर्थनैतिक उद्देश्य ही प्रधान हो गया।

ग्राम-उद्योग प्रधान अर्थ-व्यवस्था में पृथक् पूँजीपति के होने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पूँजीपति, उत्पादक और श्रमिक एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन यान्त्रिक उद्योग में धन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए पूँजीपति की जरूरत है और पूँजीपति की ही प्रधानता है। इस प्रकार क्रमशः समाज में एक शोषक श्रेणी (यथा उत्पादक पूँजीपति) और एक शोषित श्रेणी—यथा श्रमिकों की सृष्टि हुई। विषमता और शोषण बढ़ने लगा। उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी देशों से संघर्ष चलने लगा। क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट बनने लगे। इसीलिए अब युद्ध शुरू होने पर वह दो देशों की सीमा में ही सीमित नहीं रहता, वह विश्व-युद्ध में परिणत हो जाता है।

उन्नत विज्ञान ने जिस प्रकार उत्पादन-यन्त्र की शक्ति और दक्षता बढ़ायी है, उसी प्रकार उन्नत विज्ञान उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली अस्त्र-

लङ्काशायर से (१६ अगस्त १९५७) प्रकाशित होनेवाले संवाद-पत्र में प्रकाशित हुआ है कि उस दिन वहाँ एक विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ है कि युद्ध और अणु-अस्त्रों के व्यापक संहार के आतंक से पति और पत्नी ने अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी। इस दम्पति का नाम मि० और मिसेज एण्ड्रू मार्शल है। माता और पिता दोनों ने ही मिलकर हत्या की है, ऐसी कोरोनर की राय है। यहाँ से पास के एक गाँव में उनके घर में १० साल का बच्चा, नौ साल की बच्ची और पाँच साल का मोयरा—इस प्रकार तीन शिशुओं की गैस के द्वारा हत्या करने के कुछ दिन बाद इस दम्पति को ब्लैक हॉल के पास समुद्र के किनारे (जहाँ छुट्टी के दिन लोग आमोद-प्रमोद के लिए आकर बैठते हैं) मृत पाया गया। कोरोनर ने कहा कि श्रीमती मार्शल ने अपनी माँ को लिखे एक पत्र में यह बताया है कि उसने और उसके पति ने बच्चों की क्यों हत्या की है। उसमें युद्ध और व्यापक संहार के आतङ्क की बात जाहिर की है। चिट्ठी में लिखा है, "हम अपनी सन्तान पर यह विपत्ति आने देना नहीं चाहते। वे अब युद्ध और व्यापक संहार की सीमा से बाहर हैं। हम उन्हें प्यार करते थे, इसीलिए उनकी हत्या की है।"

विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के मन में इस अवस्था की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। परिणामस्वरूप जो लोग विश्वास करते थे कि हिंसा के द्वारा विश्व की समस्याओं का समाधान किया जायगा, उन लोगों का हिंसा पर वैसा दृढ विश्वास अब नहीं रहा। इसीलिए आज जगत् की विभिन्न शक्तियाँ शान्ति चाहती हैं। हिंसा पर उनकी जितनी श्रद्धा थी, अब वह नहीं रही है। दूसरी तरफ अहिंसा के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसी कोई अनुभूति, दर्शन या कल्पना उन लोगों में नहीं है। ऐसी दुविधा में उनकी हालत है। ऐसी अवस्था में वे निरुपाय होकर अस्त्र-वृद्धि करते जा रहे हैं।

इस सङ्कटापन्न अवस्था में भारत क्या कर सकता है? भारत के हाथ में भौतिक शक्ति नहीं है। भारत के पास अर्थ भी नहीं है। लेकिन भारत

के पास नैतिक शक्ति है। इसीलिए आज सारी दुनिया आशा करती है कि भारत विश्वशान्ति स्थापित करने का पथ दिखाने में सफल होगा।

भारतवर्ष में भूदान-यज्ञ चल रहा है। अब तक ४४ लाख एकड़ भूमि दान में मिल गयी है। ५॥ लाख लोगों ने दान दिया है। ३ हजार के करीब समग्र ग्रामदान मिले हैं। भूदान-यज्ञ का फल अब तक जो कुछ हुआ है, उससे लोग चकित हो गये हैं। यह देखने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग भी आ रहे हैं और बहुत कष्ट झेल कर भी वे विनोबाजी के साथ घूमते हैं। लेकिन वे क्या देखने के लिए आते हैं? भारत में भूमि का बँटवारा हो रहा है, क्या यह देखने आते हैं? पृथ्वी के बहुत से देशों में भी तो भूमि का बँटवारा हो गया है। फिर इसमें ऐसी देखने की क्या बात है? समग्रदानी गाँवों का दारिद्र्य और बेकारी दूर की जा रही है, क्या यह देखने आते हैं? दुनिया में बहुत सी जगह तो दारिद्र्य और बेकारी दूर की गयी है। फिर इसमें भी देखने की क्या चीज है? यहाँ भूमि के बँटवारे का एक ऐसा उपाय सोचा गया है और दारिद्र्य तथा बेकारी दूर करने के माध्यम से एक ऐसी अहिंसक व्यवस्था प्रतिष्ठित की जा रही है, जिसमें से दुनिया अपने वर्तमान महासंकट से त्राण पाने का रास्ता जान पायेगा—यह आशा लेकर वे लोग यह देखने आते हैं।

अकेला ही भोग करूँगा—यह नीति छोड़नी होगी। दूसरे को बचाने के लिए, अक्षम को सक्षम करने के लिए मैं जीऊँगा, तभी मेरे जीने की सार्थकता है—यह महान् नीति ग्रहण करनी होगी। मानव को सबसे आगे करना होगा। सब मनुष्यों का समान कल्याण साधना ही आदर्श बनाना होगा। परिवार में जो त्यागमूलक और समकल्याणमूलक व्यवस्था है, उसे सारे समाज में फैलाना होगा। सिर्फ किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की सुख-सुविधा की चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा। सब देशों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए।

प्रतियोगितामूलक अर्थनीति की बुनियाद पर एक देश दूसरे देश का शोषण नहीं करेगा। मेरा देश योग्यतम है, अतएव एक मेरा ही देश रहेगा, अकेला ही भोग करेगा—यह मनोभावना परित्याग करनी होगी। दूसरे देश को बचाने के लिए मेरा देश जीयेगा—यह मानवतामूलक अर्थनीति स्वीकार करनी होगी। सारा जगत् एक बृहत् परिवार है—हमें यह भावना लोगों में जाग्रत करनी होगी। आधुनिक अर्थशास्त्र को मान-कर ही चलना होगा—ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। विनोबाजी कहते हैं

"गणित-शास्त्र की सृष्टि मनुष्य ने नहीं की। वह नियामक शास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी मनुष्य ने सृष्टि की है। इसलिए वह मनुष्य के सिर पर सवार नहीं हो सकता। लेकिन गणित-शास्त्र को माने बिना काम नहीं चल सकता। अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है। हम नया अर्थशास्त्र बना सकते हैं।"

इसीलिए विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था विभिन्न हो सकती है। लेकिन उसमें मानवता की भावना होनी चाहिए। जिस देश की जैसी अवस्था है, उसीके अनुसार उस देश की अर्थ-व्यवस्था की रचना करनी होगी। एक देश की अर्थ-व्यवस्था को किसी दूसरी परिस्थिति के देश में ज्यों-की-त्यों प्रतिष्ठित करना ठीक नहीं है। अवस्थानुसार एक देश में बड़ी-बड़ी मशीनों और कल-कारखाना प्रधान अर्थ-व्यवस्था हो सकती है। लेकिन भिन्न परिस्थिति

के दूसरे देश में ग्रामोद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न समयों की परिस्थिति-भेद के कारण विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यवस्था हो सकती है और ऐसा होना ही उचित है। आज एक देश में जो मशीनें चल रही हैं, परिस्थिति में परिवर्तन होने पर कल फिर वह वहाँ नहीं चलेगी। उदाहरणस्वरूप अमेरिका और रूस में जो मशीन चल रही हैं, वे आज भारत में नहीं चल सकतीं। अमेरिका और रूस की यही एक समस्या है कि किस प्रकार अल्प मनुष्य-शक्ति खर्च करके यन्त्र-शक्ति की सहायता से उनकी प्रचुर प्राकृतिक सम्पत्ति का विकास करके अधिक उत्पादन किया जाय।

दूसरी तरफ भारत की समस्या यह है कि किस प्रकार उसकी अत्यधिक मनुष्य शक्ति को काम में लगाया जाय। इस देश में केवल उत्पादन वृद्धि पर जोर देने से कोटि कोटि लोगों का सर्वनाश होगा। करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त काम की व्यवस्था करना ही मुख्य समस्या है। करोड़ों बेकार लोगों के लिए काम की व्यवस्था हो जाने पर साथ-ही-साथ उत्पादन वृद्धि भी होगी। कुछ लोगों के जीवन स्तर को उच्चतम स्तर पर पहुँचा देना ही इस देश की समस्या नहीं है। किस प्रकार करोड़ों लोग मनुष्य की तरह जी सकें, यही एक समस्या है।

सारे मनुष्य समाज को एक वृहत् परिवार मानकर सब बातों में उसीके अनुसार व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए भूमि की जिस प्रकार व्यक्तिगत मालिकी खतम करनी होगी, उसी प्रकार अवस्थानुसार ग्राम की और देश की मालिकी भी खतम करनी होगी। एक गाँव की जमीन अगर बहुत कम हो और दूसरे गाँव की जमीन अगर बहुत ज्यादा हो, तो जिस गाँव की जमीन ज्यादा है, वह गाँव कम जमीनवाले गाँव के कुछ लोगों को अपने यहाँ आकर बसने के लिए आह्वान करेगा या अपनी कुछ जमीन उस गाँव को देगा—ताकि विभिन्न गाँवों में भूमि का समान बँटवारा हो। इसी प्रकार एक प्रदेश में अगर ज्यादा जमीन हो और दूसरे प्रदेश में कम हो, तो उस कम जमीनवाले प्रदेश के लोग ज्यादा जमीनवाले प्रदेश में जाकर बसेंगे और वहाँ की जमीन का उपभोग कर सकेंगे। इसी प्रकार जिस देश की जमीन ज्यादा है और जनसंख्या कम है, वहाँ जाकर बस सकेंगे और वहाँ की जमीन का उपभोग कर सकेंगे—ताकि विभिन्न देशों में भूमि और सम्पत्ति का समान बँटवारा हो। यह मानवतामूलक और अहिंसक अर्थ-व्यवस्था का अङ्ग है और यही भूदान-यज्ञ का आन्तर्जातिक रूप है।

आज के जमाने में आर्थिक जीवन ही जीवन का सबसे प्रधान पहलू है। मानवता की भित्ति पर अहिंसा के रास्ते विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का संशोधन हो जाय, तो आन्तर्जातिक जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी अहिंसा के रास्ते तमाम समस्याओं का समाधान करने का रास्ता खुल जायगा। विभिन्न देशों में आर्थिक शोषण का रास्ता बन्द होने पर राजनैतिक आधिपत्य की मनोवृत्ति भी खतम हो जायगी। ग्रामदान के द्वारा ग्रामदानी गाँवों में व्यक्तिगत मालिकी खतम हो रही है। गाँवों में लोगों का सबसे बड़ा स्वार्थ भूमि की व्यक्तिगत मालिकी होता है। जब तक यह व्यक्तिगत स्वार्थबोध रहेगा, तब तक गाँव के सब लोगों का एक होना सम्भव नहीं है। क्योंकि स्वार्थ पर लोग मिल नहीं सकते। अब स्वार्थ को विसर्जित कर दिया है। इसीलिए गाँव एक परिवार के समान हो रहे हैं। परिवार की

एक-दूसरे में जुड़ा हुआ है। एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते। आर्थिक व्यवहार पर कोई शासन न हो, तो राजनैतिक शासन की कोई सार्थकता नहीं रहती। इसीलिए अगर जनता का राज प्रतिष्ठित करना हो, तो जनता के हाथ में उसकी अर्थ-व्यवस्था का पूरा अधिकार देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी और स्वयपूर्ण हो सकने पर आर्थिक व्यवस्था में अधिकार प्राप्त करना सम्भव है। गाँव ही वह क्षेत्र है, जहाँ मनुष्य अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा स्वयपूर्णता प्राप्त कर सकता है।

गाँव सामूहिक जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके अलावा राष्ट्र में जो सब समस्याएँ और सवाल उठा करते हैं, वे सब गाँव में भी उठ सकते हैं और उठते भी हैं। इसलिए जनता का राज्य स्थापित करना होगा। इसीलिए ग्रामराज स्थापित करने की बात कही जाती है। जिस प्रकार प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग अच्छी तरह काम करे, तो शरीर भी अच्छी तरह काम करता है, उसी प्रकार गाँव-गाँव में स्वराज या ग्रामराज प्रतिष्ठित हो जाए, तो देश का स्वराज भी अच्छा होगा।

लोग शहर में रहते । जब जन्म से लगाकर मृत्यु तक के सब काम गाँव में ही होते हैं, तो सारी की-सारी पढ़ाई का काम गाँव में क्यों नहीं चलेगा ? गाँव में ही पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रों में परराष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का सम्बन्ध होता है, गाँव का भी उसी प्रकार परगाँव से सम्बन्ध होगा। साराश यह कि गाँव सब बातों के बारे में पूर्ण होकर चलने की चेष्टा करेगा।

ग्रामदान होने पर ग्रामराज की प्रतिष्ठा सहज होगी। कार्यरूप में यह कैसे होगी ? ग्रामदान होने पर आर्थिक क्षेत्र में गाँव के लिए स्वावलम्बी होना सहज होगा, यह सच है, लेकिन आज की दुनिया में प्रयोजनीय वस्तुओं के बारे में किसी गाँवविशेष के लिए सम्पूर्ण स्वावलम्बी होना सम्भव है क्या ? यह बात भी लक्ष्य में आयी है कि सबकी सम्मति से व्यवस्था करके गाँव के लोग अपने झगड़े-बखेड़े मिटाने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ ? अगर एक गाँव के लोगों के साथ अन्य गाँव के लोगों का या बहुदूरवर्ती किसीका विवाद उठ खड़ा हुआ, तो क्या होगा ? आज की दुनिया में किसी मनुष्य या किसी गाँव के लिए इस प्रकार विच्छिन्न होकर रहना सम्भव है क्या ? और सर्वत्र अगर ग्रामराज हो, तो कोई केन्द्रीय राष्ट्रीय शासन नहीं रहेगा क्या ? यह भी कहा जाता है कि सर्वोदय का चरम लक्ष्य शासनमुक्त समाज है, जिसमें राष्ट्रीय शासन नहीं होगा अथवा कोई सामाजिक शासन भी नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी विवेक-बुद्धि से चलेगा। यह भी क्या कभी सभव होगा ? और अगर यह सभव हो, तो ग्रामराज से इस परिस्थिति में किस प्रकार पहुँच सकेंगे ? ग्रामराज की बात उठने पर ये सब प्रश्न स्वाभाविक तौर से मन में उठते हैं। इस-लिए इन सब बातों को खूब अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है।

वास्तव में देखा जाय, तो शायद शासनमुक्त अवस्था में पूरी तौर से पहुँच सकना सभव नहीं है। इसके लिए पूर्ण शासनमुक्त समाज शायद आदर्शरूप में ही रहेगा। आदर्श तक पहुँचने के लिए हमेशा प्रयत्न चलता रहेगा, चिरकाल तक उसकी तरफ उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन

शायद आदर्श तक कभी पहुँचना सभव नहीं होगा। फिर भी आदर्श को सामने रखकर आगे बढना होगा, जिस प्रकार काल्पनिक बिन्दु को सामने रखकर ज्यामितिशास्त्र आगे बढता है। ऐसा होने पर आदर्श की तरफ सबसे अधिक अग्रसर अवस्था व्यावहारिक क्षेत्र मे क्या होगी ? आदर्श शासनमुक्त अवस्था मे पहुँचने पर मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि से चलेगा। जब तक यह सभव नहीं होता, तब तक या यह कभी सभव न भी हो, तो भी मनुष्य अपनी विवेक-बुद्धि और उसके निकटतम जो लोग है (अर्थात् उसके स्वग्रामवासी), उनकी विवेक बुद्धि, इन दोनो की सम्मिलित विवेक बुद्धि के द्वारा चलेगा। यही शासनमुक्त समाज की निकटतम अवस्था है। ग्रामराज की कल्पना के पीछे यही भावना छिपी है।

समूहों में होना सभव है, वह वहाँ की जायगी। उदाहरण के लिए जिन सिंचाई की व्यवस्था का सिर्फ एक गाँव में होना सभव नहीं है, वह कई गाँव मिलकर प्रवर समिति की मारफत कर सकते हैं। एक गाँव के लोगों के साथ किसी अन्य गाँव के लोगों का विवाद होने पर प्रवर समिति का सर्वसम्मति से मनोनीत विचारक उसके विचार और मीमांसा की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार जो ग्राम-समिति से होना सभव नहीं है, वह यथाक्रम थाना, तालुका, जिला, प्रदेश और देश करेगा। उच्चतर समिति के सभ्य-गणों को निम्नतर समिति द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत होना चाहिए। विवाद-मीमांसा की राय भी सर्वसम्मति से होनी चाहिए। गाँव अगर चाहे, तभी कोई बात बृहत्तर क्षेत्र में विवेचित हो सकेगी। उच्चतर संस्था निम्नतर संस्था को उपदेश, परामर्श और सहायता देगी।

यहाँ बृहत्तम अधिकार गाँव का है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ेंगे, त्यों-त्यों अधिकार क्षीण से क्षीणतर होता जायगा। देश की केन्द्रीय समिति का अधिकार क्षीणतम होगा और वही अधिकार नीचे से आयेगा। आज की राष्ट्र-व्यवस्था में अधिकार ऊपर से नीचे उतरता है और गाँव का क्षीणतम अधिकार रहता है, लेकिन वह अधिकार भी गाँव का अपना नहीं होता। वह ऊपर से दिया हुआ अधिकार होता है। आजकल जो ग्राम-पञ्चायत सङ्गठित की जाती हैं, उनकी अवस्था भी ऐसी ही है। वे केन्द्र के एजेण्ट-मात्र हैं। लेकिन ग्रामराज के क्षेत्र में ग्राम ही कर्ता-धर्ता होगा, गाँव ही सॉवरेन (Sovereign) होगा। यह अधिकार स्वयसभूत है। यह किसीकी दी हुई चीज नहीं है। उदाहरण के लिए ग्रामदानी गाँवों में ग्रामवासियों ने सरकार की सहायता की अपेक्षा न करके खुद ही भूमि-समस्या का समाधान कर लिया है और खुद सकल्प करके भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व विसर्जित कर दिया है। वहाँ गाँव एक परिवार की तरह हो गया है। आत्मशक्ति को स्वतन्त्र लोकशक्ति कहते हैं। उसी लोकशक्ति द्वारा वे गाँव की अन्य सब व्यवस्था भी खुद ही कर लेंगे। गाँव के लिए जो साक्षात् रूप से करना सम्भव नहीं है, वह दूसरों के द्वारा (अर्थात् बृहत्तर

क्षेत्र के द्वारा) करा लेंगे। साराश यह कि आज के राष्ट्रों में राष्ट्र-शक्ति मूल केन्द्र में रहता है और उसकी शाखा क्रमश प्रदेश, जिला गाँवों की तरफ फैलती रहती है। वह 'ऊर्ध्वमूलमध शाखम्' है। ग्रामराज्य में शक्ति का मूल गाँव में और राष्ट्रवृक्ष की शाखा क्रमश प्रदेश और देश के केंद्रों में प्रसारित होती है। अर्थात् वह 'अ मूर्ध्वशाखम्' है। उसका मूल नीचे और शाखाएँ ऊपर हैं।

ग्रामराज्य की विशेषता का एक और पहलू है। आज की राष्ट्र व्य में सर्वोत्तम डेमॉक्रेसी में जो भी सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है, बहुसंख्यक लोगों के मतानुसार स्वीकार किया जाता है—निर्वाच हो या किसी और तरह हो। वहाँ अल्पसंख्यक लोगों के विवेक य को कोई मूल्य नहीं दिया जाता। जिस व्यवस्था में मेरा समर्थन न या जिसने मेरे विवेक की बात नहीं मानी, वह मेरा राज्य या मेरा त किस तरह होगा ? लेकिन वर्तमान राष्ट्र व्यवस्था में सबका मत लेना सभव है ? सभव नहीं है, यह बात ठीक है

देने का अधिकार होगा। इसी प्रकार देश के ग्रामराज्यों का समूह अपने-अपने गाँव के काम के बारे में सोचेगा और विभिन्न ग्रामराज्यों के समन्वय के बारे में केन्द्रीय सरकार राय देगी। विनोबाजी इसके बारे में उपमा देकर कहते हैं

"एक सूत के द्वारा पृथक् पृथक् सुगन्धित फूलों की माला तैयार होती है। यहाँ सूत का काम विभिन्न फूलों को गूँथना है। इस सूत की अपनी कोई सुगन्ध नहीं है। फूल की सुगंध से सूत भी सुगंधित होता है। इसी प्रकार अधिकार गाँव का होगा, लेकिन केंद्र गाँव से अधिकार प्राप्त करेगा।"

अब एक शङ्का उठ सकती है—तब क्या एक ही देश में दो या दो से ज्यादा सरकारें चलेंगी? यह क्या 'स्टेट विदिन स्टेट' (State within state) नहीं हुआ? यह क्या राष्ट्र-नीति के विरोध में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार दो सरकारें चल सकती हैं। वह एक आदर्श राष्ट्र होगा। विनोबाजी ने एक सुन्दर उपमा देकर इसे समझाया है। पिता और पुत्र खाने बैठे हैं। माँ परोस रही है। माँ ने बाप की थाली में एक बड़ा गोल संदेश दिया। लेकिन बेटा इतना बड़ा संदेश नहीं खा सकेगा, यह सोचकर माँ ने एक बड़े संदेश को तोड़कर उसका एक टुकड़ा बेटे की थाली में रख दिया। बेटा टूटा हुआ संदेश खाना नहीं चाहता। पूरे सन्देश के लिए हठ करने लगा। माँ की प्रत्युत्पन्नमति थी। माँ ने झटपट एक टूटे सन्देश को लेकर उसे गोल करके बेटे की थाली में परोस दिया। अब बेटा राजी हो गया। केन्द्रीय सरकार और ग्राम-सरकार इसी प्रकार की हैं। एक बड़ी सरकार और एक छोटी सरकार। बड़ी सरकार बड़े क्षेत्र के लिए और छोटी सरकार छोटे क्षेत्र के लिए सरकार है।

ग्रामदान के बाद किस प्रकार अधिकार के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी, उसका आभासमात्र इस समय दिया जा सकता है। समाज जितना इस ओर अग्रसर होगा, उतनी ही आगे की रूपरेखा क्रमशः सुस्पष्ट होने लगेगी।

● ○ ●

ग्रामराज और रामराज

सर्वोदय-आदर्श पर गठित गाँव को विनोबाजी ने 'ग्रामराज' कहा है। ग्रामदान से किस प्रकार ग्रामराज तक पहुँचा जाय, यह पूर्व के प्रकरण में आलोचित हो चुका है। गांधीजी 'रामराज' स्थापित करने की बात करते थे। विनोबाजी का 'ग्रामदान' और महात्मा गांधीजी का 'रामराज' क्या एक ही चीज है? मान लो, भूदान-यज्ञ और ग्रामदान आन्दोलन सफल हो गया है। भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व विसर्जित कर दिया गया है। जो लोग खेती करना चाहते हैं, उन सबको जमीन मिल रही है। जीवनोपयोगी अत्यावश्यकीय समस्त वस्तुएँ घर और गाँव में पैदा की जाती हैं। प्रत्येक गाँव स्वावसम्पूर्ण हो गया है। कौन-सी चीज गाँव में उत्पन्न होगी और कौन कौन-सी चीजें बाहर से आयेंगी, उसका निर्णय करने का और उस सिद्धान्त को कार्यकारी करने का अधिकार ग्रामवासियों ने अर्जन कर लिया है। राष्ट्र की शक्ति गाँव गाँव में विकेन्द्रीकृत हो गयी है। समाज में ऊँच-नीच का भाव नहीं है। सब लोगों को जीवन-यापन का समान सुयोग मिला है। काम की प्रकृति और प्रकार भेद से आय में कोई कमी-बेशी का भेद नहीं है। सब कामों का समान मूल्य है।

ग्रामराज की प्रतिष्ठा और सरकारी सहायता : १५ :

कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहों के रचनात्मक कार्य के लिए जो सरकारी सहायता ली जाती है, उसके बारे मे कोरापुट के प्रकरण मे उल्लेख कर दिया गया है। मद्रास सरकार भी तमिलनाड के समग्रदानी ग्राम-समूहों का दायित्व ग्रहण करने के लिए अग्रसर हुई है और जमीन की जुताई-बोआई के लिए सहायता के हेतु धन देना मजूर किया है। इससे किसी किसीके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह ठीक हो रहा है? जहाँ शासनमुक्त समाज-प्रतिष्ठा करने का ही लक्ष्य है, वहाँ शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा के लिए सरकारी सहायता लेना सर्वोदय की नीति के विरुद्ध नहीं है क्या? शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा का काम और सरकारी सहायता क्या परस्पर विरोधी बातें नहीं है? इससे शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा क्या विफल नहीं होगी? इत्यादि। लेकिन ऐसी आशका अमूलक है। ऐसी आशका दूर करने के लिए विनोबाजी कहते है

(१) मोक्ष या देहमुक्ति साधनी हो, तो देह की सहायता से और देह के माध्यम से ही की जाती है, (२) कुल्हाडे से लकडी काटी जाती है, लेकिन उसका डडा लकडी का ही होता है। अच्छी सरकार यही चाहेगी कि उत्तम पद्धति से क्रमश. शासन-व्यवस्था विलुप्त हो और जनता स्वतत्र जन शक्ति के बल पर अपने पैरो पर खडा होना सीखे। माता-पिता चाहते है कि सतान उनकी सहायता की अपेक्षा न करके अपने पैरो पर खडा होना सीखे।

इसीलिए सरकार अगर सर्वोदय के काम में सहायता करती है, तो उसे स्वीकार करने में क्षति नहीं है। हाथ मे तो पूरा कुल्हाडा मौजूद है। अगर हाथ मे सिर्फ कुल्हाड़े का डडा मात्र होता, तब तो आशका की सभावना थी।

● ● ●

आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक ही लक्ष्य : १६ :

व्यक्तिगत मालिकी त्याग करने का प्रश्न उठने पर अनेक लोग यह सोचते हैं कि यह तो एक आध्यात्मिक काम है। जगत् में सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ही सब चीजों का मालिक है। अतएव ईश्वर भूमि का भी मालिक है। इसलिए जगत् की किसी वस्तु पर किसीकी मालिकी नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि यह आध्यात्मिक सिद्धान्त व्यावहारिक जीवन में मनन कर नहीं चल सकता। इसके अलावा आजकल विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में विज्ञान की नीति के अनुसार चलना उचित है। लेकिन विनोबाजी ने बताया है कि आत्मज्ञान और विज्ञान का एक ही लक्ष्य है। इन दोनों के रास्ते जुदा हैं। लेकिन वे दो दिशाओं से एक ही चरम सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। यह चरम सिद्धान्त यह है कि 'मैं और मेरे' की मनोभावना का त्याग करना चाहिए। विनोबाजी कहते हैं कि जब विज्ञान कच्चा था, तब विज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर ले जाता था। अब विज्ञान बड़ा हो गया है। विज्ञान ने गम्भीरता में [illegible] किया है। अब वह ईश्वर के निकट तक आ पहुँचा है।

आत्मज्ञान पिंड के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचता है। इस प्रकार दोनों दो दिशाओं से ईश्वर के पास पहुँच जाते हैं।

आत्मज्ञान कहता है, तुम व्यापक हो। तुम तो सभी देहों में हो। अतएव 'मैं' क्यों कहते हो? 'मेरा' क्यों कहते हो? मैं, मेरा कहना छोड़ दो। विज्ञान कहता है, तुम पृथक् रूप से कुछ नहीं हो। तुम पृथक् रूप से नहीं टिक सकते, तुम्हारे पृथक् अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। प्रकृति ही सब कुछ है। सारा जगत् मिलकर यह प्रकृति है, यह विराट् स्वरूप है। इसका कोई अंश पृथक् रूप से नहीं टिक सकता। इसलिए मैं, मेरे का भाव दूर होना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान और विज्ञान जब एक साथ मिल गये हैं, तब 'मैं मेरे' का भाव और इस भाव से उद्भूत व्यक्तिगत मालिकाना टिक नहीं सकता। इसके लिए अब समग्र समाज की तरफ ही नजर डालनी होगी। समाज के दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखना-सोचना और करना होगा। ● ● ●

समाज ही वर्तमान युग का उपास्य देवता : १७ :

सवाल उठ सकता है कि ग्रामदान होने पर मनुष्य की व्यक्तिगत आकांक्षा और उच्च आकांक्षाओं को कोई अवकाश नहीं रहेगा। यह क्या व्यक्तिगत उन्नति के विरोध में नहीं होगा? ऐसा प्रश्न प्राचीन काल में उठ सकता था। तब समाज से निरपेक्ष मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति के लिए अवकाश नहीं था। क्योंकि तब सामाजिक जीवन गठित नहीं हुआ था। लेकिन विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप अब व्यक्ति और समाज में अङ्गांगी सम्पर्क ऐसा दृढ और निबिड हो गया है कि अब मनुष्य अपने-आपको समाज से विच्छिन्न रखकर अपनी व्यक्तिगत उन्नति नहीं कर सकता। समाज के हित में व्यक्ति का हित और समाज के अकल्याण में मनुष्य का अकल्याण है। विनोबाजी ने दो अनुपम उपमा देकर इन सब बातों को हृदयगम कराने की चेष्टा की है

"थाल में संदेश रखा है। उसे हाथ में उठा लिया गया। अब अगर हाथ संदेश को मुँह में पहुँचा दे, तभी हाथ का कल्याण है। लेकिन हाथ अगर यह न करके संदेश रख ले, तो कुछ समय में हाथ सूख जायगा। और संदेश भी अन्त में हाथ से गिर पड़ेगा। हाथ ने संदेश खुद न रखकर उसे मुँह में डाल दिया, लेकिन मुँह की ऐसी उच्च आकांक्षा हुई कि मैं खुद बड़ा होऊँगा। अतएव मैं यह संदेश पेट को नहीं दूँगा। मैं ही इसे रख लूँगा। तब क्या होगा? सन्देश कुछ दिनों तक मुँह में ही रहने पर मुँह भी नष्ट हो जायगा। अगर संदेश मुँह से पेट में पहुँचे, तो मुँह और शरीर दोनों की उन्नति होगी। किसी तरह संदेश पेट में गया और पेट ने भी उसे हजम करके रस उत्पन्न किया। लेकिन पेट ने वह रस शरीर की विभिन्न शिराओं में नहीं भेजा। उसका परिणाम क्या होगा? तब मशीन का उपयोग करना और पेट का आपरेशन कराना होगा। लेकिन पेट अगर वह रस

शरीर में चारों तरफ भेजे, तो उनमें शरीर और पेट दोनों का कल्याण होगा।"

शरीर जिस प्रकार बहुत से विशिष्ट अङ्गों का एक समुदाय है, समाज भी उसी प्रकार बहुत से विशिष्ट अङ्गों का एक समुदाय है। इस विज्ञान के युग में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकेगा, जब व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समाज में लीन करने के लिए तैयार होगा। दूसरी उपमा यह है :

"एक चम्मचभर दही है। दही अगर चम्मच में ही पड़ा रहे, तो वह खट्टा हो जायगा। उसमें कीड़े पड़ जायँगे और दुर्गन्ध आने लगेगी। उसे फेंक देना होगा। लेकिन अगर उसकी उन्नति करनी हो, तो उसे दूध में डाल देना चाहिए। तब सारा दूध ही दही हो जायगा। इस प्रकार एक चम्मच दही से एक सेर दही उत्पन्न हो सकेगा। और अगर यह एक सेर दही एक मन दूध में डाल दिया जाय, तो एक सेर दही से एक मन दही तैयार हो जायगा।"

इस प्रकार दूध की बड़ी मात्रा में थोड़ा-सा दही लीन हो जाय, तो दही की उन्नति हो जाती है। इसी प्रकार समाज के जीवन को बनाना होगा। व्यक्ति का जीवन समाज में लीन हो जाय, तभी व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। इस युग में भगवत्-उपासना का रूप बदल जायगा। उपासना अब वन या जंगल में नहीं चलेगी, मठ-मन्दिरों में भी नहीं चलेगी, भगवत् उपासना समाज-रचना के काम के माध्यम से समझी जायगी। अब समाज देवता को पूजा अर्पित करनी होगी। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं :

"जो नैवेद्य आजकल मन्दिरों में चढ़ाया जाता है, वह सारा-का-सारा समाज देवता को चढ़ाया जायगा। यह कोई नया विचार नहीं है। इसका मूल प्राचीन ग्रंथों में पाया जायगा। लेकिन उस युग में इस आदर्श पर समाज-रचना की चेष्टा करने पर भी वह नहीं हो सकती थी। लेकिन अब वह सुयोग आया है। इसलिए अब भगवत्-उपासना का स्वरूप ही बदल जायगा।"

● ● ●

ग्रामदान और प्रतिरक्षा-व्यवस्था : १८ :

समाज मे दु ख का मूल है (१) व्यक्तिगत मालिकी और (२) परिवारनिष्ठ जीवन।

जो एक बार मेरे हाथ मे आ गया है, वह मेरा ही है। वह केवल मेरे और मेरे परिवार के भोग करने के लिए है और किसीके लिए नहीं है। परिवार के बाहर जो लोग हैं, वे मेरे लिए पर हैं। समाज मे समस्त दु ख-कष्टो के पीछे ये दो ही कारण विद्यमान है। ग्रामदान के द्वारा समाज की यही दु ख की जड शिथिल की जा रही है। कारण यह कि उसमे व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित की जा रही है और उसके फलस्वरूप परिवार भावना की सङ्कीर्णता भी दूर हो रही है और ग्राम-परिवार-भावना का उद्भव और विकास हो रहा है। गॉव एक परिवार के समान हो रहा है। इससे गॉव एक होकर चलेगा। ग्राम-सकल्प लिया जायगा। गॉव स्वावलम्बी होगा। गॉव के लोग श्रम पर आधारित जीवन-यापन करेंगे। गॉव मे सहकारी कृषिमूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक समाज की रचना होगी। ग्रामराज प्रतिष्ठित होगा और इस प्रकार महात्मा गाधी का स्वप्न वास्तव मे साकार होगा।

ग्रामदान का विचार एक स्थायी विचार है और ग्रामदान एक स्थायी वस्तु है। अतएव साधारण अवस्था मे इसका धीरे धीरे अग्रसर होना ही स्वाभाविक है। इसके लिए प्रथमत दो-चार सौ ग्रामदान होने के बाद उनमे आत्यन्तिक रूप से रचनात्मक कार्य करके उनकी उन्नति करने के बाद और भी कुछ ग्रामदान सग्रह करके उनमे भी रचनात्मक काम करना—इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढने से कोई बुराई नहीं होती, बल्कि इससे काम बन जाता है। कारण ग्रामदान समाज-जीवन का मूलभूत विचार है। मूलभूत विचार अगर धीरे धीरे विकसित हो, तो उसमे कोई बुराई नहीं है।

सारे भारतवर्ष में ग्रामदान जिससे अविलम्ब सफल हो, उसके लिए विनोबाजी व्याकुल हो उठे हैं। कालडी-सर्वोदय सम्मेलन के समय खादी-ग्रामोद्योग-बोर्ड और सर्व-सेवा-संघ के सदस्यों के सामने और उसके बाद कार्यकर्ताओं के शिविर में विनोबाजी ने अपनी यह व्याकुलता सबके सामने प्रकट की। ग्रामदान के संपर्क में आलोचना के लिए मसूर में सितम्बर महीने में (१९५७) सर्वदलों के नेताओं की जो बैठक बुलायी जा रही है, उसमें भी उनकी इस व्याकुलता का आभास मिलता है। इसका कारण क्या है ?

वे ग्रामदान को इतना जरूरी क्यों समझते हैं ? इसका कारण यह है कि दुनिया की वर्तमान परिस्थिति जैसी है, उसमें किसी भी समय विश्व-युद्ध छिड़ सकता है। अतएव उसके लिए अभी से तैयार होना जरूरी है। युद्धकाल में आर्थिक दृष्टि से देश-रक्षा का असली उपाय ग्रामदान है। इसलिए आशु महायुद्ध की संभावना ग्रामदान और ग्राम संकल्प के पक्ष में नैमित्तिक कारण हो उठी है। धर्म दो प्रकार का है—नित्य और नैमित्तिक। प्रार्थना हमारा नित्यकार्य और नित्यधर्म है। लेकिन प्रार्थना के समय अगर निकट कहीं आग बुझाने के लिए बाल्टी लेकर भागने का मौका आ पड़े, तो वह घर में बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं है। इसी प्रकार किसी भी समय महायुद्ध छिड़ने की संभावना होने की वजह से ग्रामदान और ग्रामदान की भित्ति पर ग्रामोद्योगमूलक समाज-रचना करने का एक नैमित्तिक कारण उपस्थित हुआ है। उसे नैमित्तिक धर्म के रूप में अवश्य पूरा करना होगा। धीरे-धीरे करते रहने से काम नहीं चलेगा। विनोबाजी ने इसकी विशद व्याख्या की है।

आज ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है कि युद्ध निकट आ गया है, यह सोचकर ही आगे बढ़ना ठीक है। अगर युद्ध छिड़ जाय, तो पंचवर्षीय योजना अथवा देशोन्नति के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह सब कुछ बिखर जायगा। अतएव समस्त व्यवस्थाओं की भित्ति इस पर आधारित होनी चाहिए कि जगत् में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारे

होगी, ताकि उन्हें अनाज न बेचना पड़े। इस दृष्टि से भी ग्रामवासियों के लिए गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए गाँव में जो कच्चा माल होगा, उससे ग्राम-उद्योग के द्वारा पक्का माल तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। अतएव केवल गांधी-दर्शन के आदर्शानुसार ग्राम-उद्योग का प्रयोजन नहीं है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति के प्रयोजन के लिए भी ग्राम-उद्योग की व्यवस्था अपरिहार्य और जरूरी है।

उपर्युक्त बातों से यह सोचना ठीक होगा कि देश में संकट की अवस्था है। संकट के आ उपस्थित होने पर ही संकट के बारे में सोचेंगे—यह अन्धे का लक्षण है, आँखवाले का लक्षण नहीं है। जिनके पास देखने की शक्ति है, उन्हें तो दूर ही से देखना चाहिए कि संकट आ रहा है या नहीं। इसके लिए विनोबाजी कहते हैं

"अतएव देश की पहली दृष्टि तो कृषि की तरफ होनी चाहिए और दूसरी दृष्टि ग्राम-उद्योग की तरफ। आज देश के लिए ये दोनों बातें अनिवार्य हैं।"

गाँव में दो साल के लिए अनाज मौजूद रखना हो, तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन-वृद्धि करने के लिए किसानों का आग्रह न बढ़े, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान जिस जमीन को जोतेगा, वह जमीन उसकी होना जरूरी है। इसके अलावा गाँव के लोग सब मिलकर योजना न बनायें और संकल्प न करें, तो उत्पादन बढ़ाना या ग्राम-उद्योग द्वारा गाँव का स्वावलम्बी होना सम्भव नहीं है।

लिए एक होकर मिलना सम्भव नहीं है। अनाज की पैदावार बढ़ाना, अनाज न वेचकर सग्रहीत रखना और जिससे गाँव के लोगो को बाहर से कोई प्रयोजनीय वस्तु खरीदनी न पड़े और आय भी बढ़े, उसके लिए ग्राम-उद्योग चलाना तभी सम्भव होगा, जब गाँववासी एक होकर इस उद्देश्य से ग्राम-सकल्प लें। ग्रामदान के बिना गाँव के लोगों के लिए इस प्रकार गाँव की योजना और ग्राम-सकल्प लेना सम्भव नहीं है। इस बारे में विनोबाजी कहते है

"मै पञ्चवर्षीय योजना की विरोधी समालोचना करना नही चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति मे ग्रामदान और ग्राम-योजना एक 'डिफेन्स मेजर' (प्रतिरक्षा व्यवस्था) है। यह सभीको ध्यान में रखना चाहिए।"

इसीलिए विनोबाजी कहते हैं कि सरकारी प्लानिग ग्रामदान की भित्ति पर होना चाहिए। वे वर्तमान परिस्थिति में ग्रामदान को 'डिफेन्स मेजर' (प्रतिरक्षा व्यवस्था) समझते है, इसलिए ग्रामदान कराने के लिए अगर सरकार की तरफ से कुछ दबाव (कोअर्शन) भी डाला जाय, तो विनोबाजी उसे मानने के लिए तैयार है। यह बात सुनकर लोगों को कुछ आश्चर्य हो सकता है—जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं, वे कोअर्शन की बात कैसे कहते हैं ? यह सशय दूर करने के लिए वे कहते हैं :

"जहाँ देश को बचाने का सवाल है, वहाँ कुछ-न-कुछ दबाव यों भी आ पडता है। युद्ध के समय सरकार हुक्म देती है और लोगो को वह मानना पडता है। मान लो, युद्ध छिड गया। सरकार ने हुक्म दिया कि सेना में सबको भर्ती होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जिन दो-चार व्यक्तियो की अहिंसा में दृढ निष्ठा है, सरकार दया करके उन्हें छोड सकती है। लेकिन बाकी सबको यह आदेश मानकर सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा।"

अर्थात् सकट के समय सरकार के हाथ में जीवन समर्पण करना पडता है। इसी प्रकार जहाँ प्रतिरक्षा का सवाल है, वहाँ कुछ-न-कुछ दबाव आ

ही जाता है। और कौमी योजना के क्षेत्र में कानून का दबाव तो रहता ही है। इसीलिए वे कहते है कि जब लोग यह समझ पायेंगे कि सरकार ग्रामदान के पक्ष में बहुत ही आग्रहशील है और ग्रामदान न होने पर देशरक्षा असम्भव है, तो ग्रामदान के लिए सरकार की तरफ से कुछ दबाव डाला जाय, तो उसे स्वीकार कर लेने के लिए वे तैयार है। जिसे विनोबाजी मान सकें, ऐसा कौन-सा दबाव सरकार की तरफ से आने की वे कल्पना करते है, इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। नहीं तो गलत समझ लेने की सभावना है। मान लो, ग्रामदान का तत्त्व जिस प्रकार जनता को समझाया जा रहा है और उन्हे ग्रामदान देने के लिए जिस प्रकार कहा जा रहा है, यह उसी प्रकार चलता रहा। इसके अलावा देश रक्षा और युद्ध की तैयारी के लिए ग्रामदान जरूरी है, यह भी समझाया जाने लगा। लोगों को बात समझ मे आ गयी। सरकार की भी समझ मे आ गयी। इस प्रकार ग्रामदान के अनुकूल प्रबल जनमत बन गया। लोग स्वेच्छा से ग्रामदान देने लगे। लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं हुई कि जल्दी ही प्रत्येक गांव ग्रामदान मे दिया जा सके। ऐसी स्थिति मे प्रतिरक्षा-व्यवस्था की तात्कालिक प्रयोजनीयता समझकर सरकार अगर प्रतिरक्षा-व्यवस्था (डिफेन्स मेजर) के रूप मे यह कानून बनाये कि प्रत्येक गांव को ग्रामदान करना होगा, तो विनोबाजी इस बात को मान लेगे। उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है।

अनुमोदन किस प्रकार करेंगे ? युद्ध की परिस्थिति में देश को दुश्मन किसी के हाथों से रक्षा करनी हो, तो डिफेन्स मेजर (प्रतिरक्षा व्यवस्था) के रूप में इस प्रकार के सामान्य दबाव की आवश्यकता है—इस बात को वे मान लेंगे और इसे सहन कर लेने के लिए तैयार रहेंगे। युद्ध की संभावना न होती, तो ग्रामदान की सफलता के लिए अनिर्दिष्ट काल तक प्रतीक्षा करने में कोई क्षति नहीं थी, बल्कि इस प्रकार प्रतीक्षा करना ही समीचीन होता।

एक और बात है। अगर कभी कानून बन भी जाय, तो कानून के माध्यम से जो ग्रामदान होगा और जो स्वेच्छापूर्वक ग्रामदान होगा, उनमें जो गुणगत पार्थक्य है, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कानून के दबाव से जो ग्रामदान होगा, उनमें स्वेच्छा से स्वामित्व विसर्जन नहीं किया जायगा। अतएव वहाँ ग्रामराज की प्रतिष्ठा करना इतना सहज भी नहीं होगा।

विनोबाजी कितनी व्यावहारिक दृष्टि रखते हैं, यह बात इससे साफ समझ में आती है। वे ग्रामदान के लिए क्यों व्याकुल हैं और ग्रामदान के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए क्यों सब दलों के नेताओं की बैठक बुलायी जा रही है, इसका इशारा इसीमें है। लेकिन इससे एक और गलती समझ लेनी चाहिए। विनोबाजी के इस मनोभाव से यह नहीं समझना चाहिए कि अब जनता में जाकर प्रचार नहीं करना होगा, बल्कि सरकार ग्रामदान के लिए कानून बनाये, उसीके लिए प्रयत्न किया जाय। अगर ऐसा किया गया, तो जो कुछ करना उचित है, उसीके विपरीत कार्य होगा। ग्रामदान के लिए लोगों को समझाना और उसके फलस्वरूप जनमत बनाना और उसी जनमत का अनुसरण करके सरकार का कानून बनाना एक बात है और सरकार को ग्रामदान का कानून बनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए प्रचार करते रहना और बात है। दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित करना हिंसा का ही दूसरा नाम है। अतएव ग्रामदान प्रतिरक्षा का असली उपाय और देश की योजनाओं का आधार होना

चाहिए—यह समझकर ग्रामदान की गति जिस प्रकार तेज हो, उसके लिए देश के कल्याण चाहनेवालों को निष्ठा के साथ प्रयत्न करते रहना ही कर्तव्य है। कानून बनाने के बारे में चिन्ता करने का दायित्व सरकार की शुभ बुद्धि पर ही छोड़ देना उचित है।

• • •

प्रचारक नहीं, परिव्राजक चाहिए

देश में भूदान-यज्ञ का जितना प्रचार अब तक हुआ है, [illegible] प्रदेशों में जो कार्यकर्ता पैदल यात्रा करते हुए घूम रहे हैं, [illegible] हुआ है। वे लोग निष्ठा और उत्साह के साथ घूम रहे हैं, इसमें [illegible] संदेह नहीं है। लेकिन वे जो पैदल घूम रहे हैं, [illegible] या [illegible]-एक साल का संकल्प लेकर घूमते हैं।

भूदान एक बुनियादी आंदोलन है। इसके पीछे [illegible] वर्तमान है। अतएव यह काम अत्यन्त गम्भीर और [illegible] है। कुछ दिन काम करने के बाद ही यह समाप्त होनेवाला नहीं है। [illegible] एक अंश समाप्त होगा और दूसरा एक अंश सामने आ जायगा। [illegible] में से नये काम का सूत्र जाहिर होता रहेगा। विनोबाजी कहते हैं:

"वृक्ष की शाखा और फूल-फल के समान ही इस महान् [illegible] की शाखाएँ और फूल-फल निकलते रहेंगे। और फल जब पकेंगे, तभी [illegible] पूरा होगा। जब तक फल नहीं पकते, तब तक किसान विश्राम नहीं लेता।"

इसी प्रकार जब तक जनता को पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक [illegible] प्रचार का काम पूरा नहीं होगा। अतएव इस महान् कार्य की साधना के लिए केवल दो-चार साल इस विचारधारा का प्रचार करते हुए घूमेंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलेगा। विनोबाजी कहते हैं:

"अतएव यह विचार जनता के घर-घर में पहुँचाने के लिए सतत भ्रमण करनेवाले ज्ञानी परिव्राजकों की आवश्यकता है और ऐसे परिव्राजकों का दल बन जायगा, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है।"

आज जो लोग भूदान-यज्ञ और सर्वोदय की विचारधारा का प्रचार करते हुए फिरते हैं, वे प्रचारक हैं, परिव्राजक नहीं हैं। प्रचारक और परिव्राजक में जो फर्क है, उसे समझ लेना जरूरी है। प्रचारक निरन्तर भ्रमण

नही करते । यह उनका दोष नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी होते है, जो घर मे रहकर भी कुछ समय के लिए विचार-प्रचार और सेवाकार्य के लिए अपने-आपको लगा देते है। वे लोग सारा जीवन या निरन्तर समय उसीके लिए नही दे सकते । प्रचारक की निष्ठा और कार्य की व्याप्ति सामयिक होती है । लेकिन परिव्राजक ज्ञानी, क्रातिकारी और लोकनिष्ठ होते है। कितने दिन भ्रमण करते हुए हो गये और बाकी कितने दिन रहे है, वे यह हिसाब नही करते । बल्कि जनता मे जाकर ज्ञान-प्रचार करना ही उनका जीवन कार्य हो जाता है । विनोबाजी का विश्वास है कि वर्तमान प्रचारको मे से ही बहुत-से परिव्राजक निकलेंगे । विनोबाजी कहते है

"हमारे देश मे धर्मनिष्ठा खूब है । लेकिन उस पुरानी धर्मनिष्ठा से आज काम नहीं चलेगा । धर्म अब बाह्य क्रियाकाडो मे समाप्त हो गया है । मन्दिर है, मन्दिर से सम्बन्धित आसपास कुछ लोग है । उनमे भक्ति की साधना चलती है, लेकिन लोक जीवन को वह स्पर्श नही करती । लोक जीवन पर उसका कोई प्रभाव नही पडता । वहाँ बीडी चलती है, व्यसन चलते है । शोखीनी, आलस्य, जडता, रात्रि जागरण, सिनेमा वगैरह दुर्गुण चलते रहते है । इस प्रकार अन्य सब तरफ से जन जीवन पर आक्रमण होता रहता है । लेकिन धर्म का कोई प्रभाव जन-जीवन पर नही होता । लोग देर तक रात मे जागते है और सुबह देर से उठते है । इसके कारण राष्ट्र भी दुर्बल होता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमारी बुद्धि ज्यादा तेजस्वी होती । चाय पीना बढ गया है । पेट मे जितना तेल नही जाता, उससे ज्यादा तेल सिर के बालो को लगाया जाता है ।

धर्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन्दिर के [illegible]
आबद्ध होकर रह गयी है। वह लोगों के किसी और [illegible]।
फिर भी इस भक्ति के लिए शंकराचार्य ने सारे देश की परिक्रमा की थी।
लेकिन आज उसके लिए कौन घूम रहा है? लोक-जीवन पर [illegible]
का अब कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए धर्म एकदम चेतनहीन [illegible]
है। इसीलिए आज सिनेमा जैसी बेकार-सी साधारण वस्तु को [illegible]
की शक्ति भी धर्म-संस्था की नहीं रही। इन सब बातों की निन्दा [illegible]
करते हैं, लेकिन उसे नियन्त्रित करने की शक्ति नहीं है। इन सब बातों के
बारे में कौन चिंता करेगा? इन सब विषयों का ज्ञान जनता तक कौन
पहुँचायेगा? लोग दूसरों का अनुकरण करके काम करते हैं। इसलिए [illegible]
परिव्राजक चाहिए। उनमें ज्ञाननिष्ठा होगी, श्रमनिष्ठा भी होगी। [illegible]
गाँव-गाँव में जायेंगे, लोगों के साथ परिश्रम करेंगे और ज्ञानदान [illegible]।
तब ज्ञानदान क्या है, मालिकी या स्वामित्व का त्याग क्या है, [illegible]
जनता के लिए समझने में देर नहीं लगेगी।

आज गाँवों में स्वराज्य नहीं है। लोग बाजार भाव के गुलाम हो गये हैं। मान लो, युद्ध छिड़ गया और अनाजों का भाव बढ़ गया। तब लोग किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे? इसका उपाय यही है कि गाँव के सब लोग मिलकर खेती करें, ताकि गाँव में भूमिहीन कोई न रहे। कोई भूखा न रहे। इस प्रकार अपने-अपने गाँव की व्यवस्था अपने-आप कर ली गयी, तो भारतवर्ष सुखी होगा।

जीवनभर यही काम करना होगा—यह भावना जगानी होगी। "१९५७ का साल चल रहा है, इसके लिए काम करना होगा"—यह कहने से आज काम नहीं चलेगा। जीवनभर काम करने के लिए तैयार होना होगा। सुख और आराम चाहनेवाले लोगों से ज्ञान प्रचार नहीं होगा। कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, कौन असली और कौन नकली हैं, यह बात साधारण लोग जल्दी जान लेते हैं। आज जो लोग भूदान-यज्ञ की विचारधारा का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, उनमें से असली

और सच्चे लोग बाहर आयेंगे और परिव्राजक होने का जीवन-व्रत लेंगे। भारतवर्ष में ३ सौ जिले और ३६ करोड़ लोग हैं। ३ सौ जिलों के लिए कम-से-कम ३ हजार परिव्राजकों की आवश्यकता है। विनोबाजी इस बारे में कहते हैं

"तीन हजार परिव्राजक चाहना क्या बहुत ज्यादा है? लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि लोग भोगपरायण हो गये हैं। नर-समाज में खूब सुख हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में सुख की चाह है। सुख में आसक्ति है। इसीलिए वैरागी और क्रान्तिकारी लोग कम मिलते हैं। इसीलिए मेरी दृष्टि केवल विचार-प्रचार तक सीमित नहीं है। मेरी दृष्टि परिव्राजक वर्ग बनाने की तरफ केन्द्रीभूत है।" • • •

यह कि ग्रामदान-आन्दोलन ने भूमि-समस्या-समाधान के श्रेष्ठ उपाय के रूप में देश के सब राजनैतिक दलों और देश के विचारशील व्यक्तियों का समर्थन पा लिया है। कम्युनिस्ट-दल ने इससे पहले कभी सर्वोदय-सम्मेलन में भाग नहीं लिया। केरल-राज्य में आज कम्युनिस्ट-दल की सरकार है। पहले के सर्वोदय-सम्मेलनों के लिए सम्बोधित राज्यों की सरकारों ने जो सहयोग दिया था, कालडी-सम्मेलन के लिए केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी उसी प्रकार सम्मेलन के आयोजन वगैरह में सब तरह की सहायता और सहयोग दिया। उस समय विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। केरल के मुख्यमंत्री सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभ कामना प्रकट करने के साथ विनोबाजी के आन्दोलन के लिए समर्थन देते हुए पत्र लिखा। उनके मन्त्रिमंडल की तरफ से केरल सरकार के कानून-सचिव श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने सम्मेलन में भाग लिया और अपनी तरफ से और केरल सरकार की तरफ से सम्मेलन में वक्तव्य दिया। उन्होंने सम्मेलन के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की और देश की भूमि-समस्या के समाधान में विनोबाजी के बताये हुए रास्ते का समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ग्रामदान के माध्यम से प्रेम के रास्ते देश की भूमि-समस्या का समाधान किया जाय, तो सर्वोदय और साम्यवाद में कोई फर्क नहीं रहेगा। कांग्रेस साधारण रूप से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का समर्थन करती है। लेकिन अब तक नेहरूजी ने किसी दिन ग्रामदान-आन्दोलन के लिए समर्थन प्रकट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी कालडी-सम्मेलन से पहले (२९ अप्रैल १९५७ को) मसूरी में हुए उन्नयन कमिश्नरों के सम्मेलन में ग्रामदान के लिए समर्थन और अभिनन्दन प्रकट किया। समग्रदानी गाँवों के बारे में सरकार का क्या कर्तव्य होगा, यह उन्होंने समझाया। भाषण के दौरान में उन्होंने कहा—(अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट से) 'भूमि पर सबका बराबर का हक है'—विनोबाजी के इस आदर्श के साथ मैं एकमत हूँ।

मुक्ति हो जाती है। नाम के बल पर पत्थर भी पानी पर तैरे थे। अतएव हमारे जैसे आलसी व्यक्ति भी मुक्त हो जायेंगे।

"भारत में नाम-सुमिरन बहुत चल पड़ा है। उसकी महिमा कुछ बुरी नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया है कि कुछ काम किये बिना केवल नाम लेने से तर जायेंगे। लेकिन इस नाम-सुमिरन के फलस्वरूप केवल निष्क्रियता ही बढ़ी है।"

● ● ●

उस देश में भीतर से ही समस्या का समाधान होगा और उसकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी।

इस प्रकार शांतिसेना की जो कल्पना विनोबाजी ने हमारे सामने रखी है, यह पहले की कल्पना से भिन्न है और यह एक परिपूर्ण समाज सेवा की पूरी व्यवस्था है। भूदान-यज्ञ आज जिस स्तर पर पहुँचा है, उससे वह एक स्थायी वस्तु बन गया है और स्थायी वस्तु के हिसाब से ही उसके संबंध में एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। शांतिसेना की वर्तमान कल्पना में उस व्यवस्था का आभास है। इसीलिए वे प्रत्येक जिले के लिए कम-से कम सौ स्थायी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो शांति-सैनिक होकर काम करेंगे।

विनोबाजी ने रात को जागते रहकर किस प्रकार शांतिसेना की शक्ति बढ़ायी जाय, इस बारे में चिंतन किया था। शान्तिसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा सर्वोदय-आदर्श की परिपुष्टि के लिए उन्होंने एक नये दान की कल्पना की है। वह है 'सम्मतिदान'। सम्मतिदान क्या है और उसकी अन्तर्निहित भावधारा क्या है, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या करके कहा है

''सरकार अंत तक किस शक्ति के बल पर काम कर सकती है? सेना का बल तो है ही, फिर भी वह गौण है। सरकार जन-साधारण से टैक्स पाती है। लेकिन वह भी तो प्रतिशत ४० से ज्यादा नहीं होता। तब सरकार के पीछे असली शक्ति क्या है? वह शक्ति यह है कि इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, जान-बूझकर हो चाहे अनजाने, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को सम्मति प्रदान करता है। जनता की सम्मति ही सरकार की असली शक्ति है। कोई कहीं ट्रेन पर सवार होकर जा रहा है। उसके माध्यम से सरकार को उसकी सम्मति मिलती है। सन्यासी और कुछ न हो, कम-से कम एक लंगोटी तो पहनता है—इससे वह भी अपनी तरफ से सरकार को सम्मति प्रदान करता है। एक लड़का चाय पीता है। उसके माध्यम से भी सरकार उससे सम्मति प्राप्त करती है। कारण यह कि हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है।

सम्बद्ध है, दोनों मिलकर एक ही काम है, यह मनोभाव लेकर और ऐसा ही सोचकर दोनों काम करने जरूरी हैं।

साधारण विद्यालयों में केवल साधारण शिक्षा दी जाती है। उसके साथ अगर शिल्प, दस्तकारी वगैरह सिखाने की व्यवस्था हो, तो उसे इंडस्ट्रियल स्कूल कहते हैं। नयी तालीम विद्यालयों में भी शिल्प-शिक्षा और साधारण शिक्षा दोनों दी जाती हैं। लेकिन इन दोनों विद्यालयों में फर्क क्या है? इंडस्ट्रियल स्कूल की शिक्षा का लक्ष्य—साधारण शिक्षा + शिल्प-शिक्षा, किन्तु नयी तालीम का लक्ष्य एक परिपूर्ण चीज है। शिल्प और साधारण शिक्षा दोनों मिलकर एक ही चीज है। एक दूसरे की परिपूरक है। यहाँ शिल्प के माध्यम से ही साधारण शिक्षा दी जाती है। भूदान, ग्रामदान और ग्रामोन्नति के काम के बारे में भी यही काम में लाना चाहिए। यह केवल भूमि का बँटवारा + ग्रामोन्नति का काम होने से काम नहीं चलेगा। भूमि के बँटवारे या ग्रामदान की भित्ति पर ग्रामोन्नति का काम होना चाहिए। एक के साथ दूसरे को केवल जोड़ देने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं कि बुनाई होनी चाहिए, केवल सिलाई से काम नहीं चलेगा। एक ४ गज के कपड़े के टुकड़े को दूसरे ४ गज के टुकड़े के साथ सिलाई कर देने से ८ गज कपड़ा होगा। लेकिन वह एक अखण्ड कपड़ा नहीं है। भूदान और ग्रामोन्नति का काम इस प्रकार करने से काम नहीं चलेगा। उनमें से एक होगा 'ताना' और दूसरा 'बाना'। भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के विसर्जन के 'ताने' पर खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम वगैरह रचनात्मक कार्यों के 'बाने' से एक अखण्ड ८ गज का कपड़ा बुनना होगा।

● ○ ○

शान्ति-सेना और 'सम्मति-दान' : २२ :

विनोबाजी से सवाल किया गया था कि ग्रामदान के बाद का कार्यक्रम क्या होगा ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा—'शान्ति-सेना'। शान्ति सेना की कल्पना नयी नहीं है। महात्मा गांधी भी शान्तिसेना की बात कहते थे और उनके जीवन-काल में तथा उसके बाद विनोबाजी के द्वारा शान्ति-सेना बनाने का प्रयत्न हुआ है। लेकिन तब मुख्यतः साम्प्रदायिक अशांति के प्रतिकार के लिए शांतिसेना की कल्पना की गयी थी। उस समय की शान्ति-सेना की कल्पना थी एक सत्याग्रही दल, जो अपना जीवन बलिदान करके भी अशांति, विशेषतः साम्प्रदायिक अशान्ति, शान्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब वह परिस्थिति नहीं है। अतएव अब शान्तिसेना का प्रयोजन क्या है और उसमें अन्तर्निहित भावधारा क्या है, यह समझ लेना जरूरी है।

गत जुलाई (१९५७) के महीने में विनोबाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस समय वे केरल भ्रमण कर रहे थे। ज्वर और खांसी से पीड़ित थे। शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था। साधारणतः यह समझा जाता है कि अस्वस्थ अवस्था में चिन्तन-शक्ति भी दुर्बल हो जाती है। लेकिन विनोबाजी की इस बीमारी में इसके विपरीत बात हुई। इस बार की बीमारी के समय उनके मन में चिन्तन-मन्थन खूब जोरों से चला। इतना ही नहीं, निद्राहीन रात काटकर भी वे गम्भीर चिन्ता करते थे। श्रीमती महादेवी ने इसीलिए लिखा है—"एक दिन रात डेढ़ बजे के समय एक गुनगुन सुनायी दी। दूसरे दिन पूछने पर विनोबाजी ने कहा—

विनोबाजी कहते हैं कि यह शान्तिसेना निरन्तर पर्यटन करती रहेगी और लोगों की सेवा करेगी, जनता पर नैतिक प्रभाव डालेगी और हिंसा के उपकरण संगठित होने का मौका कभी न आये, इसके लिए प्रयत्न करेगी। साधारण परिस्थिति के समय वह समाज सेवा, ग्रामदान-प्राप्ति वगैरह का काम करेगी और अशांति की विशेष परिस्थिति के समय शान्ति स्थापित करने के लिए वे लोग जीवन समर्पण करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अर्थात् उनका नित्यधर्म होगा लोक-सेवा का काम और भूदान तथा ग्रामदान का काम अर्थात् अहिंसा का संगठन (Constructive अहिंसा) और अशान्ति की परिस्थिति के नैमित्तिक अवसर पर उनका धर्म होगा—प्राणदान देकर भी शांति स्थापित करना।

कालीकट में कार्यकर्ताओं की बैठक में (११-७-'५७) उन्होंने शान्तिसेना बनाने की कल्पना की घोषणा की और कहा—"शांतिसेना के सैनिक को सत्याग्रह के लिए तैयार रहना होगा। सत्याग्रही के हृदय में अहिंसा के अनुशासन के सिवा और कुछ नहीं रह सकता। सत्य के अलावा कोई दूसरी शक्ति अगर हमारे ऊपर अधिकार चलाये, तो हम सत्याग्रही नहीं हो सकेंगे। कार्यकर्ताओं में से ऐसे सत्याग्रहियों को बाहर आना चाहिए। हमें यह काम पूरा करना होगा। रुग्ण अवस्था में मेरे मन में यह शक्तिशाली विचार उठा है। मैं नहीं जानता कि इस शरीर द्वारा वह कहाँ तक पूरा हो सकेगा। अगर ईश्वर चाहे, तो ही यह काम चलेगा। लेकिन मैं यह विचार सबके सामने रखता हूँ। अहिंसा और सत्य के अनुशासन के सिवा शान्तिसेना के सैनिकों के लिए और किसी अनुशासन की जरूरत नहीं होगी—अर्थात् शासनमुक्त समाज का पूर्ण रूप शान्तिसेना के सैनिकों में खिल उठेगा। वे ही जनता को ग्रामराज स्थापित करने के लिए सच्ची प्रेरणा दे सकेंगे।"

जो भी कार्यकर्ता शान्तिसेना के सैनिक होना चाहेंगे, उन्हें अच्छी तरह शिक्षा देनी होगी। विनोबाजी कहते हैं कि उन्हें यह विचार समझना होगा कि राज्य की शक्ति को खतम करना है। जितने दिन तक

उस देश में भीतर से ही समस्या का समाधान होगा और उसकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी।

इस प्रकार शांतिसेना की जो कल्पना विनोबाजी ने हमारे सामने रखी है, यह पहले की कल्पना से भिन्न है और यह एक परिपूर्ण समाज सेवा की पूरी व्यवस्था है। भूदान-यज्ञ आज जिस स्तर पर पहुँचा है, उससे वह एक स्थायी वस्तु बन गया है और स्थायी वस्तु के हिसाब से ही उसके संबंध में एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। शांतिसेना की वर्तमान कल्पना में उस व्यवस्था का आभास है। इसीलिए वे प्रत्येक जिले के लिए कम-से-कम सौ स्थायी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो शांति-सैनिक होकर काम करेंगे।

विनोबाजी ने रात को जागते रहकर किस प्रकार शांतिसेना की शक्ति बढ़ायी जाय, इस बारे में चिंतन किया था। शान्तिसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा सर्वोदय-आदर्श की परिपुष्टि के लिए उन्होंने एक नये दान की कल्पना की है। वह है 'सम्मतिदान'। सम्मतिदान क्या है और उसकी अन्तर्निहित भावधारा क्या है, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या करके कहा है

"सरकार अंत तक किस शक्ति के बल पर काम कर सकती है? सेना का बल तो है ही, फिर भी वह गौण है। सरकार जन-साधारण से टैक्स पाती है। लेकिन वह भी तो प्रतिशत ४० से ज्यादा नहीं होता। तब सरकार के पीछे असली शक्ति क्या है? वह शक्ति यह है कि इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, जान-बूझकर हो चाहे अनजाने, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को सम्मति प्रदान करता है। जनता की सम्मति ही सरकार की असली शक्ति है। कोई कहीं ट्रेन पर सवार होकर जा रहा है। उसके माध्यम से सरकार को उसकी सम्मति मिलती है। सन्यासी और कुछ न हो, कम-से कम एक लंगोट तो पहनता है—इससे वह भी अपनी तरफ से सरकार को सम्मति प्रदान करता है। एक लड़का चाय पीता है। उसके [illegible] सरकार उससे सम्मति प्राप्त करती है। कारण यह कि [illegible] पर टैक्स लगा हुआ है।

"इस प्रकार जनता से सर्वोदय के काम के लिए 'सम्मति' प्राप्त करना जरूरी है। तभी हमारे काम में शक्ति आयगी। हाँ, यह 'सम्मति' ज्ञान-पूर्वक और प्रेमपूर्वक देनी चाहिए, टैक्स की तरह जबरदस्ती नहीं। इससे सर्वोदय सबको प्रिय होगा। सम्मति-दान के प्रतीक के रूप में प्रत्येक परिवार महीने में एक आँटी सूत या इसीके बराबर मूल्य की अपने श्रम से उत्पादित कोई दूसरी चीज या यह भी सभव न हो, तो २० नये पैसे देगा। इस सम्मति-दान में अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रेमपूर्वक भाग ले, तो सर्वोदय की प्रतिष्ठा में क्या देर लग सकती है?"

इस प्रकार 'सम्मतिदान' सर्वोदय के लिए वोट देने के समान होगा। इसके अलावा यह सम्पत्ति दान का एक व्यापक रूप होगा। इसके द्वारा श्रमदान का भी सार्थक रूप प्रकट होगा।

'सम्मतिदान' सग्रह करना शातिसेना का एक विशेष काम हो सकता है और इसके द्वारा शातिसेना की शक्ति और प्रभाव बढेगा। ● ● ●

आजकल कई स्थानों से विनोबाजी के पास ग्रामदान के संपर्क में विभिन्न विषयों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और विनोबाजी उनमें से प्रत्येक का उचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ता का संशय दूर करते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिये जाते हैं

(१) एक व्यक्ति की विभिन्न गाँवों में जमीन होने पर उसका क्या किया जायगा ?

प्रश्न—मान लो, एक व्यक्ति की ग्रामदानी गाँव में जमीन है। वह उसने ग्रामदान में दे दी है, लेकिन किसी और गाँव में भी उसकी जमीन है। तब भी क्या वह ग्रामदानी ग्राम समाज का सभ्य हो सकेगा ?

विनोबाजी—हाँ, हो सकेगा। यदि वह ग्रामदानी गाँव में रहता हो और वहाँ की सारी जमीन उसने ग्रामदान में दान कर दी हो।

प्रश्न—वह क्या अनेक ग्रामदानी गाँवों का सदस्य हो सकता है ?

विनोबाजी—किसी व्यक्ति की चार गाँवों में जमीन है और ये चारों ही गाँव ग्रामदान में दे दिये गये हैं। तो वह एक गाँव में रहकर भी चारों गाँवों का सदस्य हो सकता है। लेकिन मैं यही राय दूँगा कि वह चारों जगह का सदस्य न हो, तो ही ठीक है। जब वह चारों गाँवों में रहता नहीं, तो उन सब गाँवों के लिए उसकी आसक्ति क्या होगी ? वह अगर उस गाँव से कुछ लाभ चाहे, तो ग्रामवासी उसे वह देंगे। लेकिन अगर वह स्वेच्छा से उसे छोड़ दे, तो बहुत अच्छा होगा।

व्यक्ति जिस गाँव में नहीं रहता, उसके लिए उस गाँव का सदस्य होने का आग्रह करना उचित नहीं है। सारी जमीन गाँव को दान कर देना उचित है और अगर लाभ की कोई आशा न रखी जाय, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वह लाभ चाहे, तो उस गाँव के लोग उसे वह दग।

प्रश्न—ग्रामदानी गाँव का कोई व्यक्ति बाहर नौकरी करता है और उसे वेतन मिलता है। तो क्या वह आय उसे उस गाँव को देनी होगी?

विनोबाजी—सभी काम प्रेम और विवेक के साथ करना ठीक है। यदि किसीकी नौकरी हो और उसने जमीन का दान भी कर दिया हो, तो वह और कुछ नहीं चाहेगा। तब वह यह कह सकता है कि "मेरी नौकरी है, लेकिन उससे पूरी तरह भरण-पोषण नहीं होता, इसलिए अन्यान्य गाँव-वालियों को जितनी जमीन देंगे, उससे मुझे कुछ कम दीजिये, लेकिन जमीन की मुझे आवश्यकता है।" वह यह भी कह सकता है कि "सबको जितनी जमीन देंगे, मुझे भी उतनी ही दीजिये। मुझे जमीन चाहिए और वह मिल जाने पर अपना वेतन मैं गाँव को दे दूँगा।"

प्रश्न—ग्रामदानी गाँव का जो व्यक्ति बाहर रहता है, वह क्या उस गाँव का सदस्य हो सकता है?

विनोबाजी—जो व्यक्ति गाँव के बाहर रहता है, वह सदस्य होकर क्या करेगा? गाँव में रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर रहने पर गाँव का सदस्य क्यों होना चाहेगा? जो लोग ग्रामदान करते हैं, वे ऐसी याचना नहीं करते। लोग ही विवेचना कर देते हैं, इसलिए उनके लिए गाँव का सदस्य होने का प्रयोजन दिखाई नहीं देता।

(२) व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं, व्यक्तिगत दायित्व

प्रश्न—जमीन का व्यक्तिगत स्वामित्व रहना ठीक नहीं, यह कहना क्या गलती नहीं है? इस हिसाब से तो किसी वस्तु पर भी स्वामित्व का

दावा करना ठीक नहीं होगा। तब तो पत्नी और संतान पर भी कोई अधिकार नहीं रहेगा ?

विनोबाजी—ऐसी बात पर मुझमें जिस प्रकार दया का उद्रेक होता है, उसी तरह बड़ा दुःख भी होता है। स्त्री और पुत्र को क्या किसी सम्पत्ति में शुमार किया जाता है ? ऐसी कल्पना करना भी अन्याय है। सन्तान किसकी है ? कहा जाता है 'हमारी'। उसका मालिक परमेश्वर है। वे भगवान् की ही प्रतिमूर्ति हैं। संतान का जन्म हुआ, पर आप संतान को अकेला छोड़कर मर गये, तब बताओ आप किस प्रकार संतान के मालिक हुए ? पत्नी की कोई चिन्ता न करके बिल्कुल बेपरवाह होकर इस दुनिया से चल दिये। इस तरह कोई मालिक अपनी संपत्ति छोड़कर जाता है ? सारांश यह कि ये भाई जानना चाहते हैं कि माता पिता, पति पत्नी इत्यादि पारिवारिक संबंध रहेगा या नहीं ? हम अच्छी तरह परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, स्वामित्व की दृष्टि से नहीं, सेवा की दृष्टि से। परिवार का प्रतिपालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवार की दृष्टि उत्तरोत्तर व्यापक हो। पड़ोसी के घर में खाद्याभाव हो और हमारे घर में अतिरिक्त भोजन हो, यह अशोभनीय है। अगर ऐसा हो, तो पड़ोसी होने का अर्थ क्या है ? अरण्य के पशु की तरह निःसंग रहना ही अच्छा है। आप सन्तान संतति और पत्नी का भरण पोषण कर्तव्य के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की क्या आवश्यकता है ?

प्रश्न—व्यक्तिगत स्वामित्व के बिना क्या समाज चल सकता है ?

विनोबाजी—समाज के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता व्यक्तिगत सेवा की है। व्यक्तिगत सेवा के बिना समाज [illegible] होगा। व्यक्तिगत सेवा का अर्थ है, व्यक्तिगत [illegible] का प्रतिपालन अगर सब व्यक्तियों का [illegible] [illegible] [illegible] इसलिए एक [illegible] [illegible] [illegible] अच्छी तरह [illegible]

सन्तान गुरु के यहाँ जाती है, वहाँ गुरु उनसे स्नेह करता है, शिक्षा देता है और ज्ञानदान करता है। यह बालिका मेरी सेवा करती है, किसी तरह यह बीमार न हो जाय, इस तरफ मेरी दृष्टि रहनी चाहिए। इसके लिए स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत दायित्व-बोध की आवश्यकता है। हमारे दस बारह प्रधानमन्त्री नहीं होते, एक ही व्यक्ति प्रधानमन्त्री होता है, क्योंकि उसी पर सारा दायित्व है। व्यक्तिगत स्वामित्व के बिना समाज नहीं चल सकता,—यह भ्रम है। व्यक्तिगत संपत्ति या स्वामित्व एक बात है और व्यक्तिगत दायित्व और बात है। यह पार्थक्य समझकर हृदयंगम करना होगा।

(३) ग्रामदान और व्यक्तिगत लेना-देना

प्रश्न—जमीन का स्वामित्व न रहने पर उस पर जो कर्ज का भार है, उसका क्या होगा ?

विनोबाजी—वह सब ऋण समाज के हिस्से में आयेगा। कोई परिवार जब एकत्र रहता है, तब क्या होता है ? तब देना और लेना कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता, सभी कुछ सारे परिवार का होता है। इसी प्रकार जमीन जब समूह की हो जायगी, तब जमीन पर जो ऋण होगा, उसे समूह की तरफ से स्वीकार कर लेना समूह का कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, आजकल विवाह में खर्च करने के लिए किसान को जीवनभर कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ग्रामदान हो जाने पर ग्राम ही विवाह का सारा दायित्व ले लेगा। इसी प्रकार लेने-देने का दायित्व भी गाँव का ही होगा।

(४) ग्रामदानी गाँव में आलसी व्यक्ति की अवस्था

प्रश्न—आपने कहा कि ग्रामदान होने पर आलसी व्यक्ति का भी उत्साह बढ़ेगा। यह कैसे होगा ?

विनोबाजी—सब मिलकर जब काम करते हैं, तो उत्साह अपने-आप आ जाता है। परिवार के सभी लोग अगर काम करें, तो जो आलसी है, उसमें भी उत्साह आ जाता है। परिवार अगर व्यापक हो (अगर ग्राम-

परिवार हो), तो उसका उत्साह और भी बढ जायगा। दूसरे के उपकार के लिए काम करने पर उत्साह बढता है। परहित के काम मे उत्साह बढना, यह मनुष्य का ही लक्षण है। जब कटहल होता था, तो माँ पडोसियो को थोडा-थोडा टुकडा दे आने के लिए हमे कहती थी। इस बाँटने के काम मे हमे बडा आनद आता था। प्रत्येक शिशु की यही अनुभूति होती है। बच्चो का जो स्वभाव दिखाई देता है, वही मनुष्य की असली प्रकृति है। गाँव मे अगर कोई आलसी रहता है, तो उसे मारना-पीटना ठीक नही है। बल्कि उस पर गाँववासियो को नजर रखनी चाहिए। गाँव मे सबके लिए अलग-अलग जमीन नही होगी। फिर भी आलसी प्रकृति के लोगो के लिए जमीन का एक अश अलग रख देना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम इस पर खेती करो और खुद ही उत्पादन करके खाओ। इस जमीन पर उसका स्वामित्व नही रहेगा। स्वामित्व रहने पर वह जमीन बेच देगा अथवा गिरवी रख देगा। आलस्य के कारण कितने ही लोगो ने अपनी जमीन खोयी है। अतएव उसे कुछ न कुछ काम करना ही होगा। इस प्रकार शिक्षा देकर आलसियो का उत्साहित करना होगा।

(५) ग्रामदान और प्राचीन सयुक्त परिवार

प्रश्न—पहले सयुक्त परिवार थे, किन्तु इस समय वे टूट गये है। आप ग्राम परिवार की बात कहते है। वह किस प्रकार सभव है?

बिहार में भी उनका लोप हो रहा है। जमीन की 'सर्वोच्च सीमा' (सीलिंग) के कानून से वे डरते हैं और इसीलिए जमीन का आपस में बँटवारा करके पृथक्-पृथक् स्वामित्व कर लेते हैं। लेकिन ग्रामदान से व्यक्तिगत स्वामित्व टूट जाता है। कानून भी इसके अनुकूल होगा अर्थात् व्यक्तिगत स्वामित्व का लोप हो गया है—इस हिसाब से ग्रामदानी गाँवों का कानून बनेगा। लोग खुद ही अपना स्वामित्व छोड़ रहे हैं। अब उन पर कानून की सील मोहर लगा दी जायगी। उड़ीसा में ऐसा किया गया है और अब तमिलनाड में भी किया जा रहा है। अर्थात् सरकार स्वीकार करेगा कि लोगों ने स्वामित्व छोड़ दिया है।

इस प्रकार ग्रामदान के माध्यम से लोग ऊँचे चढ़कर एकत्रित होंगे। पहले संयुक्त परिवार की एकता निम्न स्तर की थी—उसमें सिर्फ रक्त-मात्र का सम्पर्क था। उसमें पृथक्-पृथक् अधिकार का प्रश्न था। ग्रामदान में यह प्रश्न नहीं है। आपस में मेल न होने पर मेरा भाग मुझे अलग कर दो, मेरा प्राप्य मुझे दे दो—ये सब बातें ग्रामदान में नहीं चलेंगी। सब मिलकर एक गाँव है, गाँव का ही स्वामित्व है—इसमें किसीका व्यक्तिगत दावा नहीं है। खुद ही जान-बूझकर स्वामित्व-त्याग कर रहे हैं।

संयुक्त परिवार की संयुक्तता दबाव की चीज थी। इसीलिए वह बंधन था। ग्राम-परिवार में मुक्ति है। सबने स्वाधीनतापूर्वक यह तय किया है कि इस स्वामित्व के बोझ को फेंक दें। इसलिए इसके साथ संयुक्त परिवार की तुलना नहीं हो सकती। संयुक्त परिवार में २०-२५ लोगों की रसोई एक ही जगह पर होती है। इससे पक्षपात, सन्देह वगैरह पैदा होता है। ग्राम-परिवार में एक ही जगह रसोई होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता। सब परिवारों का एकत्र रहना होना पड़ेगा। सिर्फ इतना होगा कि गाँव की आर्थिक व्यवस्था एक हो जायगी और सामाजिक एकता पूरी होगी। ग्रामदान पर म

संयुक्त परिवार की पद्धति नहीं थोपना चाहता। ग्रामदान में पारिवारिक स्वतन्त्रता रहेगी।

(६) भूदान के काम में सरकार की सहायता

प्रश्न—सरकार भूदान के काम में सहायता कर रही है—इस बारे में आपकी क्या राय है?

विनोबाजी—छह साल की चेष्टा के बाद सहायता करने की ओर इस तरफ नजर करने की सरकार की भावना हुई हो, तो इस बारे में यही कहना होगा कि उसकी तरफ से इस बारे में विलम्ब ही हुआ है। सरकार सहानुभूति दिखाती है, इसके लिए मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार सहायता दे रही है, यह सोचकर कहीं कोई अपने-आपको अनाथ न समझने लगे। मुझे इसीका डर है कि "सरकार करेगी, इसलिए हमें अब कुछ नहीं करना"—यह न हो। सरकार सहायता कर रही है, इसलिए ग्रामदान देना बंद करें—अगर ऐसा हो, तो उससे गाँव की शक्ति नहीं बढ़ेगी। इससे स्वराज्य नहीं आयेगा। लेकिन ग्रामदान होने पर सरकार सहायता करेगी—यह मानकर अगर ग्रामदान दिया जाय, तो इसमें कुछ मंगल होगा। कारण यह कि ग्रामदान का स्वतन्त्र मूल्य है। किसी लाभ के लोभ में अगर ग्रामदान हो, तो इसे भी मैं कोई बुरा काम नहीं समझूँगा—वह काम भी अच्छा है, हाँ, सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम काम तो वही है, जिसमें गाँव वाले अपनी शक्ति पर निर्भर करके काम करें और जो कुछ सहायता मिले, उसे उसी शक्ति के आधार पर ग्रहण करके गाँव अपनी बुद्धि का [illegible] करें।

(७) १९५७ साल तक और उसके बाद

पहुँचना हो सकेगा। लेकिन उस चोटी पर पहुँचने पर ऐसा लगता है कि सामने और चोटी है। उस पर चढ़ने पर मालूम होता है कि उसके बाद और भी शिखर है। अर्थात् एक-एक 'पर्व' (भाग) एक के बाद एक आरोहण करना पड़ता है। इसीलिए उसे पर्वत कहते हैं। यह सोचा गया है कि १९५७ के अंत तक एक पर्व समाप्त किया जाय और बाद में भविष्य की चिंता की जाय।

लेकिन १९५७ का साल समाप्त होने से पहले ही मैंने बाद का कार्यक्रम क्या होगा, यह सोच लिया है। वह स्वाभाविक रूप से ही मेरे सामने आ गया है। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। मैंने स्थिर किया है कि मैं ग्रामदान की वाणी का ही प्रचार करूँगा, व्यक्तिगत स्वामित्व विसर्जित करने की प्रेरणा दूँगा, ऐसा होने पर ४० करोड़ एकड़ भूमि हाथ में आ जायगी। ५ करोड़ तो उसका एक अंशमात्र है।

इसके लिए समूचा गाँव ही ग्रामदान में दिया जाय और लोग सहकारिता की पद्धति से काम करें—यही भावी कार्यक्रम मैंने लोगों के सामने रखा है।

आज तक ४० ५० लाख एकड़ जमीन मिली है। इसीसे यह युक्ति स्वाभाविक रूप से सामने आयी है। किसी-किसीको भूदान की अपेक्षा ग्रामदान सहज लगा है। ग्रामदान भी मिल रहे हैं। वातावरण बन रहा है और व्यक्तिगत हृदय-परिवर्तन के साथ ही-साथ सामाजिक वातावरण भी तैयार हो गया है। एक रास्ता खुल गया है और १९५७ का साल समाप्त होने से पहले ही इस नये पथ का दर्शन हुआ है। यह सफलता का लक्षण है।

अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ग्रामदान का काम सफल न हो, तो क्या किया जायगा? यह सवाल करना आलस्य का लक्षण है। जिसकी अभी-अभी शादी हुई है, वह क्या यह सोचती है कि "पति अगर मर गये, तो क्या होगा?" श्रद्धा के साथ प्रयत्न करना होगा। इसके बाद अगला कदम क्या होगा, यह फिर समझ लेंगे। घर में बैठकर केवल

चिंता करने से या केवल ध्यान लगाकर समस्या का समाधान करना चाहें, तो यथायोग्य विचार मन में नहीं आयेगा।

पुराणों में एक कहानी है। परमेश्वर ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। उनके सामने जगत् की सृष्टि करने का कोई उपकरण नहीं था। वे बैठ गये और चिन्ता करने लगे। खूब ध्यान चिन्तन किया, अंत में पागल होने का उपक्रम होने लगा। तब वे तपस्या (कष्ट साधन और सेवा) करने लगे। इससे उन्हें अपनी इच्छित वस्तु मिली। इसका एक सुन्दर मन्त्र वेद में है

"ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत।"

प्रबल तपस्या के द्वारा ऋत और सत्य के दर्शन हुए। इससे सृष्टि रचना करने का पथ खुल गया।

सकता है कि आप भविष्य के बारे में सोचते हो, जो आज होना कठिन है।

विनोबाजी—मैं वर्तमान युग की ही बात कहता हूँ और जो कुछ कहता हूँ, आज उसीकी विशेष आवश्यकता है। आज तक जितना काम हुआ है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ४३ लाख एकड़ भूमिदान मिल गया है और १६३२ ग्रामदान हुए हैं। इतिहास में ऐसे काम की नजीर नहीं है।

लेकिन इस बारे में मुझे कुछ असंतोष भी है। कारण यह है कि भारत की समस्या बहुत बड़ी है और बहुत-से कार्यकर्ता राजनैतिक दलों में फँस गये हैं। सभीके मन में यह भ्रम बैठ गया है कि अधिकार प्राप्त करना होगा और उसी अधिकार के माध्यम से सेवा की जायगी। अर्थात् जो कुछ सेवा का काम करना है, वह सरकार ही करेगी। इसलिए जन-सेवा करने के लिए, जन शक्ति जाग्रत करने के लिए जितने कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, वे नहीं आ रहे हैं। वे लोग सहानुभूति दिखलाते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष काम में भाग नहीं लेते। वे लोग सोचते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ होने पर वे दूसरों को शाप देते हैं अथवा आलसी होकर घर बैठे रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनका विश्वास कम है। सिर्फ अधिकार पर ही उनका भरोसा है। अधिकार एक चीज है और जनशक्ति दूसरी चीज है। दो हाथ मिलने पर ही तो ताली बजती है? इसी प्रकार सरकार और जनशक्ति इन दोनों के एक होने पर ही तो असली सेवा होगी।

प्रश्न—सरकार ने जो योजना बनायी है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं हैं, तो आपका प्रस्ताव क्या है?

विनोबाजी—सरकार ने जो प्लानिंग की है, उससे मेरे प्लानिंग की दृष्टि दूसरी है। सरकारी योजना की दृष्टि नेशनलाइज्ड प्लानिंग की तरह है। सारे देश की योजना दिल्ली में बनती है। मैं चाहता हूँ कि गाँव-गाँव में योजना बने। गाँव के लोग योजना तैयार करेंगे और अपनी जमीन भी बाँटेंगे। कम-से-कम दो साल का अनाज गाँव में मौजूद रहेगा। क्या-

क्या उद्योग चलाये जायँ, यह ग्रामवासी ही सोच-विचार कर स्थिर करेंगे। ग्रामवासी कहेंगे कि अपनी योजना हमीं कर लेंगे। ग्रामवासी ही ग्रामसभा बनायेंगे। केंद्रीय सरकार इन सब गाँवों में सयोग साधने का काम मात्र करेगी। मेरी विचारधारा इसी प्रकार चल रही है। आज जो कुछ हो रहा है, वह इसके विपरीत है। इसीलिए ग्रामदान-आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें गाँव की सारी जमीन गाँव की ही होगी और गाँव अपनी योजना बनायेगा। इसमें किसी सहायता की आवश्यकता होने पर सरकार मदद दे सकती है, लेकिन गाँववासी अपनी शक्ति के बल पर ही प्रायः सब काम चला लेंगे।

(६) समाजवाद और भूदान के कार्य में पार्थक्य

प्रश्न—हमारा देश समाजवाद के माध्यम से उन्नति करने की चेष्टा कर रहा है। उसमें और आप जो भूदान के माध्यम से करना चाहते हैं, उसमें क्या फर्क है ?

(१०) ग्रामदान किसे कहेंगे ?

प्रश्न—यहाँ जिस प्रकार ग्रामदान हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से ग्रामदान कह सकते हैं क्या ? कहीं-कहीं केवल हरिजन योगदान दे रहे हैं, कहीं उनके साथ और भी कोई-कोई आते हैं। कहीं सिर्फ भूमिहीन लोग ही योगदान कर रहे हैं और कहीं भूमिहीन और जमीन के छोटे-छोटे मालिक मिल रहे हैं, लेकिन बड़े मालिक नहीं आ रहे।

विनोबाजी—पेड पर आम लगने पर उसे आम कहते हैं। उनके पक जाने पर भी उन्हें आम ही कहते हैं। कच्चे आम खाने लायक नहीं होते, फिर भी उन्हें आम कहते हैं। इसके अलावा जो खाने के योग्य हैं, उन्हें भी आम ही कहते हैं। जरा-सा कुछ आकार हो जाने पर उसे नाम दिया जाता है। वही आकार जब विकसित होकर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसे उसी नाम से पुकारते हैं। कोई एक साडी बुन रहा है। उनसे पूछने पर वह कहेगा—"साडी बुन रहा हूँ।" लेकिन उस समय सम्भवतः साडी ४ इञ्च मात्र बुनी गयी है, फिर भी उसे साडी कहते हैं। कोई गेहूँ पीस रहा है। उनसे पूछो, तो वह यही कहेगा—"आटा पीस रहा हूँ।" उनसे अगर यह कहो कि "तुम तो गेहूँ पीस रहे हो। फिर आटा पीस रहे हो, यह क्या कहते हो ?" वह कहेगा—"आटा पीसता हूँ, क्योंकि पीसने के परिणामस्वरूप आटा निकलता है।" संस्कृत में इसे 'भविष्यद्-वृत्ति' कहते हैं। योगी अर्थात् जो योग-साधन करता है। वह भी योगी और जिसकी योग-साधना पूर्ण हो गयी है, वह भी योगी। फिर भी अगर अतिरिक्त कुछ कहना हो, तो कहेंगे 'पूर्ण योगी'। जिस प्रकार आम पक जाने पर उसे पक्का आम कहते हैं, आम कच्चा रहने पर उसे कच्चा आम कहते हैं।

इसी प्रकार यहाँ भी ग्रामदान शुरू हो गया है। आप अगर सबके पास न जाना चाहें, तो और बात है। लेकिन अगर आप सबके पास जायें, तो उनमें से कुछ लोग दान देंगे और कुछ लोग नहीं देंगे। जो देंगे,

साधारणतः हरिजन, भूमिहीन और वे लोग होंगे, जिनके पास कम जमीन है। फिर भी वह ग्रामदान में ही शामिल है। क्योंकि इसमें स्वामित्व का विसर्जन किया जाता है।

मान लो, एक गाँव में १०० भूमिवान् और ५० भूमिहीन हैं। सब भूमिवान् लोगों ने अपना स्वामित्व त्याग दिया। फिर भी वह ग्रामदान नहीं हुआ। क्योंकि जो भूमिहीन हैं, उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। उनके पास क्या कुछ नहीं है? वे श्रमवान् और श्रमशक्तिमान हैं। वे अपने श्रम के मालिक हैं। आज वे अपनी श्रमशक्ति अपने परिवार के लिए व्यवहार करते हैं। लेकिन जब वे अपनी श्रमशक्ति समाज को समर्पित कर देंगे, तभी ग्रामदान पूर्ण होगा। वे 'लैंडलेस' (भूमिहीन) हैं और भूमिवान् 'लेबरलेस' (श्रमहीन) हैं। इसलिए ग्रामदान तो तभी पूरा होगा, जब भूमिवान् भूमि देंगे, श्रमवान् श्रम देंगे और बुद्धिमान् बुद्धि देंगे। अर्थात् सबको सब कुछ गाँव को ही समर्पित करना है। बुद्धि और श्रमशक्ति ग्रामदान का पृथक्-पृथक् अंश है।

नहीं है, वह पॉजिटिव है। जमीन, सम्पत्ति, श्रम, बुद्धि, स्नेह—ये सब जो आज परिवार को दिये जाते हैं, वे सब समाज को समर्पण करने होंगे। एक परिवार में सभी विद्वान् और सभी ज्ञानी नहीं होते। जो विद्वान् होता है, वह परिवार के अन्यान्य लोगों को प्रेमपूर्वक समझाता है। इसी प्रकार विभिन्न परिवार की विभिन्न शक्ति होती है। प्रत्येक में कोई-न-कोई तो शक्ति है ही। वही शक्ति आज परिवार को समर्पित की जाती है। मैं इतना ही कहता हूँ कि अपने परिवार को एक बृहत् परिवार में बदल दो। सारे गाँव का एक परिवार कर दो।

● ○ ●

भारत की प्राचीन भूमि-व्यवस्था : २४ :

विभिन्न सूत्रों से प्राचीन भारत की ग्राम-व्यवस्था और भूमि व्यवस्था का जो इतिहास मिलता है, उसमे यह समझ में आता है कि प्राचीन भारत मे गाँव किसी अश तक स्वशासित थे और राज्य गाँव की भित्ति पर ही चलते थे। भूमि पर आज की तरह उग्र व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। अनेक जगह सामूहिक स्वामित्व था। कई जगह भूमि पर गाँव के सभी लोगों का अधिकार स्वीकार किया जाता था और उसीकी भित्ति पर गाँव की व्यवस्था बनती थी। साराश यह कि भारत का इतिहास भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को विसर्जन करने और स्वावलम्बी स्वशासित ग्राम-समाज प्रतिष्ठित करने के अनुकूल है।

किसी जमाने में जमीन पर गाँव के सभी लोगो का अधिकार स्वीकार किया जाता था। लोहार, कुम्हार, सुतार वगैरह जो खेती नहीं करते थे, वे सालभर गाँव के लोगो से जो काम मिलता, उसे करके गाँव के लोगों की सेवा करते थे। इसके एवज मे वे कोई पारिश्रमिक नहीं लेते थे। वे गाँव के लोगो से फसल का एक अश पाते थे। इस प्रकार गाँव की जमीन पर उनका भी अधिकार है, यह स्वीकार किया जाता था। हाँ, वे जमीन की जुताई न करके किसानो को जिस सेवा की आवश्यकता होती, वह कर देते थे और किसान उनकी तरफ से खेती करते थे। इसलिए जिस साल फसल कम होती, उस साल उन्हे कम मिलता और जिस साल फसल ज्यादा होती, उस साल वे ज्यादा पाते थे। किसानों के कष्ट मे पडने पर उन्हे भी कष्ट होता था और किसानो के सुखी रहने पर वे भी सुखी रहते थे। शिक्षक भी गाँव की सेवा करते थे। अपने भरण-पोषण के लिए वे भी ग्रामवासियों से फसल का एक अश पाते थे। इस प्रकार एक-दूसरे एक-दूसरे की सेवा करते थे और एक-दूसरे के सुख दुःख के भागीदार होते थे।

की प्रथा बिलकुल नहीं थी। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जो अपनी जमीन खुद जोत सकते थे, उन्हें आदर्श किसान समझा जाता था। अर्थात् जहाँ किसीके लिए जमीन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, वहाँ नितान्त असहाय अवस्था के सिवा मजूरी लेकर किसी और की जमीन पर काम करना लज्जाजनक ही तो है ? वेतनभोगी नौकर रखना भी सामाजिक कलंक समझा जाता था। उसे दास से भी नीचे समझा जाता था।

जब से इसके विपरीत परिस्थिति शुरू हुई, तभी से सामाजिक पतन शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'जातकों' में खेद प्रकट किया गया है। निर्दिष्ट सरकारी कर के अलावा भी कभी-कभी कर लिया जाता था। दुर्भिक्ष, युद्ध वगैरह संकटों के प्रतिकार की व्यवस्था के लिए सरकारी गोदाम भरे जाते थे और कभी-कभी विशेष कर लिया जाता था। उस समय श्रमदान करने की प्रथा प्रचलित थी, ऐसा प्रतीत होता है। गाँव के अपने काम में सहायता करने के लिए गाँव के लोग ही श्रमदान देते थे। हाँ, कभी-कभी राजा के शिकार वगैरह की व्यवस्था के लिए भी श्रमदान कराया जाता था। मदुरा के सुविख्यात मीनाक्षीदेवी के मन्दिर की दीवाल के एक चित्र में दिखाई देता है कि शिव अपने माथे पर उठाकर मिट्टी की टोकरी लेकर जा रहे हैं और उनके पीछे बहुत-से लोग पुल बनाने में लगे हुए हैं। इसका यही अर्थ है कि गाँव का पुल बनाने के काम में गाँव के लोग श्रमदान कर रहे हैं और गणदेवता भगवान् शिव श्रमदान के काम में अपने आपको लगाकर जनता को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय गाँववालों में कोई खूब धनी या खूब गरीब नहीं था। साधारण गरीबों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी।

मद्रास के धान्य भंडार तंजोर जिले में भी सौ साल पहले गाँव की जमीन पर गाँववालों का सामूहिक अधिकार था और एक या दो साल के अन्तर से जमीन का फिर से बँटवारा होता था। इसे 'करइयिद'

प्रथा रहते थे। तंजोर 'डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' के परिशिष्ट में इस बारे में एक अंग्रेज का एक लेख है। उसमें इस प्रथा के उदाहरणस्वरूप नन्निलम गाँव के एक कबूलियतनामे की नकल भी दी गयी है। उससे वहाँ के प्रचलित 'समुदायम्' नामक खेती का परिचय मिलता है। 'समुदायम्' खेती का अर्थ है भूमि पर सामूहिक स्वामित्व। समुदायम् खेत दो तरह के थे। पहले प्रकार की जमीन पर सामूहिक अधिकार रहता था, लेकिन किसीको पृथक् जमीन नहीं दी जाती थी। हाँ, मकान से लगी हुई जमीन, जिसका मकान की भूमि के रूप में व्यवहार करने का प्रयोजन होता था, वह व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। जमीन पर निर्दिष्ट परिमाण में परिश्रम करने पर जमीन की फसल का अंश मिलता था। गाँव के लोगों की जमीन जोतने के लिए समान पशुधन और उपकरणादि रहते थे।

यह प्रथा क्रमशः लुप्त हो गयी और दूसरी तरह की खेती अर्थात् 'करैयिड' प्रथा शुरू हुई। इस प्रथा में गाँव की सारी जमीन को कई हिस्सों (ब्लाक) में बाँट दिया जाता है। इसे तमिल भाषा में 'कोरै' कहते हैं। गाँव की जमीन के परिमाण के अनुसार गाँव में ४ से १० तक 'कोरै' होते थे। भूमि वितरण के लिए प्रत्येक 'कोरै' को फिर कई उपभागों में बाँट दिया जाता था। इन उपभागों को 'पागु' कहते थे। एक पागु में १ वेलि से ३ वेलि तक जमीन होती थी। १ वेलि = ६.६ एकड़। शुरू-शुरू में एक साल के अन्तर से भूमि का पुनर्वितरण होता था। इसमें असुविधा होने की वजह से कई साल के अन्तर से भूमि का पुनर्वितरण होने लगा। भूमि के पुनर्वितरण के लिए प्रथमतः प्रत्येक 'कोरै' के लिए एक व्यक्ति के हिसाब से जितने प्रमुख व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, वह गाँव की जमीन के भागीदारों की तरफ से सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता था। उन्हें 'कोरैकरण' या 'कोरैस्वामी' कहते थे। 'कोरैकरणों' के नियुक्त हो जाने पर प्रत्येक 'कोरै' के लिए भागीदार स्थिर किया जाता था। मान लो, एक गाँव में ८ 'कोरै' हैं और ४ 'कोरै' के १५ भाग या पागु

है अर्थात् १५ भागीदार है। ४ 'कोरै' के लिए ४ 'कोरैकरण' या प्रमुख नियुक्त हुए है। लेकिन कौनसा प्रमुख किस 'कोरै' के लिए है, यह तय नहीं हुआ। अब प्रत्येक 'कोरैकरण' का नाम एक छोटे से भूर्जपत्र (भोजपत्र) पर लिखा जायगा। अर्थात् 'कोरैकरणों' के नामांकित ४ भूर्जपत्र होंगे। अब प्रत्येक 'कोरै' में जितने भागीदार तय हुए है, उनका नाम एक एक बड़े भूर्जपत्र पर लिखा जायगा। अर्थात् भागीदारों के नाम लिखे हुए ४ बड़े भूर्जपत्र होंगे। कौन किस 'कोरै' के भागीदार है, यह तो निर्दिष्ट ही है और भागीदार के नाम के भूर्जपत्र में कौनसा कोरै है, यह उल्लेखित रहेगा। अब कौनसा 'कोरैकरण' किस कोरै का भार लेगा, यह तय करना है। लॉटरी पद्धति से यह स्थिर किया जाता था। अर्थात् छोटे ४ भूर्जपत्र और बड़े ४ भूर्जपत्र एक साथ मिलाकर रख दिये जाते थे और एक ४-५ साल के निरक्षर बालक से एक-एक बार एक छोटा और एक बडा उठवा लिया जाता था और इस प्रकार ४ बार ४ भूर्जपत्र उठवाये जाते थे। इससे कौनसे 'कोरै' किस 'कोरैकरण' का होगा, यह स्थिर हो जाता था। इसके बाद 'कोरैकरण' की सलाह के अनुसार चलने का, अपने अंश की जमीन की प्राप्ति स्वीकार करने का और जमीन का आवश्यकीय संस्कारादि करने का और रोज की अन्य आवश्यकीय व्यवस्था करने के लिए भागीदारों को एक कबूलियतनामा लिखकर देना पड़ता था। यह बताने की जरूरत नहीं कि जमीन पर सामुदायिक स्वामित्व होता था, इसलिए जमीन को विक्रय करने का, गिरवी रखने या तिल करने का अधिकार किसीका नहीं था।

कालडी सर्वोदय सम्मेलन से लौटते समय लेखक कई साथियों के साथ तंजोर की सुविख्यात 'सरस्वती महल' लायब्रेरी देखने गये थे। वहां लायब्रेरी के अध्यक्ष से उनकी बातचीत हुई। ग्रामदान का प्रसंग उठने पर उन्होंने तंजोर जिले की 'कारयिड' प्रथा का उल्लेख किया और बताया कि तंजोर शहर से कुछ मील दूर गणपति आग्रहारम्' नाम का एक

गॉव है। यहाँ आज भी कोरेयिड प्रथा प्रचलित है। गॉव मे ८ साल के अन्तर से भूमि का फिर से बॅटवारा होता है और भूमि का फिर से बॅटवारा होने से पहले गाव के लोगो मे अगर कोई झगडा-विवाद बिना निपटे रह गया हो, तो वह सब गॉव के लोग खुद ही निपटा लेते है और उसके बाद भूमि का फिर से वितरण शुरू होता है। उन्होंने लेखक से इस गॉव को देखकर जाने का भी अनुरोध किया।

● ● ●

भारतवर्ष एक विराट् देश है। उसकी समस्या भी विराट् और जटिल है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न मतवाद और विभिन्न राजनैतिक दल हो सकते हैं। इसलिए इस देश में तरह-तरह के राजनैतिक दल हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की कुछ मौलिक समस्याएँ हैं। इन सब मौलिक समस्याओं का समाधान न होने तक किसी मतवाद का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। इन सब मौलिक समस्याओं में सबसे जरूरी समस्या है, भारत की जनता का असहनीय दारिद्र्य और उसके साथ ओतप्रोत रूप से जडित भूमिहीनता और बेकारी की समस्या। घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने की समस्या जिस प्रकार जरूरी है, भूमि समस्या का समाधान भी आज उसी तरह जरूरी हो गया है। कारण यह कि भूमि समस्या के समाधान होने पर ही उसकी भित्ति पर बेकारी और दरिद्रता की समस्या के दूर करने के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। गाँव में किसी घर में आग लगने पर गाँव के सब दलों और सब धर्मों के लोग जिस प्रकार भेदाभेद और दलभेद भूलकर आग बुझाने के लिए आगे आते हैं, उसी प्रकार भूमि की समस्या के समाधान के लिए भी सब दल और पथ के लोगों को दूसरे कामों को कुछ देर के लिए अलग रखकर, भेदाभेद भूलकर, मिलकर आगे आना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है।

अनेक प्रकार से भूमि समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी राजनैतिक दल यही सोचते हैं। विभिन्न राज्यों में कानून के जरिये भूमि समस्या का समाधान करने की चेष्टा चल रही है। लेकिन अब सब राजनैतिक दलों को यह बात समझ में आ गयी है कि कानून के द्वारा भूमि समस्या का समाधान करना जितना सहज समझते थे, वास्तव में यह उतना सहज नहीं है।

आज साढे छह साल से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन चल रहा है। भूदान यज्ञ ने भूमि-समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट पथ ग्रहण किया है। वह हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल है। भूदान-यज्ञ आगे बढ़ते बढ़ते उसमें से ग्रामदान का विचार आ गया है। ग्रामदान से सिर्फ भूमि-समस्या का ही समाधान होगा, सो बात नहीं है। उसके द्वारा समाज के दुःख के मूल पर ही कुठाराघात होगा। क्योंकि उससे भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर होता है और परिवार की परिधि बढ़ती है। इस पद्धति से काम हो सकता है, यह बात सभीने देख ली है।

कोई भी राजनैतिक दल भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व त्यागने की बात नहीं कहना चाहता अथवा परिस्थिति को देखकर बोलने का साहस नहीं करता। इसलिए सभी राजनैतिक दल सीलिंग के द्वारा भूमि-समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अन्यान्य दलों की तो बात जाने दो, कम्युनिस्ट दल भी कृष्णा-गोदावरी नदी के किनारे की सिंचाई की हुई अच्छी जमीन का २० एकड सीलिंग करने का पक्षपाती है। जिस देश में औसत फी जन सिर्फ ६७ शतांश जमीन है, उस देश में इस प्रकार सीलिंग द्वारा कितने भूमिहीनों को भूमि मिल सकती है? अतएव कानून के द्वारा भूमि-समस्या का समाधान होना या भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर करने की बात सोचना मरीचिका के समान है।

ग्रामदान के लिए अब तक जो प्रयत्न हुआ है, वह समस्या की तुलना में कुछ नहीं है। फिर भी इस क्षुद्र प्रयत्न के द्वारा करीब ३ हजार गाँवों में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर हुआ है। इससे देश की तरफ से जो उत्साह मिलना उचित था, वह कुछ भी नहीं मिला। हिंसात्मक उपाय से अगर ३० गाँवों का स्वामित्व भी दूर होता, तो सर्वत्र हल्ला मच जाता। शान्ति के रास्ते यह काम हुआ है, इसीलिए मानो यह एक अपराध है। फिर भी आशानुरूप उत्साह न मिलने पर भी उसका मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। कोई-कोई राजनीतिक दल या किसी मतवाद

के लोग भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को दूर करने के प्रति उँगली तक उठाने का साहस करते हैं। इसके अलावा कानून व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन और रक्षण का काम करता है। ऐसी आबहवा में इतना काम हुआ है, यही आश्चर्य की बात है।

जो भी हो, यह खुशी की बात है कि ग्रामदान के बारे में किसी राज-नैतिक दल की आपत्ति नहीं है। सभी इसका समर्थन और अभिनन्दन करते हैं। लेकिन यह आज एक अत्यन्त जरूरी सवाल हो उठा है, इस बात को कोई नहीं समझता। किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की संभावना है। युद्ध छिड़ जाने पर विदेश से अनाज मँगवाना बन्द हो जायगा। देश के करोड़ों लोग तब अनाज के अभाव में मरने लगेंगे। अतएव अभी से ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे देश अविलम्ब अनाज के बारे में स्वावलम्बी हो सके और गाँव-गाँव में कम-से-कम दो साल का अनाज मौजूद रहे। यह बात एकमात्र ग्रामदान से ही हो सकती है।

हम कह चुके हैं कि घर में आग लगने पर सबको सब काम छोड़ कर आग बुझाने के लिए भागना पड़ता है और उस समय दलबंदी भूल-कर एक साथ काम करना पड़ता है। आज ग्रामदान का प्रश्न भी वैसा ही है। सभी लोगों को इस काम के लिए भागकर आना चाहिए और दलबंदी भूलकर एक साथ इस काम में लगकर जल्दी-से-जल्दी इस काम को पूरा कर देना चाहिए। अन्यथा भारत की खैर नहीं है।

एक सम्यद्रष्टा ऋषि की दृष्टि में यह सत्य उद्भासित हुआ है। उनके करुणापावन हृदय में इस विपदा का संकेत गूँजा है। मृत्यु के कराल हाथों में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों का आर्तनाद उनके अन्तर को जला रहा है। जन-जन की यही तीव्र ज्वाला सन्त पुरुष ने अपने हृदय में अवरुद्ध कर रखी है। उसी अवरुद्ध ज्वाला का तेज उन्हें निरन्तर ग्राम से ग्रामान्तर, प्रदेश से प्रदेशान्तर में भगा रहा है। भागते-भागते वे व्यूह में घुस गये हैं। वहाँ उनकी मान रक्षा करेगा? उन्होंने तन्त्र तोड़ दिया है। उन्होंने आंदोलन को तरथा के

-यन से मुक्त कर दिया है। उन्होंने जनता की आत्मा पर अपने विश्वास का टिकाया है। चक्रव्यूह में से अभिमन्यु की तरह वे सहायता के लिए सबको अपना आकुल आह्वान जता रहे हैं '

"मैं आप लोगों से सिर्फ सहायता की प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों का एक साथी इस काम के लिए निकल पड़ा है। वह व्यूह में घुस पड़ा है। अब वह आपकी सहायता चाहता है। महाभारत में लिखा है सुभद्रातनय चक्रव्यूह में घुस पड़ा है, बाकी लोग उसकी सहायता करें, तभी वह बच सकेगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार इस व्यक्ति ने भी चक्रव्यूह में प्रवेश किया है और आप सब लोगों की मदद चाहता है। आप चाहें, तो उसे बचा सकते हैं और इस काम के दायित्व से उसे मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा उसके और उसके कई साथियों के भाग्य में जो लिखा है, वह तो होगा ही।"

जनता क्या खड़ी-खड़ी असहाय की तरह यह हृदयविदारक दृश्य देखती रहेगी या सब मिलकर कूद पड़ेंगे और अभिमन्यु का उद्धार करेंगे?

परिशिष्ट 1

सबके पास देने के लिए कुछ है !

[विनोबा]

जिनके पास है, उनसे हमें लेना है, और जिनके पास नहीं है, उन्हें देना है। सोचने की बात यह है कि 'ईश्वरु' कौन है और 'इल्लश्वरु' कौन है। आरम्भ में हम भी बोलते थे कि जिनके पास भूमि या सम्पत्ति है, वे भूमिहीनों तथा सम्पत्तिहीनों को भूमि और सम्पत्ति दें। भूमिवाले और सम्पत्तिवाले 'ईश्वरु' हैं और भूमिहीन, सम्पत्तिहीन 'इल्लश्वरु' हैं। लेकिन इस यात्रा में धीरे-धीरे हमारी बुद्धि के पटल खुल गये। आकाश-सेवन से बुद्धि विशाल बनती है। सूर्य-किरण के सेवन से तेजस्वी बनती है और हवा के सेवन से मुक्त बनती है। हमारी बुद्धि भी धीरे-धीरे व्यापक होती गयी, उसमें प्रकाश आया, वह मुक्त होती गयी और हमारे ध्यान में आया। विचार स्पष्ट हुआ कि इस दुनिया में 'इल्लश्वरु' कोई नहीं है। भगवान् ने हरएक को कुछ-न-कुछ दे ही रखा है। वह ऐसा निर्दय नहीं है कि उसने किसीको 'इल्लश्वरु' बनाया हो। उसने किसीको बुद्धि दी है, किसीको श्रम शक्ति दी है, किसीको भूमि दी है, किसीको सम्पत्ति दी है और भी पचासों प्रकार का दान उसने दिया है। उसने हरएक को पाँच इन्द्रियाँ दी हैं। सुन्दर नर-देह दी है। हरएक को मातृप्रेम दिया है, पिता का प्रेम दिया है। ऐसी बहुत-सी चीजें उसने हरएक को दी हैं। कोई चीज किसीको कम मिली है, तो कोई चीज किसीको ज्यादा मिली है। इसमें उसका पक्षपात नहीं है। जिसकी जितनी वासना थी, जितनी [illegible] करनी थी, उसके अनुसार उसे चीज मिली।

हर व्यक्ति सम्पत्तिवान्

किसी बनिये की दूकान पर मैं जाता हूँ, जहाँ घी, शक्कर, [illegible] आदि कई चीजें पड़ी होने पर भी मैं दियासलाई माँगता हूँ, तो [illegible]

निश्चय ही देगा। जो चीज अच्छी है, उसे वह अपनी ओर से नहीं
देगा, बल्कि जो मैं माँगता हूँ, वही देगा। उसी तरह से परमेश्वर हमारी
भावना के अनुसार देता है। अर्थात् भगवान् ने हरएक को कुछ-न-कुछ
दिया ही है और हरएक के पास कुछ-न-कुछ चीज नहीं भी है। यानी दु-
निया में मनुष्य 'उण्डवाला' भी है और 'इल्लवाला' भी है। किसीके पास कोई चीज
है, तो वह उस वस्तुवाला बन जाता है और किसीके पास कोई चीज
नहीं है, तो वह उस वस्तु के अभाववाला हो जाता है। यह कहना ठीक है
कि जिनके पास है, उन्हें देना है और जिनके पास नहीं है, उन्हें लेना है।
हमारा मतलब यह है कि हरएक को देना ही है। देने के लिए हमारे
पास चीज पड़ी है। हाथ, बुद्धि, वाणी, शरीर आदि साधनों से हमें देना
ही है। कोई अपने मन में यह न समझे कि मेरा धर्म लेने का है। हर
कोई यह समझे कि मेरा धर्म देने का ही है।

ग्रामदान कब पूरा होगा ?

आजकल हम ग्रामदान की बात करते हैं। लोग समझते हैं कि जिनके
पास जमीन है, वे अपनी जमीन गाँव को दें, तो ग्रामदान हो गया। जो
जमीनवाले अब तक अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करते
थे, उन्होंने सारे गाँव को घर समझकर अपनी जमीन का उपयोग गाँव
के लिए करने का तय किया, यह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इतने से
ग्रामदान कैसे पूरा हुआ ? यह तो उसका केवल एक अंश हुआ। गाँव के
धनवान् आज तक अपनी संपत्ति का उपयोग घर के लिए करते थे।
उन्होंने अपनी सम्पत्ति का उपयोग गाँव के लिए करने का तय किया,
इससे ग्रामदान बढ़ेगा। फिर भी ग्रामदान पूरा नहीं हुआ। गाँव के मज-
दूरों के पास श्रम शक्ति है। बन्दर फल खाना जानते हैं, पर पेड़ों की
सेवा करना नहीं जानते। भगवान् ने उन्हें भी हाथ दिये, पर खाने के
लिए, तोड़ने के लिए। वे उत्पादक परिश्रम नहीं करते। पेड़ों की सेवा
करें फिर फल माँगें, यह बुद्धि उन्हें नहीं है। इसमें उनका दोष नहीं
है। वे बेचारे अज्ञानी जीव हैं। परन्तु भगवान् ने मनुष्य को हाथ दिये

है, उत्पादक परिश्रम के लिए। यह सेवा-शक्ति मजदूर आज अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मजदूर अपनी श्रम शक्ति ग्राम के लिए समर्पण करेंगे, तो ग्रामदान का और एक हिस्सा होगा।

अगर गाँव में ऐसा कोई शख्स है, जिसके पास न भूमि है, न सम्पत्ति, न श्रम-शक्ति, तो क्या उसके पास देने की कोई चीज है? **हरएक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यही सोचना चाहिए कि मेरे पास देने की क्या चीज है।** मान लीजिये, एक शख्स दुर्बल है, परन्तु पढ़ा-लिखा है, तो वह अपनी सेवा गाँव को समर्पण करे, विद्या गाँव को दे। आप कहेंगे कि आज भी यही होता है, मजदूर गाँव की सेवा करता है, गुरु पढ़ाता है, व्यापारी, साहूकार पैसे देते हैं। हाँ, वे देते हैं, पर वह दान नहीं है, समर्पण नहीं है, वह सौदा है। हम इतना देंगे, तो उसमें से इतना लेना है। यह लेन-देन तो दुनिया में चल ही रहा है। परन्तु दान में केवल समर्पण की बात है। कोई पूछेगा कि तो क्या हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा? आपको वापस जरूर मिलेगा। पर, वह समाज की तरफ से प्रसाद के रूप में मिलेगा। समाज की तरफ से सबका संरक्षण यथा-शक्ति होगा। परन्तु हमें इतना वापस मिलना चाहिए, यह सोचकर हम नहीं देते हैं, निरपेक्ष बुद्धि से गाँव को समर्पण करते हैं, तो ग्रामदान पूरा हो जाता है। विद्यादान से ग्रामदान का एक हिस्सा पूरा हो जाता है।

प्रेम का स्नान

कोई शख्स ऐसा हो, जिसके पास न जमीन है, न सम्पत्ति, न बुद्धि, न श्रम शक्ति। वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा है। वह क्या देगा? उसीकी सेवा में दूसरों को बहुत कुछ देना पड़ता है। परन्तु उसके पास भी देने की चीज है। हमें अपने अन्दर परीक्षा करनी चाहिए कि क्या मेरे पास कोई चीज है, जो मैं दे सकता हूँ और क्या मैं उसे दे रहा हूँ। उस बीमार के पास भी देने की कोई चीज है। वह बूढ़ा है, उसका लड़का उससे मिलने आता है। बूढ़े ने लड़के की ओर बहुत प्यार से देखा और

उनकी आंखों से धारा बहने लगी। उसने अपने बेटे को प्रेम दिया। उसके पास देने की कोई चीज नहीं थी। परन्तु जहाँ उसने अपने बेटे को देखा, उसका प्रेम हृदय के अन्दर रुक नहीं सका, प्रेम का प्रवाह बाहर निकल पड़ा और उसने अपने बेटे को प्रेम का स्नान कराया। वह लड़का चला गया और थोड़ी देर बाद गाँव का दूसरा कोई लड़का आया और बूढ़े ने उसकी ओर देखा, लेकिन सिर्फ देखा ही, और कुछ नहीं हुआ। जो प्रेम वह अपने लड़के को दे सकता है, वह दूसरों को नहीं दे सकता है। परन्तु मान लीजिये कि उसे आसमान का विचार ऊँचा है कि मुझे भी समाज को कुछ-न-कुछ देना है, तो फिर यह होगा कि उसे जिस किसी मनुष्य का दर्शन होगा, उसका हृदय भर आयेगा और वह उसे खूब प्रेम देगा। तो सब को उसने बहुत बड़ी चीज दी। ऐसे मनुष्य के दर्शन के लिए सब लोग लालायित रहते। लोग कहेंगे कि यह सन्त पुरुष है, जिसे हरएक के दर्शन में भगवान् का ही दर्शन होता है और वह सबको प्रेम ही प्रेम देता है। आज भी हरएक के पास प्रेम पड़ा है। परन्तु वह अपने अपने परिवार के लिए सीमित रखा है। सबके लिए खुला नहीं है।

धर्म-विचार सब पर लागू

मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस दुनिया में 'हल्लदवद' कोई नहीं है। अपने पास देने का जो चीज पड़ी है, उसे हम दिल खोलकर दें, यह दान विचार है। इसलिए ऐसी गलतफहमी में मत रहिये कि इसमें चंद लोगों को दान देना है और चंद लोगों का काम लेना है। जो धर्म होता है, वह सबको लागू होता है। सत्य बोलना, करुणा, प्रेम आदि धर्म हैं। इसलिए वे सबको लागू हैं। अगर यह दान विचार चंद लोगों को लागू होता है और चंद लोगों को नहीं लागू होता, तो समझना चाहिए कि वह धर्म-विचार हो रहा है।

शिरालकट, मैसूर
१६-'५७

परिशिष्ट २

विश्व-युद्ध से रक्षा के लिए ग्रामदान

दस साल पहले एक जागतिक युद्ध हो रहा था। वह युद्ध तो चला योरोप और जापान की तरफ, परन्तु उसके परिणामस्वरूप बंगाल में ३० लाख लोग अकाल से मर गये। उस प्रदेश में लड़ाई के कारण अनाज के दाम बढ़ गये, लोगों को खाना नहीं मिला, इसलिए ३० लाख लोग मर गये। दुनिया की हालत ऐसी है कि कब महायुद्ध शुरू होगा, यह नहीं कह सकते हैं। उस हालत में अनाज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। फिर हमारे गाँव कैसे बचेंगे? यही हमारे सामने सवाल है।

गाँव कैसे बचे?

अनाज गाँव में पैदा होता है, लेकिन वह गाँव के बाहर चला जाता है। क्योंकि गाँव के लोगों को कपड़ा, तेल जैसी आवश्यक चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जिसके लिए उन्हें अनाज बेचना पड़ता है। गाँव में जमीन चन्द मालिकों के हाथ में होती है, जो सारे गाँव के लिए कितना अनाज चाहिए, इसका हिसाब नहीं रखते हैं। इस हालत में हिन्दुस्तान पर अकाल की आपत्ति कभी भी आ सकती है। इसका उपाय हम सबको ढूँढना चाहिए। यह कहना गलत है कि सरकार उपाय करेगी। इसके लिए तो गाँव गाँव के लोगों को एक होकर अपना बन्दोबस्त करना चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम तीन बातें करनी चाहिए

(१) जमीन सबकी बनानी चाहिए। सब मिलकर काश्त करेंगे और बाँटकर खायेंगे। गाँव के लिए जितना अनाज चाहिए, उतना [illegible] बाकी बेचेंगे।

(२) कपड़ा, तेल, गुड़ [illegible] गाँव के लिए आवश्यक [illegible] बनानी चाहिए।

(३) गाँव के कुछ लोगों को तालीम मिलनी चाहिए, [illegible] ना चाहिए।

गाँव-गाँव के बड़े-बड़े लोगों को भी समझना चाहिए कि हम भारी जमात गाँव का नहीं बनायेंगे, तो विश्वयुद्ध की सूरत में हमारे गाँववाले भूख से मरेंगे। छोटों को समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान की फसल बढ़ाना हमारे हाथ में है। हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, तो फसल बढ़ेगा। आज की हालत ऐसी है कि मजदूर मालिकों को काम में ठगते हैं और मालिक मजदूरों को दाम में ठगते हैं। मजदूर कम-से-कम काम करना चाहते हैं और मालिक कम-से-कम दाम देना चाहते हैं। इसमें फसल घटती है, देश का नुकसान होता है। आज अपने देश को बाहर से मदद मिलती है। इतने बड़े देश को अन्दर से ही मदद न मिली, तो बाहर से कहाँ से और कब तक मिलेगी?

भूमि स्वयंभू देवता

हवा और पानी के समान जमीन भी सबकी होनी चाहिए। क्या हवा के लिए कभी झगड़ा होता है और कचहरी में मुकदमा जाता है? फिर जमीन के लिए झगड़ा क्या होना चाहिए? जमीन ईश्वरीय चीज है, उसकी कीमत पैसे में करना गलत है। वह बेचने और खरीदने की चीज नहीं है। कहते हैं कि हमारी जमीन महँगी है, दो हजार रुपये एकड़ की है। हम कहते हैं कि आप एक गढ़ा खोदिये, उसमें दो हजार रुपये रखिये, उस पर चार महीने बारिश बरसने दीजिये और फिर देखिये, कितनी फसल आती है।

में आप मिट्टी की कीमत करते हो ? पैसा मुर्दा है, जमीन जिन्दा है। जमीन की कीमत पैसे में नहीं हो सकती है। वह इतनी महँगी और प्रिय है कि उसकी कीमत पैसे में नहीं बता सकते हैं। आप लाखों रुपये देंगे, तो भी हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। परन्तु कोई काश्त करनेवाला माँगेगा, तो उसे प्रेम से देंगे।

हमारे दादा के एक मित्र थे। उन्होंने दादा से कहा कि "मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पूजा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा देवता आप ले लीजिये।' फिर हमारे घर में अपने देवता के साथ उस देवता की भी पूजा शुरू हो गयी। जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा हुई है, उस देवता को क्या रुपये में बेच सकते हैं ? मूर्ति बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हुई। वह मामूली पत्थर है। जमीन में प्राण है ही, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे सूर्य स्वयम्भू देवता है, उसमें प्राण है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पृथ्वी भी स्वयम्भू देवता है। ऐसे परम देवता को हम कभी बेच नहीं सकते हैं। परन्तु अपने गाँववालों को प्रेम से सेवा करने के लिए दे सकते हैं। यह विचार समझकर हम अपने गाँव की जमीन एक बनायेंगे। सब मिलकर अपने गाँव की योजना बनायेंगे। इसके अनुसार काम करेंगे, तो महायुद्ध में हमारे गाँव बच जायेंगे। नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी।

बनीकुप्पे, मैसूर
१८-९-'५७

परिशिष्ट ३

ग्रामदान : एक परिपूर्ण विचार

(एलवाल ग्रामदान परिषद् में ता० २१ सितम्बर, १९५७ को पू० विनोबाजी के प्रास्ताविक भाषण का सार)

मेरी मनःस्थिति हिन्दुस्तान के देहाती भाइयों की मनःस्थिति के समान है। इसलिए सज्जनों का दर्शन होता है, तो अपार तुष्टि का अनुभव करता

है। महात्मा गाधी की आज जन्म तिथि है, यह भी हमारे लिए एक बडा
आशावाद है। जो राह उन्होंने दिखाई, वह हिन्दुस्तान मे चलनी चाहिए।
एक प्रकाश हमको मिला था, वह छिप गया था। उसकी तलाश मे
मै घूमता था। जब तेलगाना में पहुँचा, तो कुछ प्रकाश महसूस हुआ।

मेरी एक मूलभूत श्रद्धा है कि हरएक मनुष्य के हृदय मे अन्तर्यामी
है। ऊपर-ऊपर से जो बुराइयाँ दीखती है, वे गहराई में नहीं होतीं।
इसलिए मनुष्य-हृदय की गहराई में प्रवेश करके वहाँ जो अच्छाइयाँ भरी
है, उनको बाहर लाने की कोई तरकीब मिलनी चाहिए। मिल सकती है,
वा तेलगाना मे उस श्रद्धा के अनुसार एक चीज मिल गयी। एक छोटी सी
घटना,—जमीन की माँग हुई, देनेवाला भाई उपस्थित हुआ, मैने वह
ईश्वर का इशारा समझा।

मै यह कहता रहता था कि भूमि की मालकियत का खयाल धर्मविरुद्ध
है—विचारविरुद्ध है। क्योकि मै पूर्ण प्रेम से माँगता था—और वही
हर—तो लोगों ने देना भी शुरू कर दिया। एक हवा बनती चली गयी।
देश विदेश के लोग यात्रा मे शामिल होने लगे। भूमि-समस्या हल होती है
या नहीं, यह तो बिलकुल ही छोटी-सी चीज थी। पर एक तरीका आजमाया
जा रहा था, जो गाधीजी का सिखाया हुआ था। दुनिया आज हिसा
से त्रस्त है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 'इनर्शिया' के कारण शस्त्रास्त्र
बन रहे है, पर उनसे कोई मसले हल नहीं होते है। तो इस दूसरे नये
तरीके को देखने के लिए लोग कुतूहल से आते थे।

गाधीजी हमेशा ट्रस्टीशिप की थियोरी बताते थे। कुछ लोगो का
खयाल है कि यह मालकियत छोडने की बात शायद गाधीजी के ट्रस्टीशिप
के विचार के प्रतिकूल न भी हो, तो भी भिन्न है। यह कुछ विसगत कार्य
होता है। इसलिए मै ट्रस्टी की व्याख्या यहाँ रखना चाहता हूँ। माता-
पिता अपने बच्चो के लिए ट्रस्टी होते है, उससे बेहतर उपमा ट्रस्टी की
[illegible] है। तो उनका लक्षण क्या है? एक तो यह है कि वे जितनी
अपनी चिन्ता करते है, उससे ज्यादा बच्चो की करते है, जिनके लि

होगी, ताकि उन्हें अनाज न बेचना पड़े। इस दृष्टि से भी ग्रामवासियों के लिए गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए गाँव में जो कच्चा माल होगा, उससे ग्राम-उद्योग के द्वारा पक्का माल तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। अतएव केवल गांधी-दर्शन के आदर्शानुसार ग्राम-उद्योग का प्रयोजन नहीं है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति के प्रयोजन के लिए भी ग्राम-उद्योग की व्यवस्था अपरिहार्य और जरूरी है।

उपर्युक्त बातों से यह सोचना ठीक होगा कि देश में संकट की अवस्था है। संकट के आ उपस्थित होने पर ही संकट के बारे में सोचेंगे—यह अन्धे का लक्षण है, आँखवाले का लक्षण नहीं है। जिनके पास देखने की शक्ति है, उन्हें तो दूर ही से देखना चाहिए कि संकट आ रहा है या नहीं। इसके लिए विनोबाजी कहते हैं

"अतएव देश की पहली दृष्टि तो कृषि की तरफ होनी चाहिए और दूसरी दृष्टि ग्राम-उद्योग की तरफ। आज देश के लिए ये दोनों बातें अनिवार्य हैं।"

गाँव में दो साल के लिए अनाज मौजूद रखना हो, तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन-वृद्धि करने के लिए किसानों का आग्रह न बढ़े, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान जिस जमीन को जोतेगा, वह जमीन उसकी होना जरूरी है। इसके अलावा गाँव के लोग सब मिलकर योजना न बनायें और संकल्प न करें, तो उत्पादन बढ़ाना या ग्राम-उद्योग द्वारा गाँव का स्वावलम्बी होना सम्भव नहीं है।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट के केन्द्रीय मन्त्री श्रीयुत एम० के० डे ने कालडी सर्वोदय सम्मेलन के समय विनोबाजी के साथ मुलाकात के समय उनसे इस बारे में एक स्पष्ट मत कहा। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की सृष्टि हुए बिना कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलना सम्भव नहीं है। गाँव की जमीन पर व्यक्तिगत मालिकी जब तक रहेगा, तब तक गाँव के लोग एक होकर मिल [illegible] सकेंगे, [illegible] तब तक कम्युनिटी नहीं बन पायेगी। [illegible]

चीजें देखेंगे, जो औरों की बनायी हुई हैं। इस विज्ञान के युग में हम खंड-खंड होकर नहीं रह सकते।"

इसलिए गाँव को जिन्दा रहना हो, तो परिवार अलग-अलग रहें—ऐसा नहीं हो सकता। सब परिवारों को एक होना होगा, एक परिवार की तरह चलना होगा। ग्रामदान के पीछे यही वैज्ञानिक विचार है। ● ● ●

समग्रदानी गाँवों में निर्माण-कार्य : ९ :

समग्रदानी गाँवों के रचनात्मक कामों का लक्ष्य होगा—ग्रामराज की स्थापना करना। इस उद्देश्य को सिद्ध करने की तरफ लक्ष्य रखकर ग्राम-पुनर्गठन का सारा कार्यक्रम बनाना होगा।

(१) भूमि-व्यवस्था की नीति : (क) मालिकाना होगा ट्रस्टी के रूप में गाँव का और जुती हुई जमीन होगी व्यक्ति की, (ख) धरती-माता की सेवा करने का अधिकार सबका समान होगा।

(२) अर्थ-व्यवस्था की नीति (क) स्वावलम्बन और स्वयंपूर्णता। गाँव रोज काम में आनेवाली कोई चीज गाँव के बाहर से नहीं मँगायेगा, (ख) द्रोहरहित (प्रतियोगिताविहीन) उत्पादक श्रम इसके साधन का उपाय होगा। उत्पादक श्रम का अर्थ है, जिस श्रम के द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक कुछ न कुछ उत्पादन किया जाय। लेकिन सिर्फ उत्पादक श्रम से काम नहीं चलेगा। यह उत्पादक श्रम द्रोहरहित होना चाहिए। उससे किसीका द्रोह न हो अर्थात् किसीकी जीविका पर आघात करके उसे बेकार न करे। चावल का कारखाना या कपड़े की मशीन से जो उत्पादक श्रम किया जाता है, वह द्रोहरहित नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य को बेकार करता है। गृहशिल्प या ग्राम उद्योग में जो श्रम किया जाता है, वह द्रोहरहित उत्पादक श्रम है। इसलिए गाँव की अर्थ-व्यवस्था ग्रामोद्योगप्रधान होनी चाहिए।

(५) ग्राम-सगठन की मूल नीति • ग्राम सगठन की मूल नीति होगी सर्वसम्मति। गाँव का व्यापार चलाने के लिए इस बारे मे सब निर्णयो का आधार होगा सर्वसम्मति। सर्वसम्मति में ही असली एकता के दर्शन मिल सकते है। बहुसख्यक मत के अनुसार निर्वाचन-पद्धति से भेद और विद्वेष पैदा होता है। वह वर्जनीय है।

(६) गाँव की परिपाटी और विचार-सबधी नीति : गाँव की शृङ्खला-परिपाटी की गाँव ही रक्षा करेगा और गाँव के झगडे-बखेडा का निबटारा गाँव ही मे होगा। गाँव अपने झगडो का गाँव के बाहर नहीं जाने देगा। झगडे निबटाने का आधार होगा, विचारको के मत की एकता।

उपर्युक्त नीति के अनुसार समग्रदानी गाँव की भूमि व्यवस्था किस प्रकार होगी और किस प्रकार उसका निर्माण कार्य चलेगा, यह विनोबाजी ने उडीसा के कोरापुट जिले मे अपनी पैदल यात्रा के समय ग्रामवासियो को विशद रूप से समझाकर बताया है। उन्होंने कहा

"जमीन का मालिक भगवान् है। भगवान् की तरफ से गाँव जमीन का ट्रस्टी होगा। कानून से भी किसी व्यक्ति को जमीन का मालिक नहीं माना जायगा। गाँव को ही जमीन का मालिक माना जायगा। परिवार मे कितने लोग है, इसे देखकर फी कस एक एकड जमीन* प्रत्येक परिवार को खेती करने के लिए दी जायगी। प्रति ५ या १० साल के बाद परिवार की लोकसख्या कितनी होती है, यह देखकर उसके अनुसार जमीन फिर से बाँटी जायगी। गाँव मे कुछ सामूहिक जमीन होगी। इस जमीन की आय से गाँव की सारी जमीन का लगान दिया जायगा और गाँव की सामूहिक उन्नति का काम किया जायगा। कई साल परीक्षा के बाद अगर गाँव के लोग चाहे, तो वे गाँव की सारी जमीन को सामूहिक जमीन कर सकेंगे। अभी केवल सुविधा के लिए वे अलग-अलग खेती करेंगे। किसीके

* जिस गाँव में जमीन कम है, वहाँ फी कस जमीन कम दी जायगी।

खेत में अगर बहुत काम बाकी रह गया हो, तो गाँव के सब लोग मिलकर वह काम पूरा कर देंगे। अगर किसीको तकलीफ हो गयी हो या किसीकी जमीन में फसल कम हो, तो उसकी सहायता की जायगी। कोई किसीको ऋण नहीं दे सकेगा। बल्कि जिसके अभाव होगा उसकी सहायता की जायगी। कारण यह कि सारा गाँव एक परिवार के रूप में रहेगा।

"साथ ही साथ गृह-शिल्प की प्रतिष्ठा की जायगी और गाँव स्वावलम्बी होकर पैसे की ममता से मुक्त होने की चेष्टा करेगा। पहला काम यह होगा कि गाँववासी मिलकर स्थिर करेंगे कि उनके गाँव में बाहर से कोई कपड़ा नहीं आयेगा। कपास की खेती से लगाकर कपड़े बुनने तक का सारा काम गाँव ही में किया जायगा। इससे गाँव के सब लोगों को काम मिलेगा और गाँव की लक्ष्मी गाँव ही में रहेगी। इसके अलावा गाँव के लिए अन्य जिन सब चीजों की आवश्यकता है, वे सब भी गाँव ही में तयार करने की व्यवस्था की जायगी। गाँव में किसीकी भी अपनी खुद की दूकान नहीं होगी। गाँव की तरफ से एक दूकान होगी। उसके जरिये आवश्यकतानुसार बाहर की चीजें खरीदी जायँगी और गाँव में प्रयोजन से ज्यादा जो चीज उत्पन्न होगी, वह बाहर बेचा जायगा।

वे लोग शराब, बीडी वगैरह का त्याग करते हैं। जिन पर कर्जा है, उसे अदा करने के लिए कम-से-कम ब्याज छोड देने के लिए महाजन से अनुरोध किया जायगा। भविष्य में अगर किसीको कर्जा लेने की आवश्यकता हो, तो गॉव की तरफ से कर्जा लिया जायगा। सरकार से भी कर्ज लिया जा सकेगा। गॉव के सब विवाह-शादियों की व्यवस्था गॉव की तरफ से ही की जायगी—किसी विशेष परिवार की तरफ से नहीं। इसलिए विवाह के लिए कोई ऋण लेने का सवाल ही नहीं उठेगा।

"सामाजिक क्षेत्र में जाति-भेद, अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुष का भेद इत्यादि सब भेद-भाव दूर किये जायेंगे। प्रत्येक मनुष्य को भगवान् का पुत्र समझा जायगा और इसी दृष्टि से सबका समान अधिकार होगा। सब प्रकार के शिल्प और सब प्रकार के समाज-हितकारी कामों की समान रूप से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा होगी। गॉव की जमीन पर सबका समान अधिकार समझा जायगा और आदर्श यह होगा कि प्रत्येक आदमी कुछ समय खेत में काम करेगा। क्योंकि कृषि कार्य के बिना मानव-जीवन की पूर्णता होना असभव है। गॉव के जुलाहे, चमार, कुम्हार वगैरह सब गॉव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार काम कर देंगे। उसका हिसाब नहीं रखा जायगा। सालभर के बाद जब फसल कटेगी, तब किसान फसल का कुछ अश उनमें से प्रत्येक के घर दे आयेगा। गॉव में पहले इसी प्रकार होता था। इस प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आरभ ग्राम परिवार से ही होगा।"

गॉव का व्यापार चलाने के लिए गाव का सगठन इस प्रकार होगा। जैसे—छोटे गॉवों में जिनकी उम्र २१ साल से ज्यादा है, उन सब स्त्री-पुरुषों की एक ग्राम सभा गठित होगी। बडे गॉवों में प्रत्येक परिवार एक पुरुष या एक स्त्री सदस्य को ग्राम सभा में भेजेंगे। ग्राम सभा सर्वसम्मति से ५ से लेकर ९ लोगों की एक कार्यकारिणी समिति बनायेगी। उसे सर्वोदय-पचायत' का नाम दे सकते हैं। यह 'सर्वोदय पचायत' या 'कार्यकारिणी समिति' गाव-सभा के नियन्त्रण में गाव का सारा व्यापार चलायेगी।

ग्राम सभा और सर्वोदय-पञ्चायत का सारा निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। तब जहाँ गाँव से उत्पन्न फसल का एक अंश गाँव के सामूहिक कल्याण के काम में खर्च करना है, वहाँ फसल का कितना अंश इस काम के लिए खर्च करना चाहिए, इसका निर्णय ग्राम-सभा ही करेगी। न्याय विचार के लिए अर्थात् झगड़ा विवाद के निबटारे के लिए स्वतन्त्र व्यवस्था होगी। ग्राम-पंचायत का काम इस प्रकार होगा। जैसे—(१) ग्राम-सभा के नियन्त्रण के नीचे गाँव की भूमि पर ग्राम-पंचायत का पूर्ण अधिकार होगा और वह भूमि के बारे में सारी व्यवस्था करेगी। (२) गाँव का समान खाद्य-व्यवस्था के लिए कौनसी फसल कितनी उत्पन्न करनी होगा, उसे निश्चित करना व्यक्तिगत सामर्थ्य से बाहर है, ऐसी खेती की उन्नति की व्यवस्था करना, गृह शिल्प और ग्राम-उद्योग के लिए कच्चे माल के उत्पादन की व्यवस्था करना आदि कृषि-सम्बन्धी सभी जरूरी कामों की व्यवस्था करना। (३) ग्राम-स्वावलम्बन के लिए सब प्रकार के गृह शिल्प और ग्राम उद्योग की व्यवस्था करना। (४) गाँव की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्यान्य सार्वजनिक बातों के लिए व्यवस्था। इसके लिए अगर कोई संस्था हो या गठित हो, तो उसे हाथ में लेकर उसका परिचालन और संरक्षण करना। (५) सार्वजनिक दूकान की व्यवस्था और परिचालना करना।

ग्रामदान के माध्यम से वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा : ७ :

विनोबाजी ग्रामदान के बारे मे नित नया प्रकाश डालते रहते है और ग्रामदान की अद्भुत महिमा की बात विचारशील लोगो के सामने रखते रहते है। ग्रामदान की महिमा के बारे मे व्याख्या करके उन्होने कहा है कि सर्वस्वदानी गाँवो मे चार वर्ण और चार आश्रमो की प्रतिष्ठा करना ही उनकी इच्छा है। इस पर अनेक लोगो को आश्चर्य हो सकता है। समाज मे से उच्च-नीच भेदभाव दूर कर देने के लिए जहाँ वर्ण-भेद को उठा देना ही श्रेयस्कर है, वहाँ विनोबाजी समग्रदानी गाँवो मे वर्ण-प्रतिष्ठा को दृढ करना चाहते है। यह कैसी बात है ? इस आशका को दूर करने के लिए वे कहते है

"धर्म सूक्ष्म है। ऊपर-ऊपर से देखने से वह समझ मे नही आता। भीतर से देखना पडता है। चार वर्ण और चार आश्रम बाहर का आभरण नहीं है। यह विचार और अनुभव से प्राप्त हुआ है। लोगो मे ऊँच-नीच का भेदभाव पैदा करने के लिए चार वर्णों की कल्पना नहीं की गयी। समाज के गुणो के विकास के लिए इनका आविष्कार हुआ है। चार आश्रम भी गुणो के विकास के लिए है। मै नये दृष्टिकोण से चार वर्ण और चार आश्रमो की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। मै चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मे चार वर्णों और चार आश्रमो की प्रतिष्ठा हो।"

इस बारे मे उन्होने और भी कहा है "चारो वर्ण अत्यन्त पवित्र है। लेकिन लोग सोचते है कि कोई वर्ण उच्च है और कोई वर्ण नीच है। यह बात ठीक नहीं है। गीता कहती है—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर'। जो व्यक्ति कर्तव्यपरायण होकर निष्काम बुद्धि से अपनी सेवा परमेश्वर को समर्पण करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा।"

ब्राह्मण-वर्ण की प्रतिष्ठा : विनोबाजी कहते है—'जिसके चित्त मे शम, शाति विद्यमान है, उसमे ब्राह्मण के लक्षण विद्यमान है। सर्वस्वदानी

गाँव मे शम-शाति विराजेगी। इसलिए सर्वस्वदानी गाँव मे ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा होगी। आजकल के गाँवों मे शाति नही है। देश मे भी शाति नहीं है। शाति चाहते है, लेकिन अशाति के पथ पर चलते है। जब सबके अतर का दु ख दूर होगा, तभी शाति की प्रतिष्ठा सभव होगी।"

दु ख इसलिए है कि सबको नित्य प्रयोजन की चीजे नहीं मिलती। फिर भी बहुतो के पास वही चीज जरूरत से ज्यादा परिमाण मे पडी है। जिस व्यक्ति को नित्य प्रयोजनीय वस्तु पर्याप्त परिमाण मे नहीं मिलती, उसके अतर मे शाति नहीं है। और जिनके पास वह जरूरत से ज्यादा है, उनके अतर मे भी शान्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है, उतना खाने को न मिले, तो शाति नहीं रहती, और फिर जितनी आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा खाये, तो भी शाति नहीं रहती। समग्र-दानी गाँव मे ऐसी अवस्था नहीं रहेगी। समग्रदानी गाँव मे सबको समान रूप से खाना मिलेगा और जरूरत से ज्यादा कोई लेगा नहीं। इसलिए वहाँ शम विराजता रहेगा और उसके द्वारा ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा होगी।

क्षत्रिय-वर्ण की प्रतिष्ठा क्षत्रिय का धर्म है, रक्षा करना अर्थात् निर्भयता पैदा करना। इसीलिए क्षत्रिय का लक्षण है निर्भयता। विनोबाजी कहते है "अस्त्र शस्त्र की सहायता से निर्भयता नहीं आ सकती। निर्भयता के लिए मै स्वरूपी क्षत्रिय वर्ण की प्रतिष्ठा करता हूँ। इस अर्थ मे अपने-आपका सयत करना, अपने ऊपर नियन्त्रण रखना। जहाँ हम अपने-आपको वश मे या दमन मे नहीं रख सकते, वहीं पर बाहर से दण्ड देने का सवाल पैदा होता है।"

वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा . विनोबाजी कहते हैं—"भारतवर्ष के सभी लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ एक शब्द से वैश्य का लक्षण बताना हो, तो वह है दया। भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने मांसाहार त्याग जरूर किया है, लेकिन ब्राह्मणों की अपेक्षा वैश्यों ने अधिक संख्या में मांसाहार त्याग किया है। मांसाहार त्याग करनेवाले लोगों की अगर संख्या गिनी जाय, तो वैश्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। इससे उनमें दया का गुण विकसित हुआ है। दीन-दरिद्रों की रक्षा करना, उनके लिए संचय करना और अपने संचित धन के द्वारा सबकी रक्षा करना—यही वैश्य का लक्षण है। दया के सिवा महत्त्व का गुण वैश्य के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता।"

सर्वस्वदानी गाँव में वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि दया और करुणा के बिना ग्रामदान का आरम्भ ही नहीं होता।

शूद्र-वर्ण की प्रतिष्ठा . शूद्र होता है सेवाप्रधान। श्रद्धा और भक्ति के बिना सेवा हो ही नहीं सकती। इसीलिए शूद्र का लक्षण है श्रद्धा। शूद्र का मुख्य गुण सेवा है और श्रद्धा उसका भीतरी गुण है। सर्वस्वदानी गाँव के बालक-बालिकाओं के हृदय में पूर्ण श्रद्धा होगी। इसलिए वहाँ श्रद्धारूपी शूद्र-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी। किस प्रकार सर्वस्वदानी गाँवों के बालक-बालिकाओं के हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, इसका वर्णन करते हुए विनोबाजी ने बताया है

"सर्वस्वदानी गाँवों के बालक-बालिकाओं के हृदय में श्रद्धा पैदा होगी। ग्रामदानी गाँव में अगर किसीके भी पितृवियोग हो, तो उसके पिता की गैरमौजूदगी में भी वह अनाथ नहीं होगा। क्योंकि पिता के समान बहुत से लोग उसे मिलेंगे। ग्रामदानी गाँव में एक-एक माता के तीन-चार सौ तक सन्तान होंगी अर्थात् गाँव के सब बालक ही उसकी सन्तान होंगी। अतएव पिता माता न होने पर भी पृथक् अनाथाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी हालत में उन सब बालक-बालिकाओं के हृदय में समाज के प्रति कैसी श्रद्धा जागेगी, इस पर विचार करो। वे लोग मन में मानेंगे कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वह समाज इतना दयालु और

प्रेमभावापन्न है कि वहाँ सब बालक-बालिकाओं का समान रूप से लालन-पालन होता है। इस प्रकार की श्रद्धा बचपन से ही उनके हृदय में जागेगी।'

अब समग्रदानी गाँवों में किस प्रकार चार आश्रमों की प्रतिष्ठा होगी, यह देखा जाय।

सन्यास-आश्रम की प्रतिष्ठा : विनोबाजी कहते हैं—"सभी जानते हैं कि समाज के लिए सन्यासी की बड़ी जरूरत है। क्योंकि सन्यासी हो, तो सेवा करने के लिए बिना वेतन का नौकर मिल गया। वही सेवक सब जगह ज्ञान-प्रचार करता हुआ फिरेगा। जहाँ चित्त में शम नहीं है, शान्ति नहीं है—वहाँ सन्यास नहीं है। इसीलिए सन्यासी का लक्षण है शम, शान्ति।"

पहले ही कह चुके हैं कि समग्रदानी गाँव में शम या शान्ति विराजती रहेगी। इसके लिए वहाँ जिस प्रकार ब्राह्मण-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी, उसी प्रकार सन्यास-आश्रम की भी प्रतिष्ठा होगी।

वानप्रस्थाश्रम की प्रतिष्ठा वानप्रस्थ आश्रम का प्रधान लक्षण है तपस्या। विनोबाजी कहते हैं—"वानप्रस्थ आश्रम का लक्षण है—दम। क्योंकि तपस्या द्वारा हमें इन्द्रिय-दमन करना पड़ता है। अपने-आपको जीतना पड़ता है। इसी प्रकार जहाँ दम गुण विद्यमान है, वहाँ वानप्रस्थ-आश्रम की प्रतिष्ठा है। ग्रामदान के द्वारा मैं दमरूपी वानप्रस्थ आश्रम की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ।'

सर्वस्वदानी गाँवों में वे दयारूपी गृहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा कर चाहते हैं।

समग्रदानी गाँवों में दया की मनोभावना विद्यमान है। इसलिए व जिस प्रकार वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा होगी।

ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा : विनोबाजी कहते हैं—"ब्रह्मचर्य लक्षण है श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा है।"

इसलिए विनोबाजी समग्रदानी गाँवों में श्रद्धारूप ब्रह्मचर्याश्रम प्रतिष्ठा करना चाहते हैं।

समग्रदानी गाँवों के बालक-बालिकाओं के हृदय श्रद्धा से भरपूर होंगे इसीलिए वहाँ शूद्र वर्ण की तरह ब्रह्मचर्याश्रम की भी प्रतिष्ठा होगी।

इस प्रकार विनोबाजी ने सिर्फ चार शब्दों के द्वारा चार वर्ण औ चार आश्रमों का वर्णन किया है। वे चार शब्द हैं—शम, दम, दया औ श्रद्धा। वे कहते हैं

"सर्वस्वदानी गाँवों में किस प्रकार चार वर्ण और चार आश्रमों व प्रतिष्ठा हो सकती है, इसके लिए मैंने एक छोटा-सा सूत्र बनाया है। जि प्रकार सनत्कुमार का सूत्र और ब्रह्मसूत्र है, उसी प्रकार चार शब्दों व एक छोटा सूत्र मैंने चार वर्ण और चार आश्रमों के लिए बनाया है।

जिस व्यक्ति में ये चार गुण होंगे, चार वर्ण और चार आश्र उसीके हैं। वे और भी कहते हैं

'शम, दम, दया और श्रद्धा—यही ग्रामदान का सूत्र है। अगर इ प्रकार समग्रदानी गाँव गठित हो, तो धर्म की प्रतिष्ठा और धर्म-चक्र प्रवर्तन होगा या नहीं, यह आप सब लोग विचार कर देखिये।"

कोरापुट

आज सारे देश की दृष्टि कोरापुट की तरफ लगी है। इसका कारण यह कि वहाँ अब तक चौदह सौ से भी ज्यादा गाँव दान में मिले हैं। एक ही जिले में इतनी अधिक संख्या में गाँव दान में मिलने से लोग आश्चर्यचकित हो गये हैं। इसलिए कोरापुट कैसा स्थान है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ के ग्रामदानी गाँवों का संगठन कार्य भी किस तरह चल रहा है आदि बात जानने की इच्छा अनेक लोगों के मन में जागी है। विदेश से भी अनेक प्रवासी कोरापुट आते हैं और किस प्रकार कोरापुट के पौने दो लाख लोग चुपचाप अहिंसक भूमि क्रांति संपन्न करके अब ग्रामराज-प्रतिष्ठा के काम में आगे बढ़ रहे हैं, यह देख जाते हैं।

कोरापुट जिला उड़ीसा राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। उसके एक तरफ मध्यप्रदेश और दूसरी तरफ आंध्र राज्य है। कोरापुट एक विशाल क्षेत्र है। इस जिले का आयतन दस हजार वर्गमील है। इसकी जमीन का आयतन चौसठ लाख एकड़ है। लेकिन उनमें से सिर्फ सोलह लाख एकड़ भूमि खेती के लायक है। अड़तालीस लाख एकड़ जंगल है। बाकी [illegible] लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। देश के [illegible] इलाकों में भी इस जिले को आगे नहीं समझा जाता। इस जिले में ज्यादा पहाड़ हैं।

लगाकर तीन हजार फुट के बीच की ऊँचाई। ऐसे प्राकृतिक व्यवधान के कारण यह जिला चार स्वाभाविक विभागों में बँटा हुआ है

(१) रायगढा तालुका (२४०३ वर्गमील), (२) कोरापुट तीन हजार फुट ऊँचा है (२ हजार वर्गमील), (३) जयपुर, नौरंगपुर दो हजार फुट ऊँचा है (३२५३ वर्गमील) और (४) मालकानागिरि (२२८८ वर्गमील)। पहाड के नीचे और उपत्यका में जो कुछ जमीन है, वहाँ खेती होती है और उसमें छोटे-छोटे गाँव बस गये हैं। इस जिले में ६ हजार गाँव हैं। करीब-करीब सभी छोटे-छोटे हैं। लोकसंख्या १२ लाख है। प्रति वर्गमील के हिसाब से जनसंख्या ११४ है, सबसे कम ३६ और सबसे ज्यादा २०६ है। इसमें आदिवासियों की संख्या ७० लाख है। यहाँ कई जाति के आदिवासियों का वास है। उनकी भाषा भी अलग-अलग है। उनमें कंध, सोरा और गद्बा जाति मुख्य हैं। कंधों की संख्या सबसे ज्यादा है।

यह जिला पहले मद्रास प्रदेश में था। बाद में यह उडीसा में शामिल हो गया। उसमें एक जमींदार राजा था। १९५२ में जमींदारी खतम होने के बाद यह उडीसा-राज्य में शामिल हो गया। तब से वहाँ रास्ते वगैरह बनने लगे हैं और प्राथमिक विद्यालय स्थापन आदि प्रगति का काम शुरू हो गया है।

यह जिला बहुत ही दरिद्र है। उडीसा दरिद्र प्रदेश है। तिस पर यह जिला उसमें सबसे ज्यादा दरिद्र है। आदिवासी लोग बहुत ही सीधे सरल हैं। उनकी ईमानदारी स्फटिक की तरह स्वच्छ है। इसीलिए वे कूटबुद्धिवाले महाजनों के हाथ में पडकर उपत्यका प्रदेश की धान की उर्वर जमीन को खोकर क्रमशः पहाड के ऊपर बसने पर बाध्य हुए हैं। पार्वत्य प्रदेश में ऊपर की तरफ की जमीन निकृष्ट कोटि की है। इसीलिए इन सब अंचलों के आदिवासियों में से अनेक किसी एक जमीन पर स्थायी रूप से नहीं रहते। एक जगह कुछ दिन रहने के बाद दूसरी जगह जंगल काटकर वहाँ खेती शुरू करते हैं। इसे वहाँ की स्थानीय भाषा में 'पोडु' प्रथा की खेती

कहते हैं (Shifting Cultivation)। यहाँ सालभर में औसत ६० से ७० इंच वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की उपत्यका की जमीन में दो फसलें होती हैं। धान भी प्रचुर होता है। आदिवासियों ने उपत्यका-प्रदेश की अच्छी जमीन खो दी है और उनके भाग में अब खराब जमीन पड़ी है। उसमें बाजरा (मडुआ), कोदो वगैरह निकृष्ट जाति की फसल होती है।

(१) कोरापुट में ग्रामदान की पटभूमि

कोरापुट के ग्रामदान-आंदोलन के पीछे एक उल्लेखनीय पटभूमिका है। १९४२ के राष्ट्रीय आंदोलन के कई साल पहले से एक जान की बाजी लगानेवाले युवकों के दल ने इस दुर्गम अंचल में चरखे के प्रचार के काम में अपने-आपको लगाया था। उनमें से श्री विश्वनाथ पट्टनायक, जो कोरापुट के ग्रामदान आंदोलन के प्राणस्वरूप हैं। निष्ठा, आत्मीयता और सहृदय सरल व्यवहार से उन्होंने आदिवासियों का हृदय जीत लिया था। आदिवासी लोग उन्हें 'आजे' कहकर पुकारा करते थे। 'आजे' उड़िया भाषा में बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति आदर, श्रद्धा और प्रेम का परिचायक संबोधन है। यह युवक दल १९४२ के आंदोलन में कूद पड़ा। उनमें से लक्ष्मण नायक को फाँसी हुई।

बनाते, उसे उपजाऊ बनाते और फिर उसे अन्याय ऋण के कारण अर्थात् चक्रवृद्धि ब्याज चुकाने के नाम से महाजन लोग छीन लेते। इस अन्याय के विरुद्ध आदिवासियों ने श्री विश्वनाथ पट्टनायक के नेतृत्व में युद्ध-घोषणा की। वे लोग भू-सत्याग्रह करने के लिए तैयार हुए। उनका दावा था—"असली मालिक को उसकी जमीन लौटा दो।" प्रतिकार के लिए सरकार से भी अनुरोध किया गया। सरकार विनाश को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए तैयार हुई। लेकिन इस बीच बरसात शुरू हो गयी। खेती का मौसम आ गया। वे लोग और प्रतीक्षा नहीं कर सके। आदिवासियों ने अपने दावे की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूँसे गये। इस समय पट्टनायकजी बीमारी की वजह से शय्यागत थे। इसलिए यह आंदोलन ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। आदिवासी लोग निराशा के अंधकार में पड़ गये। इसी समय विनोबाजी की भूदान-आंदोलन की वाणी उनके कानों में पहुँची। इससे उनके हृदय में नयी आशा का संचार हुआ। वे लोग इस आंदोलन में कूद पड़ने के लिए तैयार होने लगे।

पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जो सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में है, वह अच्छी नहीं है। उसकी उन्नति के लिए विशेष धन भी नहीं लगाया गया। इसलिए इस जमीन को लेने का महाजन को लाभ भी नहीं है। इसीलिए वे अब ऋण के बदले में जमीन न लेकर फसल लेते हैं। इस जमीन की खरीद-फरोख्त भी ज्यादा नहीं होती। अगर खुद से खेती नहीं हो सकती हो और दूसरा चाहे, तो जमीन का मालिक सहज ही जमीन दे देता है। सारांश यह कि यहाँ की जमीन विशेष मूल्यवान् सम्पत्ति में अभी भी परिणत नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ के आदिवासियों में समष्टि भावना (Community Feeling) मालूम है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामदान के लिए विनोबाजी की पुकार आयी। विनोबाजी उनके द्वार-द्वार पर जाकर ग्रामदान की बात समझाने लगे। इसीलिए ग्रामदान के विचार ने यहाँ के आदिवासियों के हृदय को

दर्शन किया। ग्रामदान में वे अपने समग्र कल्याण का एकमात्र आधार देख सके। इसीलिए वे प्रेम के साथ ग्रामदान देने लगे।

(२) भूमि-वितरण

१९५७ के अप्रैल तक कोरापुट में ग्रामदान की संख्या १३९९ तक पहुँची है। इन सब गाँवों की भूमि का परिमाण करीब २६११५८ एकड़ और परिवार-संख्या ४० हजार है। इस समय तक ५९८ गाँवों की भूमि का वितरण-कार्य पूरा हुआ है। उसकी लोक-संख्या ७८८४२, परिवार-संख्या १२२९३ और वितरित भूमि का परिमाण ८९८३९ एकड़ है। इसमें सामूहिक जमीन ७३०० एकड़ रखी गयी है।

गाँव के लोग फी कस अच्छी-बुरी सब तरह की जमीन समान रूप से पायेंगे—यही वितरण की आदर्श नीति है। लेकिन गाँव के लोग सर्व-सम्मति से विशेष विशेष हालतों में इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। कोरापुट में फी सैकड़ा २० गाँवों की जमीन फी जन समान रूप से वितरित की गयी है। लेकिन अधिकांश गाँवों में ग्रामदानियों ने सर्वसम्मति से जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उन्हें आमतौर से दूसरों से [illegible] तक ज्यादा जमीन दी है। उदाहरणस्वरूप टाला गाँव के [illegible] की ६० एकड़ जमीन थी।

२०-३० गाँव ग्रामदान देकर भी पिछड गये है और उन्होंने जमीन का बॅटवारा करने से इनकार किया है।

(३) सगठन-कार्य की सूचना

विनोबाजी १९५५ की २री अक्तूबर को उडीसा मे आये गये। तब तक कोरापुट मे ७०० गाँव दान में मिले थे। विनोबाजी के वहाँ रहते सनय जब समग्रदानी गाँवो की सख्या छह सौ हो गयी, तब से वहाँ ग्राम सगठन का काम शुरू किया गया। सर्व-सेवा-सघ ने 'नवजीवन मण्डल' की सहायता से कोरापुट, गजाम, बालेश्वर और मयूरभज के समग्रदानी गाँवो के निर्माण-कार्य का चलाने का दायित्व लिया है। सर्व-सेवा-सघ के प्रधानमन्त्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे ने सर्व-सेवा सघ के लिए यह कार्यभार अपने ऊपर लिया है। उनका सदर आफिस कोरापुट शहर मे है। नवजीवन मण्डल' उडीसा की एक सगठन करनेवाली सस्था है। वह उडीसा के आदिवासियो मे सेवा-कार्य करती रही है।

(४) कोरापुट के लोग

उनके गाँव में अब तक एक एल्युमिनियम का बरतन भी नहीं पहुँचा। कपड़ा खुद बुन लेते हैं। लकड़ी के जूते, बाँस का छाता और घास के ओवरकोट में विभूषित होकर जब कोई अपने हाथ से तैयार की हुई बीड़ी पीता है, तब एक अपूर्व दृश्य की सृष्टि होती है। ये लोग आधुनिक सभ्यता के मापदण्ड से पीछे हो सकते हैं। लेकिन कैसा आत्मतुष्ट जीवन है इनका! इस बुनियाद पर बहुत कुछ गढ़ा जा सकता है। आधुनिक सभ्य मनुष्य को देखकर ये दूर सरक जाते हैं। लेकिन बाघ वगैरह वन्य हिंस्र जानवरों का शिकार करने में ये खूब साहस दिखाते हैं। गाँव का एक व्यक्ति गाँव का नायक होता है। उसकी बात सब मानकर चलते हैं। गाँव में झगड़ा विवाद नहीं होता, न दलबन्दी होती है। ये लोग अधिकतर सामाजिक शांति से जीवन-यात्रा चलाते हैं। पाप का डर इन लोगों को बहुत होता है। ये बड़े ही सरल हृदय और आतिथ्य-प्रिय होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में झूठ बात कहना नहीं चाहते। इन लोगों की सचाई और सरलता की कुछ कहानियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

धर्मराज युधिष्ठिर भी झूठ बोले थे—अश्वत्थामा मर गया, 'नरो वा कुञ्जरो वा'। लेकिन कोरापुट की युवती अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भी झूठ नहीं बोलेगी।

कोरापुट के खड्गपुर गाँव की एक कहानी है।

इस समग्रदानी-गाँव के सेवा-कार्य में लगे हुए एक भूदान-कार्यकर्ता ने इस गाँव के दुःख-कष्टों की कहानी वर्णन करते हुए बताया—

एक महाजन इस गाँव के सरल प्रकृति आदिवासी किसान को समझाता है। इस किसान ने महाजन से एक पुट्टी (धान मापने का माप) धान उधार लिया है। लेकिन महाजन ने उसके नाम ३ पुट्टी धान कर्ज लिख रखा है। क्यों ३ पुट्टी उसके नाम कर्ज लिखा गया है, यह किसान की समझ में न आने से महाजन किसान को समझाता है—

१ पुट्टी बीज तुमने बाहर किये
१ पुट्टी बीज तुमने वजन किये
१ पुट्टी बीज तुम ले गये

महाजन इस प्रकार एक के बाद एक ३ खण्ड पत्थर रखकर बोला—देखो, ये तीन हुए कि नहीं? (कोरापुट अञ्चल में कुछ भी गिनने के समय हिसाब करने की सुविधा के लिए इस प्रकार पत्थर रखने की रीति है।) यह गणित आदिवासी की समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि थोड़ा सा तो धान ले गया था, लेकिन यह इतना ज्यादा कैसे हो रहा है? लेकिन मन को यह कहकर समझा लिया कि—महाजन के हिसाब करने का तरीका सम्भवतः इसी प्रकार होगा।

एक दूसरे गाँव की कहानी है।

सम्भवत यह कर्ज नहीं चुकता होगा। वह फिर उनके पुत्र के माथे पड़ेगा। कार्यकर्ता लोग उसे समझा रहे थे कि उसके पिता की नौकरी के द्वारा ब्याज समेत यह कर्ज बहुत पहले ही चुकता हो गया है। लेकिन उनका दिल किसी भी तरह यह बात मानने को राजी नहीं होता था। इसीलिए वह बोला—"कर्जदार होकर मरूँगा, यह बड़ी बुरी बात है।"

आदिवासियों के हाथ में अब जो जमीन है, वह अच्छी नहीं है। इसीलिए महाजन की नजर अब जमीन की तरफ नहीं है, बल्कि किसानों की फसल की तरफ है। जब खेती अच्छी होती है, तब बेमोके महाजन किसीको ५ रुपये, किसीको १० रुपये या किसीको ५० रुपये कर्ज देकर उसके सूद के बदले में करीब आधी से भी ज्यादा फसल आत्मसात् कर लेता है। इसीलिए किसी साफ-सुथरे कपड़े पहने व्यक्ति के गाँव में आने पर उसे आदिवासी लोग सन्देह की नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि लूटने के लिए ही वह आया है। लेकिन विनोबाजी की पैदल यात्रा के कारण उन लोगों के मनोभाव में एक विशेष परिवर्तन हुआ है। भूदान कार्यकर्ताओं के प्रति उनमें एक घनिष्ठ आत्मीयता का भाव पैदा हुआ है। अगर एक बार उनकी समझ में आ जाय कि "यह व्यक्ति [illegible]" फिर वह जो कुछ करेगा, उसे करने के लिए वे प्राणपण से [illegible]।

की चालू पद्धति से खेती करने पर साल में कितनी आय हो सकती है, उसका हिसाब करके देखा गया है कि प्रति परिवार सालभर में दो ढाई सौ रुपये से ज्यादा आय नहीं होगी। इसीलिए औसत एक आना और अच्छी हालत में दो-ढाई आने से ज्यादा एक दिन में खाने के लिए वे लोग खर्च नहीं कर सकते। दिन में तीन बार खाते हैं। तीन बार खाने जितना खाद्य, जो उनको नसीब होता है, उसकी कीमत दो ढाई आने से ज्यादा नहीं है। जब उससे पेट नहीं भरता, तो उसके साथ पानी मिला लेते हैं। जब उनके घर में खाने का अनाज होता है, तब पानी के बदले कुछ आटा ज्यादा कर देते हैं। बाजरे की जाति या इससे भी निकृष्ट कोटि के अनाज की लपसी उनका एकमात्र खाद्य है। कभी-कभी उन्हें कुछ चावल भी खाने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत कम। जब कठिनाई का समय होता है, तब इमली के बीज, आम की गुठली आदि लपसी के साथ मिला लेते हैं। आम की गुठली खाद्य अनाज का स्थान ले लेती है।

इतना निकृष्ट कोटि का और इतना कम खाद्य उन्हें नसीब होता है कि उसके बुरे प्रभाव से उनका शरीर और सारी शक्ति नष्ट हो रही है। हमने जब एक शिविर चलाया, तब देखा कि उनमें से एक व्यक्ति ७-८ घण्टा ठेके पर मिट्टी खोदने का काम करने पर भी चार आने या आठ आने से ज्यादा उपार्जन नहीं कर सका। वहीं बाहर से आया हुआ मजदूर दो रुपये तक की मजदूरी कर लेता है।

श्रीमती तारा जिंकिन नामक एक अंग्रेज पत्रप्रतिनिधि महिला १९५७ की जनवरी में कोरापुट देखने के लिए आयी थी। उसने कोरापुट के ग्राम-संगठन के काम के बारे में विलायत के मेंचेस्टर गार्डियन नाम के सुविख्यात दैनिक पत्र में जो निबन्ध लिखा है, उसमें लिखा है—'A gay people the Khonds, feed their hunger with dance, song and country brew' (कन्ध जाति के लोग बहुत ही आमोद-प्रिय हैं। वे नृत्य, गीत और दारू से अपनी क्षुधा शान्त करते हैं।)

इस मौके पर यह जानने का कुतूहल हो सकता है कि बंगाल में कहीं ऐसा अवर्णनीय दारिद्र्य है क्या? भूदान पद-यात्रा के समय सारे पश्चिम बंगाल में घूमने के समय एकमात्र बांकुड़ा जिले के किसी किसी हिस्से में बाउरी जाति (एक हरिजन जाति) के लोगों में ऐसा दारिद्र्य देखा गया है। और कहीं नहीं।

इसी तरफ दृष्टि रखकर निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा समाज के आदर्श पर संगठन काम को चलाने की मूलनीति जैसी होनी चाहिए, उसे नजरों में रखना जरूरी है। ग्राम-संगठन-कार्य के द्वारा मनुष्य की सांसारिक अवस्था की उन्नति करने का निश्चय करना होगा। लेकिन सिर्फ यही ग्राम-निर्माण के कार्य के लिए एकमात्र आवश्यक नहीं है। इस कार्यक्रम को इस प्रकार हाथ में लेना और परिचालित करना चाहिए, जिससे इसे हाथ में लेने से पहले ही गाँव के लोग इसकी आवश्यकता अनुभव करें। इसके अलावा उसे सफल करने का दायित्व भी वे ही स्वेच्छा से ग्रहण कर लें। वे लोग जिससे यह अनुभव करें कि यह उन्हींका सिद्धान्त है और वे ही उसे सफल करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई चीज ऊपर से उन पर थोपी गयी है—ऐसा न हो।

संगठन कार्य के परिचालकगण लोगों को सलाह-मशविरा देने और सहायता देने के लिए ही होंगे। ग्राम संगठन-कार्य में यह सबसे ज्यादा प्रयोजनीय चीज है। इसका कारण यह कि हमारा उद्देश्य है स्वाधीन मनुष्यों का एक सहयोगी समाज गढ़ना, जिसमें लोग स्वाधीनतापूर्वक किसी दूसरे के नियन्त्रण के बिना और खुद प्रण करके मिलकर सबके कल्याण के लिए कार्य करते रहें। इसीलिए ग्राम संगठन का कोई काम सफल हुआ या नहीं, यह देखना हो, तो इतना काम हुआ है या इतना रुपया खर्च हुआ है, सिर्फ इतना देखने से काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि इस कार्यक्रम के परिचालन से [illegible] लोगों में कितनी आत्मनिर्भरता और सहयोगिता के गुणों का विकास हुआ है और लोगों ने कहाँ तक अगुआ होना और नेतृत्व ग्रहण करना सीखा है। इस विषय में [illegible] मिले, [illegible] [illegible] कि [illegible] है, यह सब कहेंगे।

सामूहिक दूकान स्थापित करना और उसे चलाना, (३) सिंचाई की व्यवस्था और कृषि की उन्नति और (४) खादी। एक के बाद एक इनकी व्यवस्था हो जाने के बाद (१) शिक्षा, (२) ग्राम-उद्योग, (३) स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि।

(६) कर्मक्षेत्र और परिचालन संगठन

कोरापुट का समग्रदानी इलाका एक विराट् प्रदेश है। ग्राम-संगठन के कार्य की सुविधा के लिए उसे छोटे-छोटे खण्डों में बाँटा गया है। सबसे पहले उसे ५ ब्लॉकों में बाँटा गया है। ५ मील व्यासार्ध की सीमा में जितने गाँव पड़ते हैं, उन्हें एक-एक केन्द्र में सम्मिलित किया गया है। ये केन्द्र वहाँ के सेवा-कार्य की इकाई (unit) हैं। कोरापुट में ५ ब्लॉकों में ३०-३५ केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र में १० १५ गाँव हैं। प्रत्येक केन्द्र का भार एक कार्यकर्ता को सौंपा गया है। वे गाँव के कार्यकर्ता होते हैं। ये कार्यकर्ता सम्बन्धित केन्द्र की उन्नति का सारा काम देखते-भालते रहते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का भार एक संगठन-कर्ता पर है। सबसे ऊपर संगठन-समिति है। ब्लॉक के भारप्राप्त कार्यकर्ता के द्वारा ब्लॉक की उन्नति का सारा कार्यक्रम संगठित और परिचालित हो रहा था। लेकिन गत वर्ष (१९५६) के मध्य में इञ्जीनियरिङ्ग, कृषि, शिक्षा-दान वगैरह कई वृत्ति-मूलक (functional) विभाग गठित हुए हैं। अगर ब्लॉक के भार-प्राप्त संगठन-कर्ता और इञ्जीनियरिङ्ग, कृषि वगैरह वृत्तिमूलक विभागों के प्रधान व्यक्ति प्रति मास एक बार मिलते रहें और विचार-विनिमय और आलोचना द्वारा समस्त कार्यक्रम में समन्वय स्थापित कर सकें, तो यह बड़ा ही अच्छा होगा। उन लोगों में इस प्रकार की एक आलोचना सभा होने की बात तय होने पर भी वह नियमित रूप से नहीं होती। वृत्तिमूलक विभागों का विकास भी खूब तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में वे क्रमश परस्पर निरपेक्ष विभाग के समान हो सकते हैं। समन्वय के बिना सारे संगठन में सरकारी विभागों की व्यवस्था में जो सब असुविधाएँ होती हैं, वैसी असुविधाओं के पैदा हो जाने की आशंका है। इसलिए अण्णासाहबजी

सोचते है कि सारी बातों को सोच-विचार कर एक ऐसी परिचालक संस्था खडी करनी चाहिए, जो एक सुर मे बोले और एक ही भाव से काम कर सके। सबसे निम्न स्तर पर ग्राम कार्यकर्ता रहेगा। रोज के कार्यक्रम का उसका नेतृत्व और सूचना देने का अधिकार होगा, लेकिन उसे अपने आपको और अपने कार्यक्रम का समन्वय द्वारा समग्र योजना के साथ मेल बैठाकर चलाना होगा। यह कैसे होगा ? कम-से कम दो सप्ताह के अन्तर से या प्रतिमास ब्लॉक संगठक और प्रत्येक विभाग के प्रधान लोगों की संयुक्त बैठक हो, तभी यह सम्भव हो सकता है। एक और व्यवस्था भी की जाय। ब्लॉक को अलग करके केवल ग्राम-केन्द्र रहेगा और केन्द्र के कार्यकर्ता रहेगे। वृत्तिमूलक विभाग ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा काम करेगे। प्रत्येक विभाग के प्रधानगण प्रति सप्ताह या दो सप्ताह के अन्तर से एक बार मिलकर आपस मे आलाप-आलोचना करेंगे और गांव के कार्यकर्ताओं को परिचालित करने के लिए मासिक या पाक्षिक पत्र निकालेगे। कार्यकर्ताओं की संख्या बढकर दो हजार तक हो सकती है, लेकिन समन्वय के अभाव मे यह सब विशृंखल न हो जाय, इस बारे में सतर्क रहना जरूरी है।

के दिये हुए करीब एक लाख रुपयों के कृषि के औजार जैसे कुदाल, हल, इत्यादि भी वितरण किये गये हैं। कोरापुट में अच्छी तरह गोपालन नहीं होता, इसीलिए कोरापुट जिले में जरूरत से कम गायें हैं। अतएव लोगों को गोपालन के बारे में शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। एक गो-प्रजनन केंद्र भी खोला गया है।

(८) ग्राम-सभा और ग्राम-भाडार

प्रत्येक केंद्र के अतर्गत जितने गाँव हैं, उन सब गाँवों के प्रत्येक परिवार के प्रधान व्यक्ति को ग्राम-सभा का सदस्य बनाकर ग्राम-सभा सगठित की गयी है। जितने केंद्र स्थापित हुए हैं, उतनी ही ग्राम-सभाएँ सगठित हुई हैं। ग्राम सभा के सदस्य कहीं एक सौ और कहीं दो सौ हैं।

कोरापुट के ग्रामों में महाजन और दूकानदारों का शोषण और अत्याचार इतना ज्यादा हो गया है कि उस पर सहज में विश्वास नहीं कर सकते। गाँव के लोगों की अपनी ही एक सामूहिक दूकान हो, तो यह शोषण बंद किया जा सकता है। इसके अलावा गाँव के लोग खुद ही अपने गाँवों की अर्थ व्यवस्था के बारे में सारा कार्यक्रम खुद ही चलायेंगे। सर्वोदय के इस आदर्श की दृष्टि से प्रत्येक केंद्र के लिए सहकारिता की नीति के अनुसार एक सामूहिक दूकान खोली गयी है। प्रत्येक ग्राम-सभा के सदस्य को सामूहिक दूकान की पूँजी में उनके देय अश के हिसाब से एक रुपया और प्रवेश-शुल्क के हिसाब से आठ आना देना पड़ा है। इस प्रकार प्रत्येक दूकान के लिए ग्रामवासियों से दूकान की पूँजी के लिए १५०), २००) मिले हैं। इस प्रकार हिसाब किया गया है कि दूकान में प्रत्येक परिवार का कम से कम ६ रुपया मूलधन रहने की जरूरत है। इस हिसाब से गाँव से जो १५०), २००) का मूलधन जमा हुआ है, उस पर सर्व-सेवा-संघ ने अपना ५ से १० गुना मूलधन और दिया है। इस प्रकार सर्व-सेवा-संघ ने गत अक्तूबर (१९५६) तक ८० हजार रुपये मूलधन के रूप में सामूहिक दूकानों के लिए लगाया है। आदिवासी लोग बहुत ही सच्चे हैं,

जो २० दूकाने चल रही है, उनमे से किसीमे भी विशेष कुछ घाटा नहीं हुआ। दो-एक दूकानो मे तीन महीनो मे दो-एक रुपये का घाटा हुआ है। किसी-किसी दूकान में कुछ-कुछ लाभ भी हुआ है। उधार भी दिया जाता है और ग्रामवासियो को पेशगी भी दी जाती है। लेकिन अदा करने की जिम्मेदारी ग्रामवासिया की है। वे ही उसे अदा करते हैं। जुताई के मौसम मे उधार ले जाते है, क्योंकि उन दिनो मजदूरी नहीं होती, रोजगार नहीं होता, बल्कि अपनी जमीन पर खेत जोतने का काम करना पडता है। इसलिए अनाज वगैरह की जरूरत होती है। दूकान सम्पकाय सब काम खूब विश्वस्त भाव से चलता है।

दूकान चलाने की योग्यता के बारे मे साधारणत जो धारणा है, यहाँ की दूकान चलाने के अनुभव से वह धारणा बदल जाती है। साधारणत सोचा जाता है कि दूकान चलाने के लिए कुछ लिखना-पढना जानने की जरूरत है। लेकिन देखा गया है कि सचाई हो, तो लिखना-पढना न जानने पर भी ग्रामवासी खूब अच्छी तरह दूकान चला सकते है। फिर भी ग्राम-सभा के सभी सदस्य ही करीब-करीब निरक्षर होने की वजह से वे लोग हिसाब नहीं रख सकते। सगठन-समिति की तरफ से एक कार्यकर्ता एक-डेढ महीने के अन्तर से वहाँ जाता है, सब चीज-वस्तु वजन करता है और दूकान का हिसाब तैयार कर देता है। याद रखने के लिए वे थोडा-बहुत कुछ लिखकर या लिखाकर रख लेते है। साधारणत. केन्द्रस्थान मे दूकान होने की वजह से कार्यकर्ता हमेशा वहाँ आ-जा सकता है अथवा जो कार्यकर्ता वहाँ स्थायी रूप मे रहता है, वह इस कच्चे हिसाब को लिखने में सहायता करता है।

कोई ग्रामवासी अगर अपना अनाज वगैरह बेचना चाहे, तो वह दूकान की तरफ से खरीदा नहीं जाता। बल्कि वह व्यक्ति अपना अनाज बिक्री के लिए दूकान पर जमा रख सकता है। ऐसी हालत मे अनाज की आधी कीमत दूकान की तरफ से उसे दी जाती है। लेकिन बेचने की जिम्मेदारी उसकी है। बाजार भाव अच्छा मिलने पर वह उसे बेचता ह

और दूकान की तरफ से पेशगी दिया हुआ रुपया अदा कर देता है। इस क्रय-विक्रय पर उससे कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अब सर्व-सेवा संघ ने गाँववालों के अनाज वगैरह का क्रय-विक्रय करने के लिए एक मार्केट संगठन बनाया है। श्री मालेखभाई ने उसका भार लिया है। धान, तिलहन वगैरह व्यापक रूप से खरीदा जाता है। उसे संचित करके रखने के लिए विभिन्न शहरों में १२ बस्तियाँ खोली गयी हैं। इसमें ३ लाख रुपये खर्च हुए हैं। और भी २ लाख रुपये लगाने का इरादा है।

कोरापुट में गाँव के लोगों का यह तरीका है कि जो काम करना होता है, वह वे सब मिलकर करते हैं। इसीलिए उनमें सामूहिक मनोवृत्ति है। इतना होने पर भी वहाँ सहकारिता समिति गठित नहीं की गयी। गाँव के लोग जितना समझते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जितना चला सकते हैं, वहाँ उतना ही आरम्भ किया गया है। गाँव-गाँव में जो ग्राम सभा गठित हुई है, उसका मिलन पर उनकी बुद्धि और इच्छा के अनुसार [illegible] का संगठन बनने दिया है। अब सहकारी समिति की प्रतिष्ठा के लिए कोशिश जारी है।

गया है। १९५७ साल के मध्य मे ५०-६० नहरो की योजना है, जिसे कार्य मे परिणत करके ५-६ हजार एकड जमीन मे सिचाई की व्यवस्था की जा सके, जिससे इस जमीन में दो फसली खेती हो सके, इसके लिए काम हो रहा है। सरकार के समाज-कल्याण-विभाग की ओर से आजकल ऐसा काम बहुत कुछ चल रहा है। ग्रामदानी ग्रामसमूहो की इन सब कार्य-योजनाओ के कारण सरकारी योजना की गति मे भी वृद्धि होगी। जहाँ-जहाँ सम्भव है, वहाँ प्रत्येक गाँव मे जिससे ४०-५० एकड जमीन मे बगीचे लगाने की सुविधा हो, इसी दृष्टिकोण से सिचाई की व्यवस्था की जाती है। सिचाई की सुविधा के लिए नहरो की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अपने गाँव में जिससे नहर की व्यवस्था हो और खेती के लिए जिससे पानी मिल सके, उसके लिए कैसा भी परिश्रम करने के लिए आदिवासी लोग तैयार है। खेत मे कहाँ जल बाँधना होगा और किस प्रकार खेत तक पानी ले जाया जाय, उसका सहज ज्ञान आदिवासियों को इतना ज्यादा है कि उनके अञ्चल मे जाने पर वे लोग खुद ही यह बता देते है। बाद मे इजीनियर वहाँ जाकर समझ लेते हैं कि ग्रामवासियों ने जो कुछ कहा है, वही ठीक है।

कोरापुट पहाडी प्रदेश है। बहुत जगह जमीन समतल नहीं है, बल्कि ढालू है। बरसात ज्यादा होती है। इससे मिट्टी धुलकर बह जाती है। (erosion)। इसके अलावा आदिवासी लोग बहुत सी जगह 'पोडु' खेती (shifting cultivation) करते है, इसलिए जगल काट डालते है और जमीन को अच्छी तरह समतल किये बिना दो-चार साल खेती करने के बाद वहाँ से अन्यत्र चले जाते है। इस प्रकार ढालू जमीन खुली पडी रहने के कारण बरसात में वहाँ की मिट्टी बह जाती है। इसलिए मिट्टी-सरक्षण की समस्या (soilcouservation) वहाँ की भूमि को सुधारने की एक बडी समस्या है। अन्यान्य भूमिसुधार के काम के साथ साथ मिट्टी-सरक्षण का काम भी शुरू हुआ है।

इजीनियरो की सहायता से १५-२० कार्यकर्ताओं को ओवरसियरी

की शिक्षा देने की व्यवस्था हुई है। शिक्षाप्राप्त छात्रों मे सर्वे और जमीन मापने का काम कराया जायगा। इन सब इंजीनियरों और ओवरसीयरों की सहायता से नहर काटना और भूमि-संस्कार का काम भी अच्छी तरह किया जायगा। नहर खोदना और भूमि-संस्कार का काम स्वावलंबन की भित्ति पर करने के लिए आदिवासियों मे से एक 'भू-सेना' गठित करने की जरूरत है। एक तालाब खुदवाने के अनुभव से यह जरूरत बहुत अच्छी तरह अनुभूत हुई है। ठेकेदार द्वारा एक तालाब खुदवाया जा रहा था। स्थानीय आदिवासियों के बेकार बैठे रहने पर भी ठेकेदार बाहर से मजदूर बुलाकर काम करा रहा था। कारण यह कि ठेकेदारों को यही मालूम है कि आदिवासी लोग मिट्टी खोदने का काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। वे लोग जंगल से लकड़ी काटकर लाने का काम अच्छी तरह कर सकते हैं और उससे रोज़ की डेढ़-दो रुपये तक की रोजी कमा सकते हैं। लेकिन मिट्टी खोदने के काम में आठ दस आने से ज्यादा नहीं कमा सकते।

इसलिए मिट्टी खोदने का काम अच्छी तरह सिखाकर एक भूसेना तैयार करने के लिए गुणपुर गुडाली विभाग के इस तालाब को ठेकेदार के हाथ से लेकर शिविर के जरिये स्थानीय आदिवासियों द्वारा खुदवाने की व्यवस्था की गयी। सिंचाई के लिए पानी संचित रखने के लिए यह तालाब बड़े आकार में खुद रहा था। पहले उसके द्वारा ३ एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी। तालाब योजनानुसार खुद जाने पर ५० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। शिविर में ६० व्यक्ति (युवक-युवतियाँ) योगदान देते हैं। इस शिविर-जीवन से उन्हें एक नयी जानकारी मिलती है। शिविर में आने के कारण प्रतिदिन नियमित समय पर सोकर उठना, नियमित रूप से दस घंटा काम करना, प्रतिदिन स्नान करना, तीन बार भरपेट भात तरकारी का भोजन करना—इस प्रकार बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी उन्हें मिलती है। वहाँ सम्मिलित प्रार्थना, संगीत एवं और भी कई मनोरंजक कार्य होते थे।

शिविर में आये हुए श्रमिकों मे १३ स्त्रियाँ थी। ये सब विवाहिता १६-२० साल की लडकियाँ थीं। सभी लिखना पढना सीखने के लिए उत्सुक थीं। इसीलिए स्लेट-पेंसिल मँगवाकर उन्हे फुरसत के समय लिखना-पढ़ना सिखाया जाता। इस प्रकार एक महीना शिविर चलने के बाद कुछ लोग चले गये। बाकी ४० लोगो का शिविर ६ महीने तक चलता रहा। शिविरवासियो का खुराक-खर्च आठ आना पडता था। पहले भी इसी हिसाब से वे कमा पाते थे। २-३ महीने भरपेट खाने के कारण वे लोग अधिक उपार्जन करने योग्य हुए। इस प्रकार शिविर का उद्देश्य सफल हुआ। इसीलिए स्थायी रूप से ऐसा शिविर चलाकर भू-सेना तैयार करने की व्यवस्था हुई है। शिविरवासी शिविर के माध्यम से ६ महीने काम करेंगे। ठेकेदारो से जो काम कराया जाता है, वह भू-सेना द्वारा कराया जायगा। छह महीने काम करके खाने-पहनने का खर्च बाद देकर भू-सेना का प्रत्येक सैनिक जिससे ४०, ५० रुपये लेकर घर लौट सके, यही योजना है। इस साल यानी १६५७ के जून के मध्य तक एक हजार सैनिक तैयार होने की बात है। नहर खोदना, रास्ता तैयार करना, छोटे-छोटे दालान बनाना, पडती जमीन तैयार करना और भूमि-सस्कार का कोई भी काम सफलता के साथ करने की क्षमता, योजना-शक्ति और सगठन-दक्षता शिविर की शिक्षा द्वारा कम से-कम कुछ लोग पा सकें, इसी उद्देश्य से ऐसा शिविर चलाया जा रहा है। शिविर मे भविष्य के विशाल कार्य की भित्ति तैयार हो रही है। साथ ही-साथ वे लोग सामूहिक जीवन की शिक्षा पा रहे हैं और लिखना-पढना सीख रहे हैं। उनकी रीति-नीति का सशोधन हो रहा है और भविष्य मे उनमें से बहुत से कार्यकर्ता मिलने की आशा है।

पाँच-छह जगह कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक गाँव में दसवाँ भाग जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी जाती है। वह अन्त में डिमोन्स्ट्रेशन फार्म का रूप लेगी।

सेवाग्राम के जानकार कृषि-विशेषज्ञ श्री गोविन्द रेड्डी गराण्डा गाँव मे आ गये है। उन्होंने गाँव के लोगो के बहुत ही असन्तुष्ट मनोभाव को

दूर करके उनका हृदय जीत लिया है। एक तालाब से सिर्फ २ एकड जमीन की सिचाई होती थी। उन्होंने एक नया कौशल सोचकर, उसका सस्कार कराकर उसके द्वारा ६० एकड जमीन की सिचाई की व्यवस्था की है। सरकारी कर्मचारियों ने, तालाब का ऐसा सस्कार कराना सम्भव नहीं है, यह कहकर उसे छोड दिया था। कोरापुट गाँव मे सिंचाई की व्यवस्था की उन्नति के लिए यह बहुत ही शिक्षाप्रद होगा, इसमे सन्देह नहीं।

जयपुर मे एक मिट्टी-परीक्षागार स्थापित किया गया है। विभिन्न केन्द्रो से मिट्टी मँगवाकर वहाँ मिट्टी के गुण-अवगुण की परीक्षा होती है।

(१०) सहकारिता

गाँव से उत्पन्न फसल और अन्यान्य द्रव्यादि के विक्रय की व्यवस्था के लिए जिले मे एक शक्तिशाली सहकारी सस्था गठित करने की योजना चल रही है। उसका नाम होगा "कोरापुट ग्रामदान को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड"। कानून का जाल और बेडा पार करके कोरापुट की उन्नति की समस्त योजनाएँ भी सहकारिता की भित्ति पर खडी करने मे कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन उसकी सम्भावना बहुत अच्छी है।

उडीसा भूदान-यज्ञ (सशोधन) कानून मे ग्रामदानी गाँवो के ग्राम-समाज (Village Community) का कानूनन स्वीकार किया गया है। अर्थात् समग्रदानी गाँवो का सामूहिक व्यक्तित्व स्वीकार हुआ है। इसके कारण विकास और उन्नति का काम सामूहिक रूप से करने का सहज पथ खुला है।

ग्रामदान के कारण महाजन गायब हो गया है। लेकिन अब खेती, शिल्प वगैरह के लिए ऋण देने की कोई दूसरी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। नहीं तो भीषण सकट का सामना करना पड़ेगा।

साधारण सरकारी को-ऑपरेटिवो की मारफत गाँवो मे जो ऋण देने की व्यवस्था है, वह सरकार की सदिच्छा होने पर भी असली अभावग्रस्त

लोगो के हाथ में ठीक तरह नहीं पहुँचता। ऐसी हाल्त मे गॉव मे ऋण देने के लिए एक अलग सहकारी सस्था खडी करने की जरूरत है।

कोरापुट के ग्रामदानी गॉवों के लिए सहकारिता की भित्ति पर मार्केटिंग (क्रय-विक्रय) सस्था और कृषि वगैरह के लिए ऋण देने के लिए अल्पमियादी ऋण पाने की जरूरत है। इसके लिए रिजर्व बेंक के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। २० से ४० लाख रुपयों के अल्प-मियादी ऋण की व्यवस्था के लिए कोशिश चल रही है। पूना के गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉयमिक्स के डायरेक्टर डॉ० डी० आर० गाडगिल की मारफत रिजर्व बैंक से यह कोशिश की जा रही है।

इस समय गॉवो में प्रतिशत ५ से १० भाग जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी गयी है। इसके बाद जो गाँव स्वेच्छा से इस बारे में आगे आयेंगे, वहाँ प्रति परिवार के लिए साग-भाजी पैदा करने के लिए थोडी-सी जमीन रखकर बाकी सब जमीन सामूहिक खेती के लिए लेने की योजना है। सिंचाई की व्यवस्था के द्वारा जिन जमीनो को सुधार करके दो फसली बनाया जा रहा है, उसमे से एक फसल की खेती पहले-पहल इस सामूहिक खेती में शामिल करके गॉव की साधारण जमीन पर सामूहिक खेती शुरू की जा सकती है।

(११) गाधी-घर का निर्माण

जहॉ-जहॉ केन्द्र है, वहॉ-वहॉ केन्द्र के अधीनस्थ गॉव में 'गाधी-घर' निर्माण करने की योजना चल रही है। इसे 'कम्युनिटी हाउस' या 'उद्योग-मदिर' भी कह सकते है। यह 'गाधी-घर' उन्नति के समस्त कामो का मध्यविंदु या मध्यवर्ती केन्द्र होगा। कार्यकर्ता भी यहॉ रहेंगे। बालवाडी (शिशु-शिक्षा-मन्दिर) भी चलेगी, पाठशाला का काम भी यहाँ होगा। चर्खा चलाना हो या बुनाई की व्यवस्था करनी हो, तो वह भी यहीं होगी। गाव की सामूहिक दूकान भी इसके एक कमरे में रहेगी। ग्राम-सभा भी उसके एक कमरे में बैठेगी। इस प्रकार सभी काम इस 'उद्योग मन्दिर' का आश्रय लेकर चलते रहेंगे। सारा-का सारा काम ग्रामवासी करेंगे और

इस उद्योग-मन्दिर की सहायता से गाँव का उपार्जन यथेष्ट परिमाण में बढ़ेगा, ऐसी आशा की जाती है।

(१२) वन्य संपत्ति का सद्व्यवहार

जापान में जंगल का आयतन जुती हुई जमीन से ३-४ गुना ज्यादा है। वहाँ कुल जमीन के १६ से २० फी सदी हिस्से में खेती होती है। लेकिन कोरापुट की तुलना में उनकी जमीन की उपज दसगुनी ज्यादा है। इसके अलावा वे लोग वन्य संपत्ति का खूब सद्व्यवहार करते हैं।

कोरापुट के आदिवासी लोग वन-जंगल का काम ही पसंद करते हैं। वे लोग लकड़ी काटने का काम अच्छी तरह जानते हैं। वन में जो खाद्य सामग्री और अन्यान्य आवश्यकीय चीजें मिलती हैं, उसे वे लोग खूब अच्छी तरह लेना जानते हैं। उनकी आय-वृद्धि के अन्यतम उपायस्वरूप उनके द्वारा वन-संपत्ति का अच्छी तरह व्यवहार हो, इसकी योजना की जा रही है। मधुमक्खी-पालन, लाख, धूप (धूना), रंजन वगैरह का उद्योग चलाने की योजना हो रही है और इसके लिए दो-एक को-ऑपरेटिव खड़ी की गयी है। किसी-किसीका मत यह है कि कोरापुट के आदिवासियों को खेती-बाड़ी के काम में ज्यादा न खींचकर जंगल से उत्पन्न द्रव्य आदि के उद्योग के काम में लगाना ज्यादा अच्छा है। इससे वे लोग ज्यादा उपार्जन करने योग्य होंगे।

(१३) खादी

गाँव के लोग सूत कातने के लिए आग्रहशील होते हैं। लेकिन सूत कातने के सरंजाम के अभाव में यह काम जल्दी से शुरू करना संभव नहीं होता। रायगढ़ा में चर्खा और खादी के सरंजाम तैयार करने के लिए एक निर्माणशाला खोली गयी है। वहाँ महीने में ३०० चर्खे तैयार होते हैं। १९५६ के दिसंबर तक ८०० चर्खे गाँववालों को दिये गये हैं। इस साल (१९५७) के मध्य तक और भी २००० चर्खे देने की योजना है। कपास के बीज भी वितरित किये गये हैं।

एक साल के बाद उनके गॉव में खादी के अलावा और कोई कपडा इस्तेमाल नहीं होगा—यह ग्रामसकल्प सब ग्रामवासी मिलकर लें—इसके लिए उत्साह दिया जाता है। कोरापुट में किसी-किसी जगह १२ साल से भी ज्यादा पहले से खादी का काम चल रहा था। इसीलिए कहीं-कहीं लोग सहज रूप से ऐसा सकल्प लेगे, ऐसी आशा की जाती है। कोरापुट के बहुत-से छोटे-छोटे गॉवो में बालक बालिकाऍ किस प्रकार सहज रूप से सूत कातना सीख रहे है, यह देखकर आश्चर्य होता है। जो लोग सूत कातते है, वे ज्यादा कपडा व्यवहार करते है। यह देखकर खादी की तरफ लोग आकृष्ट होते है।

(१४) शिक्षा

आर्थिक उन्नति का काम जब तक कुछ आगे न बढे, तब तक लिखना-पढना सिखाने का काम व्यापक रूप से आरभ नहीं किया जायगा—यही तय हुआ है। फिर ग्रामवासी लोग विभिन्न सगठन के काम के माध्यम से भिन्न-भिन्न दिशाओ में जो व्यावहारिक शिक्षा-लाभ कर रहे है, उसका काफी मूल्य है। लोगो के दिल में शिक्षा के लिए लगन जाग रही है। विनोबाजी कोरापुट की प्रत्येक सभा में लिखने-पढने की शिक्षा पर जोर देते थे। कार्यकर्ता लोग गॉव-गॉव में रात्रिशालाऍ चलाते है। सरकार की तरफ से कोरापुट के ६ हजार गॉवो में केवल २ सौ पाठशालाएँ चलती है। प्रतिशत ५ लोगों को थोडा-बहुत अक्षर-ज्ञान है। प्रत्येक गॉव में 'एक घटे का स्कूल' खोलकर कार्यकर्ताओ के द्वारा ग्रामवासियो के लिखने-पढने और सामान्य गणित की शिक्षा देने की योजना की जा रही है। फीसदी १०वॉं भाग जमीन, जो सामूहिक खेती के लिए रखने की कोशिश हो रही है, वह अगर ठीक तौर से मिले और उसमें अच्छी तरह खेती हो, तो उन सब खेतो के साथ ही पाठशाला चलेगी। दो साल बाद ५-६ हजार लडके इस जमीन के साथ लगी हुई पाठशाला में पढने लगेंगे। धीरे-धीरे वे लोग वहॉं विद्यालय की शिक्षा भी पा सकेंगे। यहॉं आदिवासियो की कई भाषाएँ है। उनमें से कदा, सोरा और गदबा प्रधान

है। इन भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है। उडिया लिपि मे इन सब भाषाओं की छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित करने की चेष्टा हो रही है। वे बालक और वयस्क दोनो के काम आयेगी। कार्यकर्ता उनकी भाषा नहीं जानते। यहाँ काम करने के लिए यही एक मुख्य असुविधा है। कुइ भाषा मे एक मैन्युअल प्रकाशित किया गया है। अन्य भाषाओं में भी मैन्युअल प्रकाशित करने की व्यवस्था आगे बढ रही है।

(१५) ग्राम-उद्योग

कई केन्द्रीय स्थानो मे पथ-प्रदर्शन के लिए कई ग्राम-उद्योगो का काम आरंभ किया गया है। उसमे प्रदर्शनी का काम होगा और अब इन उद्योगो के सिखाने का काम भी होगा।

रायगढा, जयपुर और गराण्डा मे ३ आदर्श तेलघानी-केन्द्र स्थापित किये गये है। रायगढा मे ६ शिक्षार्थी घानी से तेल निकालने और १२ शिक्षार्थी लकडी और लोहे के काम की शिक्षा ले रहे है।

कोरापुट जिले के जनिगुडा गाँव मे १९५६ के मार्च महीने से एक मधुमक्खी-पालन-केन्द्र चल रहा था। उसे अब नौरङ्गपुर ताल्लुके के बीजापुर गाँव मे स्थानांतरित कर दिया गया है।

रायगढा मे एक केन्द्र मे साबुन तैयार किया जाता है। वहाँ प्रति दिन २०० पाउंड साबुन तैयार होता है। सारा साबुन रायगढा मे बिक जाता है। जयपुर मे भी साबुन बनाने का एक केंद्र खुल रहा है।

ऊमारकोट थाने मे २०० कुसुम के पेडो से लाख पैदा की जाती है। जयपुर मे लाख तैयार करने का एक केन्द्र खोला गया है।

(१६) शराबबंदी

साधारणत लोग यह मानते है कि आदिवासी लोगो मे से शराब का व्यवहार बन्द करना असम्भव है। लेकिन कोरापुट की जो अवस्था सामने दिखाई दे रही है, उससे इस प्रकार के संशय का शायद अवकाश नहीं रहेगा। उडीसा मे शराबबंदी का कानून लागू होने पर भी कोरापुट मे

उसे इतने दिनो तक लागू नहीं किया गया। विनोबाजी ने कोरापुट मे भ्रमण करते समय इस बात पर ज्यादा जोर दिया। इसके बाद गवर्नमेण्ट ने कोरापुट और गजाम जिले में १९५६ के अप्रैल महीने से यह कानून लागू किया। इससे ताल्लुक रखनेवाले सभी सरकारी कर्मचारी कहते है कि कोरापुट में यह कानून अपूर्व रूप से सफल हुआ है। वहाँ लोग बहुत कम जगहों में इस कानून का भग करते है। इस सफलता के पीछे शराब-बदी के लिए सगठनकर्ताओ की अविराम कोशिश भी चालू है।

(१७) कर्जा-अदायगी की व्यवस्था

कोरापुट और गजाम के गाँव-गाँव मे महाजनो के निष्ठुर शोषण की कहानी सुनें, तो आश्चर्य होता है। असगत ऋण का बोझ किसानो के माथे पर है। फिर भी सुख की बात यह है कि महाजनो से मेल-जोल करके उनके साथ बातचीत करने के कारण अनेक महाजनो ने अपने दावे का परिमाण कम किया है, किसी-किसीने पूरा ऋण ही छोड दिया है और बन्धक जमीन भी बिना कुछ लिये ही दे दी है। लेकिन बहुत-से महाजन ऐसे भी है, जो ग्रामदान-आन्दोलन के तीव्र विरोधी है। महाजनो ने ऋण देना बद कर दिया है। गाँव की सामूहिक दूकानों की मारफत कुछ-कुछ उधार देने की व्यवस्था हो जाने से इस असुविधा का बहुत कुछ प्रतिकार हुआ है।

विकास-योजना के काम में जो लोग काम करते हैं, उनकी मजूरी का एक अश बचाकर उसे गाँव की सामूहिक पूँजी में जमा करने के लिए बढावा दिया जाता है। इस पूँजी से गाँव का ऋण चुकाने की व्यवस्था हो सकती है। यह प्रस्ताव लोगो को पसन्द आया है।

ऋण समस्या का और गाँव के लोगो के विविध सकटो को दूर करने का स्थायी उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार किया गया है। इसके लिए स्थायी ग्राम-बीमा को चालू करना ही प्रतिकार का एकमात्र उपाय है। प्रत्येक परिवार को सामान्य-सा प्रीमियम देना होगा। दुर्भिक्ष,

आकस्मिक दुर्घटना, गृहदाह, भारी बीमारी इत्यादि बातें ग्राम-बीमा-योजना के अन्तर्गत हैं। ग्राम बीमा के साथ बड़े प्रदेशों की व्यापक समस्याएँ भी शामिल हो सकती हैं। ऐसी कोई विपत्ति जिससे थाना, अदालत वगैरह बड़े भाग आक्रान्त हों, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाय।

(१८) स्वास्थ्य

सभी जानते हैं कि आदिवासियों में सफाई और सौंदर्य बोध बहुत ज्यादा है। लेकिन उन लोगों में कुछ ऐसी स्वास्थ्य-विरोधी बातें और आदतें हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। यह बात जरूर है कि उन सब बुरी आदतों की जड़ में उनका अज्ञान और उनका अपार दारिद्र्य है। रोज नहाने और कपड़ा बदलने जितना वस्त्र भी उनके पास नहीं है। निर्माण के कार्य द्वारा जब उनकी आर्थिक अवस्था की कुछ उन्नति होगी, तभी उनकी इन सब बुरी आदतों को दूर करने का सुयोग आयगा।

इन सब प्रदेशों में अच्छे चिकित्सक भी बहुत कम हैं। प्रधान बीमारी है Yaws (उपदंश की तरह का फूटनेवाला एक प्रकार का छूत का चर्मरोग)। वर्धा गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के प्रधान डॉक्टर आर० वी० बारदेकर जनवरी '५७ में कोरापुट में भ्रमण कर गये हैं। उनकी विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ है कि कोरापुट जिले में प्रतिशत १२-२५ लोग इस रोग से आक्रान्त हैं। सर्व-सेवा-संघ की तरफ से तीन डॉक्टरों ने इस रोग के दमन के लिए अपना योग दिया है। चार बहनें इंजेक्शन देने के काम में उनकी सहकारिणी के रूप में सेवा कर रही हैं। दिसम्बर १९५६ तक उन्होंने ५ हजार रोगियों को रोगमुक्त किया है। डाक्टर बारदेकर ने उनके काम की बहुत-बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने गांधी मेमोरियल फाउंडेशन के सामने इस रोग को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव यह है कि एक डाक्टर, एक सहकारी डॉक्टर, एक सहकारी और एक नौकर—इन

प्रकार चार व्यक्तियों का एक दल रहेगा। इस प्रकार दस दल बनाने होंगे। बरसात के कारण यहाँ छह महीने काम नहीं किया जा सकता, साल के बाकी छह महीनों में काम किया जायगा। एक दल प्रति मास एक हजार रोगियों को इंजेक्शन दे सकेगा। इस प्रकार हर साल ६० हजार लोगों की चिकित्सा करके उन्हें निरोग करने का प्रस्ताव है। जहाँ प्रतिशत १० व्यक्ति से अधिक इस रोग से आक्रान्त हैं, वहाँ परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोग-निरोधक मात्रा में इंजेक्शन दिया जायगा—यह उनकी सिफारिश है।

महिला कार्यकर्त्री जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ वे स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी उपदेश देती हैं, रोगी की परिचर्या करती हैं और साधारण बीमारियों की साधारण दवा देकर चिकित्सा भी करती हैं।

(१६) गराडा गाँव का संगठन-कार्य

कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहों में जो गठन-कार्य हो रहा है, उसका विवरण संक्षेप में दिया गया है। लेकिन वहाँ के किसी एक खास गाँव में किस प्रकार काम हो रहा है, यह मालूम हो जाय, तो कोरापुट में जो संगठन-कार्य हो रहा है, उसके बारे में और भी स्पष्ट धारणा होगी।

कोरापुट के विभिन्न अंचलों में कई गाँवों में जोर-शोर से काम करके उसे प्रदर्शन-केन्द्रस्वरूप बनाने की चेष्टा हो रही है। ये गाँव हैं—बट्टिबेडा, बुर्जे-बदिबार, देवपट्टंगि, खड्गपुर, गोत्रपल्ली, गराडा और निम्नागुडा। इनमें से गराडा गाँव के संगठन-कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

गराडा गाँव रायगढा से ६५ मील दूर है। और भी ११ समग्रदानी गाँव गराडा-केन्द्र में शामिल हैं। इस गाँव में ३१ परिवार हैं, जिनमें ६-७ हरिजन हैं। कुल लोकसंख्या १३५ है। ग्रामदान से पहले ११ परिवार भूमिहीन थे। गाँव की जुती हुई जमीन १३५ एकड़ और बिना जुती परती जमीन २३८ एकड है।

श्री गोविन्द रेड्डी १९५६ के शुरू से ही वहाँ आ गये हैं। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड जिले के एक कृषक-परिवार में हुआ है। उनकी उम्र इस समय ४० साल की है। वे लिखना-पढ़ना ज्यादा नहीं सीख सके, लेकिन खेती के बारे में उनका व्यावहारिक ज्ञान बड़ा गहरा है। वे अपने घर पर अपनी जमीन पर अपने हाथों से खेती करते थे। १९४२ के आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गये। जेल से बाहर आने के बाद १९४५ में वे सेवाग्राम-आश्रम में शामिल हो गये। वहाँ उन्होंने कृषि के काम में अपने-आपको लगा दिया था। सेवाग्राम में उन्होंने छोटे खेतों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की। खेती के बारे में सब बातों की बारीकियों का हिसाब रखना उनकी आदत है। प्रतिदिन की बरसात का माप, उष्णता और वायु की आर्द्रता वगैरह का हिसाब वे ठीक-ठीक रखते हैं। इसके कारण उन्होंने कृषि के बारे में बहुत-सा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया है। खेती के बारे में बहुत से साहित्य का भी उन्होंने अध्ययन किया है। अप्रैल १९५४ में वे सेवाग्राम से भूदान-पदयात्रा में बाहर निकले और १९५६ के प्रारम्भ में कोरापुट आये।

रेड्डीजी के आने से पहले २ महिला कार्यकर्त्री वहाँ काम करती थीं। २-३ महीने इस गाँव में रहने के बाद उन्होंने जाना कि वहाँ संगठन कार्य के लिए सहनशीलता के साथ बहुत दिनों तक चेष्टा करनी पड़ेगी और तभी सफलता मिलना संभव हो सकेगा। गाँव के ७० फी सदी लोग पियक्कड़ थे। शराब पीकर पड़े रहते थे। आलसी होकर बैठे रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि शराब पीना बन्द कराये बिना गाँव में कोई काम भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए अध्यवसाय के साथ वे प्रयत्न करने लगे। गाँव के लोग शराब न पीने का संकल्प बार-बार लेते और बार-बार उसे तोड़ देते। लेकिन रेड्डीजी दृढ़ता के साथ कोशिश करते रहे। इसी उद्देश्य से दो महीनों में ग्रामवासियों को लेकर उन्होंने एक सभा बनाई की।

उनके आने से पहले ही गाँव में भूमि वितरण का काम हो गया था। लेकिन वह असमान वितरण था। जंगल में से बहकर आनेवाले दो जलस्रोतों पर बाँध बनाकर १० साल पहले गाँव में एक जलाधार निर्माण किया गया था। उसके पानी से सिर्फ ३ एकड जमीन की सिंचाई की जा सकती थी। यह पानी किसकी जमीन को मिले, इस बात को लेकर ग्रामवासियों में हमेशा झगडा-विवाद चलता रहता था। इस जलाधार को बढाने का प्रस्ताव हुआ। लेकिन सरकारी विशेषज्ञों ने बताया कि यह संभव नहीं है। ग्रामवासी इससे निराश हो गये। उनके हाथ में जो जमीन है, वह अच्छी नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था हो, तो ही इस जमीन से अच्छी फसल हो सकती है। वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। रेड्डीजी ने आकर जलाधार के प्रस्ताव का निरीक्षण किया और जाना कि जलाधार को बढाना संभव है।

उन्होंने दृढता के साथ कहा कि जमीन का फी कस समान बँटवारा हो। यह नहीं होगा, तो वे सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे। उन्होंने शराब पीना छोडने के लिए कहा और जमीन का समान बँटवारा करने के लिए भी कहा। यह कैसी बात? गाँव के कुछ लोगों को यह पसन्द नहीं आया। वे लोग उन पर गुस्सा हुए। यहाँ तक कि उन्हें मारने-पीटने के लिए भी तैयार हुए। लेकिन वे इससे विचलित नहीं हुए। वे अपने संकल्प में दृढ रहे और नम्रता और धीरता के साथ सेवा-कार्य करते रहे। उनकी ऐकान्तिक निष्ठा और आंतरिकता ने अंत में उन लोगों का हृदय जीत लिया। अब ग्रामवासी उनके प्रति इतने अनुरक्त हो गये हैं कि उनके इस गाँव को छोडकर कहीं और जाने की बात उठने पर वे लोग विचलित हो उठते हैं। उन्होंने जमीन का समान बँटवारा कर लिया और शराब पीना छोड दिया। दो-एक व्यक्ति यद्यपि अब भी शराब पीते हैं, लेकिन वह भी छिपकर। उन्होंने जलाधार का इस प्रकार संस्कार कराया है कि उससे अब ६० एकड जमीन की सिंचाई हो सकेगी। लेकिन अब तक यहाँ सिर्फ १७ एकड जमीन को

धान की खेती के लायक बनाया जा सका है। उसमें से ४ एकड गाँव की सामूहिक जमीन रखी गयी है। बाकी १३ एकड जमीन का फिर से बँटवारा किया गया है। बाकी जमीन को भी धीरे-धीरे धान की खेती के लायक किया जायगा। तब इस बढ़ाये हुए जलाधार का पूरा सदुपयोग हो सकेगा। रेड्डीजी ने अपने केन्द्र के अन्तर्गत और भी ५-७ गाँवों की जमीन की उन्नति और कृषि विकास का काम अपने हाथ में लिया है। एक गाँव में तालाब खुदवा रहे हैं और एक गाँव में २ हजार फुट लंबी एक नहर निकलवा रहे हैं। ५-६ मौ मील दूरवर्ती पहाड़ी जंगल से बहनेवाले एक स्रोत का पानी इस नहर में आयेगा। एक दिन रेड्डीजी ने पानी के अन्वेषण में जंगल-जंगल घूमते हुए जल-प्रवाह का शब्द सुनकर इस जल-स्रोत का आविष्कार किया था।

उन्होंने देखा कि जमीन की चकबन्दी में कुछ गलती है। इसलिए बहुत-सी जमीन की चकबन्दी वे नये ढंग से करा रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रदेश में धान की खेती के लिए जमीन के बहुत छोटे छोटे खण्ड करने की जरूरत है। उनमें जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा पानी रखकर पानी का तापमान नियन्त्रित किया जा सकेगा और उससे फसल खूब अच्छी होगी। छोटे छोटे खण्ड करने पर मिट्टी का क्षय (Erosion) भी अच्छी तरह रोका जा सकेगा और जमीन के ऊपर का उपजाऊ तत्त्व भी धुलकर नष्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए इस ४ एकड सामूहिक जमीन को १८ खण्डों में बाँटा गया है। बाकी १३ एकड जमीन के १७० खण्ड किये गये हैं। गाँव के लोगों की एक और जमीन के ११० भाग किये गये हैं। प्रत्येक का परिमाण ½ एकड है। वे भूमि की उन्नति के लिए लोगों को उधार देकर उनके द्वारा जमीन पर मिट्टी का काम कराते हैं। जमीन को समतल करके और छोटे छोटे खण्डों में बाँटकर उसे धान की खेती के लायक बनाया जा रहा है। जमीन को समतल करने में छोटे [illegible] काम करने में बहुत-सी मिट्टी खोदकर उसे जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना पड़ता है। सड़क में मिट्टी

को हटाने का एक नया तरीका उन्होने निकाला है। उसका सब जगह अनुकरण होना चाहिए। वे खुद प्रतिदिन ३-४ घण्टे गाँववासियो के साथ खेत पर काम करते हैं।

गाँववासियो को धान की खेती की विकसित प्रणाली वे सिखा रहे है। पिछली बार गाँव की ३० एकड जमीन में १००-१०५ मन धान हुआ था। इस बार वहाँ ४५० मन धान हुआ है।

गाँव में बडी सघन बस्ती थी। उन्होने ग्रामवासियों को समझाकर उनके घरों को अच्छी तरह सजाया है। गाँव के बाहर पीछे की तरफ दो कतारों में खाद बनाने की व्यवस्था है। उसमे घर-बार और आँगन का कूडा-करकट, गाय-बैलों का मल-मूत्र वगैरह डाल दिया जाता है। गाँव-वासियों ने उसे मिट्टी से दबाकर पानी छिडकना भी सीख लिया है। इससे अच्छी कम्पोस्ट खाद तैयार हो रही है।

गाँव के लोग बीडी पीना भी छोड रहे है। अब भी कुछ लोग पीते है। लेकिन फिर भी वे लोग रेड्डीजी के सामने पीने का साहस नहीं करते। गाँव के लोगो में जहाँ-तहाँ पीक थूकते रहने की आदत है। वे लोग इस आदत को भी छोड रहे है। कम-से-कम रेड्डीजी के सामने वे लोग जहाँ-तहाँ नहीं थूकते। अब गाँव के सभी लोग नियमित स्नान करते है। सभी साफ-सुथरे रहते है।

गाँव में एक गाधी-घर बनाया गया है। उसमे तेल की घानी चलती है। गाँव बकरी और भैंस पालने के लिए बहुत अच्छे है। इसलिए रेड्डीजी इसके बारे में भी सोच रहे है। उनकी आशा है कि नमक को छोडकर बाकी सब प्रयोजनीय वस्तुओ के बारे मे गाँव को वे स्वावलम्बी कर सकेंगे।

गाँव के एक तरफ एक परित्यक्त घर में रेड्डीजी का वासस्थान है। उसके बरामदे में बैठकर वे सब लोगो के घर-मकान, चलना-फिरना देख सकते है। उनके घर का दरवाजा सबके लिए हर वक्त खुला रहता है। गाँव के लोग प्रत्येक विषय के बारे मे उनके साथ आलोचना और परामर्श

करते रहते हैं। शाम की प्रार्थना मे लडके-लडकियाँ, स्त्री-पुरुष सभी भाग लेते है। प्रार्थना के चरण वे लोग स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करते है। गाँव के दो तीन युवक रेड्डीजी के सहायक के रूप मे काम करते है।

(२०) कार्यकर्ताओं की व्यवस्था

कोरापुट जिले मे कार्यकर्ता जाल की तरह फैले रहेगे, ऐसी चेष्टा की जा रही है। कस्तूरबा-ट्रस्ट और गाधी-स्मारक-निधि की तरफ से ३०-३२ महिला कार्यकर्त्री कोरापुट अञ्चल मे सेवा-कार्य कर रही है। उनमे से कोई कोई चार साल के और कोई कोई छह साल के सेवा-कार्य का अनुभव लेकर आयी है। ये बहने जिन सब गाँवो मे जाकर रही है, वहाँ साफ सफाई बढ रही है और शराब पीना बन्द हो रहा है। बच्चो को लिखना-पढना सिखाने का काम उन्होने शुरू किया है। वे गाव की स्त्रियो के साथ सम्पर्क स्थापित कर रही है। इसके फलस्वरूप गाँव मे एक नैतिक वातावरण की सृष्टि हुई है। विभिन्न गाँवो के लोग उन्हे अपने-अपने गाँवो मे ले जाकर बसाने के लिए आग्रहशील है। उनके केन्द्र के लिए गाँववासी लोग घर तैयार करके दे रहे है और वे वहाँ जाकर साहस के साथ बसती है। प्रत्येक सेविका वहाँ ग्राम सगठन के काम के लिए बडी शक्ति के समान है।

भूमि वितरण के काम मे ७०-८० भूदान-कार्यकर्ता लगे है। सगठन के काम मे लगे हुए ४०-४५ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए है। इसके अलावा सेवा-भाव से तैयार होकर पहाडी अचल में सब प्रकार की परिस्थितियो मे कष्ट सहन करके और त्याग स्वीकार करके सेवा करने के लिए तैयार, अल्प लिखना-पढना जाननेवाले, यहाँ के आदिवासियो की भाषा भी न समझनेवाले [illegible] कार्यकर्ता जमा हुए है। इनमे खादी शास्त्र के बारे मे जानकारी रखनेवाले भी ५०-६० कार्यकर्ता है। इन सब कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयो मे शिक्षा और कारीगरी मे शिक्षित करना होगा। कुछ उच्च शिक्षित और जानकार लोग बडा त्याग स्वीकार करके कोरापुट मे आकर [illegible] सेवा दान के लिए गाँव-गाँव मे बस गये है। उनमे

हैं · (१) श्री के० आर० दाते। इन्होंने इंजीनियरिंग-विभाग का भार लिया है। ये भारत सरकार में एक्जिक्यूटिव इंजीनियर थे। वहाँ जो वेतन पाते थे, उसका ७५ फी सदी कम वेतन लेते हैं। (२) श्री अजित वि० पटेल। आप सूरत के रहनेवाले हैं, आनन्द कॉलेज से उत्तीर्ण इंजीनियर हैं। केवल ७५ रुपये भत्ता लेकर इंजीनियरिंग-विभाग में सेवा कर रहे हैं। (३) जर्मन नर्स कुमारी उरसुला इक्सटाक। ये चन्द्रपुर जंगल के पास बस गयी हैं, चिकित्सा और रोगी-परिचर्या का काम ले लिया है। (४) पंजाब के श्री एम० खन्ना। आप यान्त्रिक कृषि के विशेषज्ञ हैं। बट्टिवेडा गाँव में बसकर कृषि-उन्नति का काम हाथ में लिया है। ओवरसियरी शिक्षण की क्लासें जिस प्रकार चलायी गयी हैं, उसी प्रकार ग्राम-उद्योग के विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ तैयार करने की योजना भी हाथ में ली गयी है। काम करते-करते अन्त में संगठनदक्षता अपने-आप आ जायगी। ग्राम-सभा द्वारा ही सारे काम हों, यही इच्छा है और ऐसी ही योजना है। इसके लिए बाहर के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा स्थानीय आदिवासियों में से कार्यकर्ता-संग्रह करना युक्तिसंगत है। जानकारी से भी यह बात लक्ष्य में आयी है कि बाहर के लोग न हों, तो भी काम चल सकता है। स्थानीय लोगों को कार्य के योग्य बना लिया जाय। लिखना-पढ़ना जानना ही होगा, ऐसी बात नहीं है। यह एक नयी अनुभूति है। ऐसा सोचा जाता था कि दूकान चलाने के लिए या किसी और काम के लिए कम-से-कम कुछ लिखना-पढ़ना जानना जरूरी है, लेकिन वहाँ जो कुछ अनुभव में आया है, उससे दिखाई देता है कि हाथ में कुशलता हो, तो अच्छे कारीगर हो सकते हैं। इसके लिए यह सम्भव है कि दो-तीन साल के बाद स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ताओं की योजना के केन्द्रबिन्दु में परिणत हो जायेंगे। फिर भी सब लोगों की कार्य-कुशलता किस प्रकार बढ़े, यही प्रधान चिन्तनीय विषय है और उसके समाधान पर काम की सफलता निर्भर करेगी।

(७१) कोरापुट का पंचवार्षिक बजट

कोरापुट के ग्राम-निर्माण-कार्य के लिए सुचिंतित बजट तैयार किया

गया है। सर्व-सेवा-संघ, गांधी स्मारक-निधि, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की आर्थिक सहायता से बजट के अनुसार काम चलेगा। १९५६—१९६१ इन पाँच वर्षों का बजट निम्न प्रकार है

(१) सिंचाई	१८	लाख रुपया
(२) मिट्टी-संरक्षण	२०	,, ,,
(३) बैल	५	,, ,,
(४) गृहादिनिर्माण	५	,, ,,
(५) शिक्षण शिविर	४	,, ,,
(६) स्वास्थ्य	३	,, ,,
(७) प्रदर्शन कृषिक्षेत्र	१०	,, ,,
(८) ग्रामोद्योग	१०	,, ,,
(९) कृषि के सरंजाम तैयार करना, गवेषणा और शिक्षण	४५	,, ,,
(१०) लिखने पढ़ने के लिए पुस्तकादि प्रकाशन	१५	,, ,,
(११) मूलधन खर्च	४५	,, ,,
(१२) सामान असबाब	१०	,, ,,

कुल ६४ १५ लाख रुपया

कोरापुट के १८०० ग्रामदानी गाँवों के ४० हजार परिवारों के प्रत्येक परिवार के लिए छोटी नल सिंचाई की व्यवस्था, ग्राम-उद्योग, [illegible], भूमि उन्नति आदि के लिए ५०० रुपया लगाया जाय, तब भी अपेक्षा की जाती है कि १० साल में प्रत्येक परिवार की आय [illegible] १२० [illegible] से बढ़कर १००० रुपया हो जायगी।

सामूहिक खेती के लिए रखी गयी है, गाँव के लोग उसे अच्छी तरह जोत देते है और (२) गाँव की सामूहिक दूकानें गाँव के लोग अच्छी तरह चलाते है। इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। इससे इन सब गाँवों में समाज-भावना किस प्रकार व्यापक रूप से जागी है, यह समझ में आता है। इसके अलावा और भी कई बातो में ग्रामवासियो में जाग्रत समाज-भावना का विशेष परिचय मिलता है। जैसे—

(१) ग्रामोन्नति के काम के लिए गाँववासी साल में १२ दिन बिना मजूरी के काम कर देते है।

(२) बट्टिवेडा गाँव के दो सौ युवक मिट्टी-संरक्षण और समाजोन्नति के काम के लिए बहुत दिनो से शिविर मे रहने के लिए घर से बाहर हुए है।

(३) उन्नति के काम में और भी ज्यादा शिक्षा लेने के लिए प्रत्येक गाँव से दो-एक स्वेच्छाकर्मी भेजे जाते है।

(४) विवाह-अनुष्ठान की व्यवस्था गाँव की तरफ से की जाती है।

(५) गाँववासी लोग स्वेच्छा से अपनी मजूरी का १२½% भाग गाँव का ऋण चुकाने के लिए और विकास-कार्य के लिए दान देते हैं।

(६) भूमि-वितरण के बाद नयी सिंचाई व्यवस्था द्वारा जिन जमीनो की उन्नति हो गयी है, वे जमीनें जिनके हिस्से मे आयी हैं, वे लोग उसी जमीन से ज्यादा आमदनी करेंगे। इसलिए समान वितरण की दृष्टि से इन सब जमीनों का फिर से बँटवारा होना जरूरी है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह जमीन मिली है, उसकी तरफ से इसकी रजामन्दी मिलना कठिन है। लेकिन लिब्रागुडा और गराडा गाँव के लोग ऐसी सब जमीनों का फिर से बँटवारा करने के लिए राजी हो गये है।

(२३) भावी कार्यक्रम

कोरापुट में डेढ़ साल तक ग्राम-निर्माण का काम करने के बाद जो अनुभव हासिल हुआ है, उसकी भूमिका पर इस प्रदेश की वास्तविक

अवस्था-विवेचना करके और गम्भीर सोच-विचार के बाद अण्णासाहब ने कोरापुट में भावी ग्राम-निर्माण का एक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। यहाँ उसका संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

(१) सर्वप्रथम जमीन का न्यायसंगत वितरण। प्रत्येक गाँव में ५ एकड़ अथवा ५ प्रतिशत (इसमें जो कम हो) जमीन सामूहिक खेती के लिए रहेगी और जरूरत पड़ने पर सामूहिक खेती के लिए एक जोड़ा बैल भी देंगे। हाँ, यह जरूर है कि इस जमीन का संस्कार और उन्नति का खर्च बाहर की सहायता से किया जायगा। सामूहिक जमीन की आय गाँव में सहयोगिता की भूमिका पर विकास-कार्य करने के लिए शेयर के मूलधन के रूप में लगायी जायगी।

(२) उपर्युक्त कार्य ठीक तरह सम्पन्न होने के बाद ये गाँव आस-पास के और भी १०-१५ समग्रदानी गाँवों को लेकर एक केन्द्र संगठित करने की चेष्टा करेंगे। ऐसा होने पर ये सब गाँव सामूहिक रूप से ग्रामोन्नति की योजना की सुविधाएँ पा सकेंगे। इसमें १५०, २०० परिवारों का एक समाज की सृष्टि होगी। उसे ग्रामकेन्द्र कहेंगे। इस प्रकार के ग्रामकेन्द्रों में सघन निर्माण-कार्य की व्यवस्था की जायगी।

गाँव की सामूहिक जमीन की फसल से जो शेयर—मूलधन जमा होगा, उसके द्वारा ग्रामकेन्द्र सहकारिता की भूमिका पर गाँव की आर्थिक उन्नति का काम चलायेगा।

(३) ग्रामसभा गाँव में सामूहिक दूकान चलायेगी और उसके लिए प्रत्येक परिवार अपने खाते के हिसाब से मूलधन देगा। इस पर ५-१० गुना मूलधन की सहायता दी जायगी।

जिन सब खाद्य अनाजों को गाँव के बाहर भेजना होगा, उसे एक गोदाम तैयार करके वहाँ इकट्ठा करके रखा जायगा। कोई भी खाद्य अनाज कच्चे माल के रूप में बाहर नहीं भेजा जायगा। उसे पक्का माल बनाकर तब भेजा जायगा। अर्थात् धान से चावल, गेहूँ, बाजरे से आटा, तिल से तेल तैयार कराकर फिर बाहर भेजा जायगा।

(५) इसके बाद कृषि-उन्नति के लिए गाँव की जरीबबन्दी की जायगी और गाँव की सारी जमीन ही कृषि उन्नति के कार्यक्रम मे शामिल कर ली जायगी। एक केन्द्र मे ५००-६०० एकड जितनी जमीन रहेगी। उसके लिए पाँच साल की योजना तैयार की जायगी। अब उस गाँव में जो भी सहायता दी जायगी, वह दीर्घकालिक या अल्पकालिक मियाद के ऋण के रूप में दी जायगी और उसे छोटी-छोटी किश्तो में चुका सकेगे।

ऋण लेने और उसे चुकाने का दायित्व ग्रामसभा को लेना होगा। अगर किसी गाँव में बैल देने हो, तो बैल खरीदने के लिए जो व्यय होगा, उसे दूसरे साल से ५ साल की पाँच बराबर-बराबर किश्तों में अदा करना होगा।

जमीन की मेंड बाँधने, जमीन को समतल करने या भूमि-सुधार के अन्यान्य कामो के लिए ऋण लेने की जरूरत हो, तो विकास-सस्था की तरफ से उसकी व्यवस्था होगी।

जिस परिवार की ५ से ७ एकड तक जमीन होगी, उसकी जुताई के लिए ७५,१०० रुपये तक ऋण की जरूरत हो सकती है। वह फसल ऋण (Crop loan) के रूप मे दिया जायगा। लेकिन नगद नहीं दिया जायगा। ऋण बीज, खाद, खाद्य अनाज के रूप में दिया जायगा। मार्केटिंग सस्था ये सब चीजें ग्रामसभा के हाथ में सौंप देगी।

प्रत्येक केन्द्र के लिए कुल खर्च का परिमाण (ऋण और सहायता) अनुमानत ३०-३२ हजार रुपया होगा।

जो केन्द्र में शामिल नहीं हुए और जो केन्द्र बनाने के लिए प्रयत्न शील हैं, ऐसे गाँव अगर सामूहिक भूमिका पर काम करने के लिए आगे आयें, तो ऐसे गाँवों के लिए पानीय जल का कुआँ, तालाब, रात्रि विद्यालय चलाने के लिए साज-सामान और इन सब कामों की योजना को चलाने के लिए एक सामूहिक गृह सहायता के रूप में दिया जा सकता है। उसके लिए १०००-२००० रुपया खर्च भी किया जा सकता है।

गराण्डा, बट्टिवेडा, देवपट्टगि, लिबागुडा, बुजां, सरिपडु और अम्बला के समान जो केन्द्र उन्नति के काम में बहुत कुछ आगे बढ़े हैं और सफलता दिखा रहे हैं, उन्हें साधारण योजना में शामिल नहीं समझा जायगा। उन्हें शिक्षण-केन्द्र और कार्यक्रम निर्णायक-केन्द्र गिना जायगा। • • •